nafed
A Farmers' Cooperative
...Since 1958

वार्षिक प्रतिवेदन 2022-2023

@nafedindia | nafed-india.com

विनयपूर्ण निवेदन

वित्त एवं लेखा, समन्वय तथा जनसंपर्क विभाग ने इस वार्षिक प्रतिवेदन में सूचना / डेटा को संकलित एवं मुद्रित करते समय उचित सावधानी बरती है, किंतु फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो आपसे अनुरोध है कि उदारता दिखाते हुए इसे मानव भूल के रूप में ही लें।

धन्यवाद
जनसंपर्क विभाग
दूरभाष: +91-11-26340019

"हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य और हमारे समाज का मूल आधार हमारी कृषि पद्धति है। भारत प्रकृति एवं संस्कृति से एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए, हमारी कृषि की उन्नति एवं समृद्धि से ही हमारे किसानों की उन्नति होगी, जिससे हमारे राष्ट्र की प्रगति होगी।"

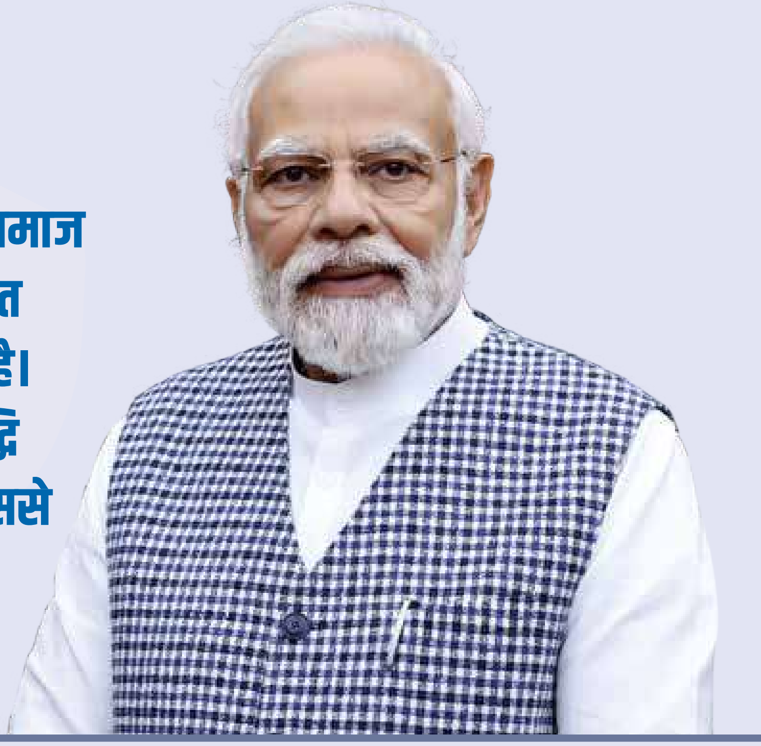

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी

स्रोत : 10 जुलाई, 2022 को प्राकृतिक कृषि सम्मलेन में प्रधानमंत्री जी का संबोधन

नेफेड
का परिकल्पना वृतांत

किसानों, सरकार और उपभोक्ताओं के कुशल बाजार संपर्क के माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए विपणन समाधान प्रदान करने में एक वैश्विक सहकारी लीडर बनना।

विषय सूची

अध्याय सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	प्रबंध निदेशक का संदेश	4
1	भारत में कृषि परिदृश्य: एक अवलोकन	6
2.	सहकारिता: बेहतर भारत का निर्माण	13
3.	निदेशक मंडल (2022-23)	16
4.	नेफेड की प्रबंधन टीम	18
5.	नेफेड की 01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान बैठकें और सदस्यता	19
6.	नेफेड की पिछले 5 वर्षों का वित्तीय वृतांत (2018-19 से 2022-23)	20
7.	नेफेड की सफलता का मंत्र	22
8..	नेफेड एक नज़र में	23
9.	सहकार से समृद्धि - कृषि विपणन में सहकारी समितियों की भूमिका	26
10.	अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (आईवाईओएम-2023)	29
11.	नेफेड का व्यापार क्षेत्र	36
	11.1 दलहन एवं तिलहन	37
	11.2 खाद्यान्न	40
	11.3 बागवानी	41
	11.4 प्रत्यक्ष व्यवसाय	43
	11.5 संस्थागत आपूर्ति	44
	11.6 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार	46
	11.7 फुटकर व्यापार	48
	11.8 जूट	51
	11.9 बीज व्यवसाय	52
	11.10 जैव - उर्वरक	56
	11.11 जैविक कृषि	57
	11.12 जलवायु अनुकूल नवाचार (सीआरआई)	59
	11.13 कृषक संपर्क और सुविधा (एफओएफ)	60
	11.14 संपत्ति और औद्योगिक इकाई	61
12.	विधिक और टाई-अप	65
13.	जनसंपर्क गतिविधियाँ	66
14.	कार्मिक एवं सतर्कता	69
15.	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)	70
16.	हिंदी	71
17.	राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एनएचआरडीएफ)	72
18.	वार्षिक लेखा	76

प्रबंध निदेशक

nafed
A Farmers' Cooperative

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित

संदेश

प्रिय साथियों,

इस वर्ष नेफेड ने 66 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं और हमें माननीय प्रधानमंत्री के "सहकार से समृद्धि" के दूरदर्शी लक्ष्यों के साथ एक ऊर्जस्वी और प्रभावशाली संघ के रूप में विकसित होने पर बहुत गर्व है। अभिनव क्षेत्रों में बहुमुखी परिचालन दक्षता, किसानों की आय बढ़ाने, उनके जीवन और आजीविका में सकारात्मक बदलाव लाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने का प्रयास करते हुए, नेफेड अब अपना ध्यान लक्ष्य प्राप्ति की ओर केंद्रित कर रहा है। राष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे प्राथमिक मिशन से कहीं अधिक है। इसलिए, हम सरकार के प्रमुख कल्याण क्रियाकलापों का सक्रिय रूप से समर्थन और अपने व्यापक सामाजिक उत्तरदायित्वों का निवर्हन करते रहते हैं।

मुझे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नेफेड की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस अवधि के दौरान, संघ ने लाभप्रदता की मजबूत स्थिति बनाए रखते हुए ₹ 21,404.58 करोड़ का कारोबार किया। परिचालन लाभ ₹ 437.64 करोड़ था। स्थापना और प्रशासनिक व्ययों सहित आस्थगित करों और आयकर देनदारियों को लेखाबद्ध करने के उपरांत, संघ का शुद्ध लाभ ₹ 264.51 करोड़ है।

मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में नेफेड की सदस्यता 978 से बढ़कर 994 हो गई है, और अंश पूंजी ₹ 41.02 करोड़ से बढ़कर ₹ 43.07 करोड़ हो गई है। हाल के वर्षों में नेफेड के लगातार मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सदस्य संघों / समितियों को 15% लाभांश प्रदान करना प्रस्तावित किया है।

नेफेड की प्रमुख विशेषता कृषि वस्तुओं की खरीद और विपणन है। मुख्य रूप से वर्ष के दौरान हमारे व्यवसाय का बड़ा हिस्सा दलहन, तिलहन, खाद्यान्न और प्याज की खरीद से हुआ था। नेफेड ने मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत 17,120.49 करोड़ रुपये मूल्य की कुल 30.44 लाख मीट्रिक टन दालें और तिलहन की खरीद की। इसके अतिरिक्त, नेफेड ने उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) के निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के तहत ₹91.23 करोड़ मूल्य की 0.15 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद भी की। नेफेड ने ₹300.01 करोड़ मूल्य के कुल 40,383.490 मीट्रिक टन तूर, मसूर और उड़द के आयातित स्टॉक भी खरीदे हैं।

प्याज के बफर स्टॉक के लिए नामित एजेंसी के रूप में नेफेड ने पैनल में शामिल सहकारी समितियों, किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के समर्थन से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में 385.73 करोड़ रुपये मूल्य के 2.69 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद की।

वर्ष के दौरान, नेफेड ने भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की ओर से विकेन्द्रीकृत खरीद के तहत असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में 28280 करोड़ रुपये मूल्य के 1.45 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न (धान) की खरीद की।

नेफेड ने राष्ट्रीय दलहन बफर से पूरे भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), मध्याह्न भोजन (एमडीएम) और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और विभिन्न राज्यों को 2,094.77 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 4.84 लाख मीट्रिक टन प्रसंस्कृत दालों की आपूर्ति की। इसके अलावा, नेफेड ने विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्य तेलों, चीनी, नमक, किराने की वस्तुओं आदि की आपूर्ति जारी रखी।

यह हमारे लिए गर्व की बात है कि संघ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, प्रतिष्ठित ऑर्डर हासिल करके विदेशी बाजार में अपनी मौजूदगी और पुख्ता कर रहा है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के निर्देशों के तहत, नेफेड ने सरकार-से-सरकार (G2G) व्यवस्था के भाग के रूप में ₹ 55.14 करोड़ की विभिन्न वस्तुओं का निर्यात किया। नेफेड ने विभिन्न कृषि वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एसटीसी, मॉरीशस के साथ एक समझौता ज्ञापन किया और ₹ 167.39 लाख मूल्य के 150 मीट्रिक टन चावल बासमती और ₹ 40.53 लाख मूल्य के 50 मीट्रिक टन चना दाल की सफलतापूर्वक सुपुर्दगी की है।

10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और उनके प्रोत्साहन के मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक के रूप में, नेफेड ने 31 मार्च, 2023 तक 646 किसान उत्पादक संगठनों का सफलतापूर्वक पंजीकरण किया, जिसके द्वारा नेफेड ने वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक के 28 राज्यों में 1167 किसान उत्पादक संगठनों के आवंटित लक्ष्य को भी पीछे छोड़ दिया। इसके जरिये लगभग ₹ 2.06 लाख किसान संगठित हुए। किसानों की आय बढ़ाने के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप ही किसानों/उत्पादकों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करने के व्यापक उद्देश्य के साथ, नेफेड आगामी वर्षों में पहल नवीन प्रयासों के माध्यम से व्यापक वृद्धि की ओर अग्रसर है।

नेफेड संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। नेफेड ने ही जैविक कृषि में विविधता लाई है और वर्तमान में तकनीकी भागीदारों के सहयोग से उड़ीसा राज्य में जैविक कृषि परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, नेफेड को उत्तर प्रदेश में परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत जैविक कृषि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 40 क्लस्टर प्रदान किए गए, विशेष रूप से वर्ष 2022-23 में महराजगंज और कुशीनगर जिलों में 20- 20 क्लस्टर, जो वर्तमान में प्रगतिशील हैं।

इसके अलावा, नेफेड ने इसी वित्तीय वर्ष के दौरान बीज व्यवसाय में ₹ 506.54 लाख, जैव उर्वरक व्यवसाय में ₹ 79.53 लाख और खुदरा व्यवसाय में ₹ 14.96 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने वर्षों से नेफेड के प्रति अटूट समर्थन और सहयोग प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और किसान हितैषी नीतियों ने हम सभी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय बढ़ाना है। मैं माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी और माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने किसानों के हित में नेफेड के कारोबार का विस्तार करने में अपना अमूल्य मार्गदर्शन और निर्देशन प्रदान किया।

मैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय और उपभोक्ता मामले मंत्रालय का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने देश के किसानों और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने वाली विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में नेफेड को अटूट समर्थन दिया है। मैं नेफेड को समय पर वित्तीय सहायता देने के लिए वित्त मंत्रालय का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिससे इन योजनाओं और कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन संभव हो सका।

मैं विदेश मंत्रालय को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिसने विभिन्न देशों को मानवीय सहायता और अन्य सहायता की आपूर्ति हेतु नेफेड पर अपना सतत विश्वास बनाए रखा। नेफेड डीजीएफटी, एनसीडीसी, एनसीयूआई, आरबीआई, एसबीआई, पीएसबी, पीएनबी, बीओबी, आंध्रा बैंक, केनरा बैंक, एपीडा, सीडब्ल्यूसी, एनएचबी, एसएफएसी, इफको, कृभको, एनसीसीएफ, एनएचआरडीएफ, एनएससी, ट्राइफेड, नागरिक आपूर्ति निगमों, केंद्रीय और राज्य भंडारण निगम, राज्य-स्तरीय बीज निगम, और अन्य सभी सरकारी विभाग और स्वायत्त निकाय का भी आभारी है, जिन्होंने लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नेफेड की सहायता की है।

मैं, माननीय अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों का भी अमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने सदस्य घटकों और अन्य सभी सहकारी संगठनों से मिली बहुमूल्य सहायता और सहयोग के लिए तहे-दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आइए हम देश के किसानों की सेवा करते हुए संघ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सहयोग और लगन से प्रयास करना जारी रखें।

अंत में, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि प्रदर्शन का यह स्तर केवल हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के अथक प्रयासों, समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण संभव हुआ है, जिन्होंने हमें आज जहां हम खड़े हैं, वहां लाने के लिए लगन से काम किया है। नेफेड उनके निरंतर समर्पण के लिए आशान्वित है क्योंकि हम हमारी आगे की यात्रा में और भी कई लक्ष्य हमारा इंतजार कर रहे हैं।

धन्यवाद

रितेश चौहान

अध्याय - 1

भारत में कृषि परिदृश्य: एक अवलोकन

पृष्ठभूमि

भारतीय कृषि ने कोविड-19 महामारी के बावजूद भी उन्नति प्रदर्शित की है। इस क्षेत्र में कार्यरत आधे से अधिक कार्मिकबल के साथ, इसने वर्ष 2020-21 में देश के सकल मूल्य वर्धन में लगभग 20% का योगदान दिया। भारत सरकार ने अपने सतत विकास में वृद्धि करने हेतु किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से संबंधित उपाय कार्यान्वित किए हैं।

भारत के लगभग 60% परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित हैं। लगभग 140.1 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध बुवाई भूमि के साथ, हमारा देश कृषि भूमि के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। हालाँकि, समय के साथ-साथ प्रति परिवार कृषि भूमि का आकार कम होती गई है। साथ ही देश के 86% से अधिक किसानों को छोटे और सीमांत श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जोतने योग्य भूमि का आकार छोटा होने, उत्पादन लागत बढ़ने, अस्थिर बाजार व्यवस्था और मृदा क्षरण, प्रतिकूल मौसम, भूजल स्तर में गिरावट और अनियमित बिजली आपूर्ति जैसी समस्याओं के कारण आर्थिक व्यवहार्यता एक चुनौती है।

परिवारों के लिए कृषि के महत्व को पहचानते हुए, भारत सरकार लगातार कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देती है। इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर तकनीक, आसान ऋण, बेहतर कृषि उपज और उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संवर्धित बाजारीय अवसर प्रदान करना है।

आगे की राह

वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 18.8% था। कृषि में सतत विकास सुनिश्चित करने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, भारत सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं। उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादन लागत को कम करने, फसलों में विविधता लाने, वास्तविक कीमतों में सुधार करने और गैर-कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने सहित प्रमुख आय वृद्धि संवाहकों पहचान करने के लिए एक अंतर-मंत्रालय समिति का गठन किया गया था।

सरकार का ध्यान सड़क, बिजली और सिंचाई जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश और कृषि में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए नीतिगत सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र का ध्यान उत्पादन के बजाय आय सृजन पर केंद्रित करना है। सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (कृषि सिंचाई योजना), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (फसल बीमा योजना), परम्परागत कृषि विकास योजना (पारंपरिक कृषि विकास योजना), मृदा स्वास्थ्य योजना, नीम लेपित यूरिया पहल और ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसी योजनाएं लागू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि करना, बाजारीय संपर्क प्रदान करना और किसानों की आय को बढ़ाना है।

10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और प्रोत्साहन से संबंधित केंद्रीय क्षेत्र योजना

केंद्रीय क्षेत्र योजना का लक्ष्य विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के माध्यम से 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना और प्रोत्साहन करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एसएफएसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, नेफेड, ट्राइफेड और एनडीडीबी सहित तेरह कार्यान्वयन एजेंसियों को मंजूरी दी गई है। किसान उत्पादक संगठनों का गठन उपज समूहों में किया जाता है, जिससे आर्थिक संवर्धन और बेहतर बाजार पहुंच संभव हो पाती है। क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठन (सीबीबीओ) किसान उत्पादक संगठनों के सृजन में सहायता करते हैं और पांच वर्ष तक सहयोग प्राप्त करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ क्लस्टर-

आधारित व्यावसायिक संगठन को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह योजना उत्पाद विशेषज्ञता और बाजार के अवसरों को बढ़ाने के लिए "एक जिला, एक उत्पाद" दृष्टिकोण का भी अनुसरण करते हैं। किसान उत्पादक संगठनों की 60% उपज के लिए बाजारीय संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों में इन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एनएफएसएम-सीसी के तहत कपास, जूट और गन्ने से संबंधित एक फसल विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)-

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) में बागवानी पर ध्यान केंद्रित करने वाली पांच योजनाएं शामिल हैं, जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) और केंद्रीय बागवानी संस्थान (सीआईएच), नागालैंड है।

भारत सरकार (जीओआई) और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन को वित्त पोषित किया जाता है। भारत सरकार उत्तर पूर्व और हिमालय राज्य के अलावा सभी राज्यों को 60% वित्त पोषण का अंशदान देती है, जबकि, उत्तर पूर्व और हिमालय राज्य के अलावा को 90% का अंशदान दिया जाता है। भारत सरकार एनएचबी, सीडीबी, सीआईएच नागालैंड और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों (एनएलए) को 100% वित्त पोषण प्रदान करती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एमआईडीएच को 2249.72 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। एमआईडीएच गतिविधियों के लिए 31 दिसंबर 2021 तक रु. 525.59 करोड़ जारी किए गए हैं। इसमें एनएचएम, एचएमएनईएच, सीडीबी, एनएचबी और सीआईएच को आवंटन शामिल हैं।

वर्ष 2005-06 में प्रारंभ हुए एकीकृत बागवानी विकास मिशन का लक्ष्य क्लस्टर दृष्टिकोण और हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ाना है। एनएचएम में 18 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के 384 जिले शामिल हैं। 16 राष्ट्रीय स्तरीय एजेंसियां (एनएलए) राष्ट्रीय स्तर की सहायता प्रदान करती हैं।

एनएचएम गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की आपूर्ति, बागवानी क्षेत्रों का विस्तार और कायाकल्प करने, प्रौद्योगिकी और ज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने, मानव संसाधनों को विकसित करने और फसल के बाद प्रबंधन और विपणन बुनियादी ढांचे का निर्माण करने जैसी मध्यस्थता पर ध्यान केंद्रित करता है। ये मध्यस्थता प्रत्येक राज्य/क्षेत्र की विशिष्ट कृषि-जलवायु स्थितियों के अनुरूप होती है।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)/राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी)

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और भूमिहीन मजदूरों द्वारा एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) के हिस्से के रूप में व्यापक रूप से मधुमक्खी पालन किया जाता है, जो एक कृषि गतिविधि है। फसल की पैदावार बेहतर होती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च पैदावार के माध्यम से किसानों और मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, मधुमक्खी पालन से शहद, मोम, मधुमक्खी पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और मधुमक्खी का जहर जैसे बहुमूल्य उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जो ग्रामीण के लिए आजीविका का साधन है। भारत की विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ शहद उत्पादन और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण क्षमता और अवसर प्रदान करती हैं।

मधुमक्खी पालन के महत्व को समझते हुए, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत उद्घोषणा के हिस्से के रूप में "राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)" की शुरुआत की है। इस योजना का बजट तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के लिए 500.00 करोड़ रुपये है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और विकसित करना और शहद उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाना है। मिशन में तीन मिनी मिशन (एमएम) में एमएम-I, एमएम-II और एमएम-III। शामिल हैं।

वर्ष 2021-22 के लिए इन पहलों का समर्थन करने और भारत में मधुमक्खी पालन के विकास को बढ़ावा देने के लिए एनबीएचएम के तहत 145.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)-

11वीं योजना के अंत तक चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) शुरू किया गया था। इस मिशन को कृषि क्षेत्रों का विस्तार, उत्पादकता में सुधार, मृदा की उर्वरता बहाली, रोजगार के अवसर बनाने और कृषि-स्तरीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हेतु बढ़ाया गया था। 12वीं योजना के दौरान, मिशन का लक्ष्य चावल, गेहूं, दालें और मोटे अनाज सहित 25 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन करना था।

वर्ष 2021-22 में 1.7 मिलियन मीट्रिक टन चावल, 1 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं, 1 मिलियन मीट्रिक टन दालें और 0.7 मिलियन मीट्रिक टन पोषक-सह-मोटे अनाज के उत्पादन का अतिरिक्त लक्ष्य रखा गया था। इस मिशन के जरिये उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों से संबंधित आवंटित आवश्यक संसाधनों और क्षमता निर्माण और स्थानीय पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस मिशन में पुरस्कारों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को भी पहचान दिलाई गई है।

वर्ष 2020-21 से, मिशन में प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, छोटे भंडारण डिब्बे और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर नम्यता हस्तक्षेप शामिल थे। वर्तमान में, एनएफएसएम 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के चिन्हित जिलों में लागू किया गया है। यह अलग-अलग राज्यों के विभिन्न जिलों में चावल, गेहूं, दालों और मोटे अनाज पर केंद्रित है। कार्यक्रम में कुछ जिलों में पोषक अनाज पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है।

सरकार ने 2014-15 से एनएफएसएम-सीसी के तहत कपास, जूट और गन्ना के लिए फसल विकास कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रशिक्षण के माध्यम से इन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। एनएफएसएम-सीसी में देश भर के कई राज्यों में कपास, जूट और गन्ना की फसल शामिल है।

राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (एनएमएसए)

राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (एनएमएसए) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का एक अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य संधारणीय कृषि प्रचलनों और अनुकूलन रणनीति को बढ़ावा देना है। वर्ष 2014-15 से लागू एनएमएसए, कृषि उत्पादकता, लाभप्रदता और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलता बढ़ाने पर केंद्रित है।

एनएमएसए के तहत प्रमुख पहलों में स्थान-विशिष्ट एकीकृत कृषि प्रणाली, मृदा और नमी संरक्षण उपाय, व्यापक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, कुशल जल प्रबंधन प्रथाएं और वर्षा आधारित प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल हैं। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य एकीकृत कृषि, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण के माध्यम से, विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है।

वर्ष 2018-19 से, एनएमएसए को हरित क्रांति-कृष्णोन्नति योजना के एक भाग के रूप में लागू किया गया है, जिसमें विभिन्न कृषि पहल शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) है, जो मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार के लिए उर्वरकों और जैविक खादों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है।

एसएचएम की सहायता करने के लिए, एनएमएसए किसानों को मृदा परीक्षण-आधारित सिफारिशें प्रदान करने के लिए मृदा और उर्वरक परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन प्रचलनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला कर्मचारियों, विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों के कौशल और ज्ञान को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रमों पर भी जोर देता है।

वर्ष 2022-23 के लिए कृषि उत्पादन और अग्रिम फसल अनुमान

तालिका -1 प्रमुख फसलों का क्षेत्र, उत्पादन और उपज

फसल	क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)				उत्पादन (मिलियन टन)				उपज (किलो/हेक्टेयर)			
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
चावल	441.56	436.62	457.69	463.79	116.48	118.87	124.37	130.29	2638.00	2722.00	2717.00	2809.00
गेहूँ	293.19	313.57	311.25	304.69	103.60	107.86	109.59	106.84	3533.00	3440.00	3521.00	3507.00
पोषक/मोटा अनाज	221.46	239.88	241.18	226.52	43.06	47.75	51.32	50.90	1944.00	1991.00	2128.00	2247.00
दालें	291.56	279.87	287.83	310.30	22.08	23.03	25.46	27.69	757.00	823.00	885.00	892.00
खाद्यान्न	1247.77	1269.95	1297.95	1305.30	285.21	297.50	310.74	315.72	2286.00	2343.00	2394.00	2419.00
तिलहन	247.94	271.39	288.33	291.67	31.52	33.22	35.95	37.70	1271.00	1224.00	1247.00	1292.00
गन्ना	50.61	46.03	48.51	51.48	405.42	370.50	405.40	431.81	80105.00	80497.00	83566.00	83887.00
कपास@	126.14	134.77	132.86	119.10	28.04	36.07	35.25	31.20	378.00	455.00	451.00	445.00
जूट एवं मेस्टा #	7.05	6.73	6.62	6.86	9.82	9.88	9.35	10.32	2508.00	2641.00	2542.00	2709.00

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
*चतुर्थ अग्रिम अनुमान
@ प्रत्येक 170 किलोग्राम की मिलियन गांठों में उत्पादन
# प्रत्येक 180 किलोग्राम मिलियन गाठों में उत्पादन

वर्ष 2010-11 से 2022-23 के दौरान भारत में मुख्य फसलों का श्रेणीवार उत्पादन

तालिका- 2:भारत में अनाज का उत्पादन

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

	रबी	खरीफ	कुल
2010-11	112.52	113.73	226.25
2011-12	116.98	125.22	242.20
2012-13	116.63	122.15	238.78
2013-14	123.09	122.70	245.79
2014-15	112.53	122.34	234.87
2015-16	115.66	119.56	235.22
2016-17	123.24	128.74	251.98
2017-18	128.44	131.16	259.60
2018-19	129.71	133.42	263.13
2019-20	138.59	135.89	274.48
2020-21	143.32	141.96	285.28
2021-22	140.09	146.68	286.77
2022-23	142.71	147.30	290.01

(स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

ग्राफ -1 भारत में अनाज उत्पादन

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

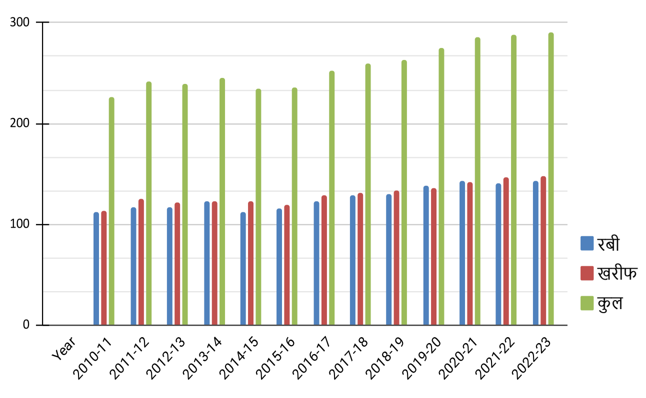

तालिका – 3 भारत में दालों का उत्पादन

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

	रबी	खरीफ	कुल
2010-11	7.12	11.12	18.24
2011-12	6.06	11.03	17.09
2012-13	5.92	12.43	18.35
2013-14	6.00	13.26	19.26
2014-15	5.73	11.42	17.15
2015-16	5.53	10.79	16.32
2016-17	9.58	13.55	23.13
2017-18	9.31	16.11	25.42
2018-19	8.09	13.98	22.07
2019-20	7.72	15.44	23.16
2020-21	8.49	17.09	25.58
2021-22	8.25	19.50	27.75
2022-23	17.47	7.85	25.32

(स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

ग्राफ – 2 भारत में दाल उत्पादन

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

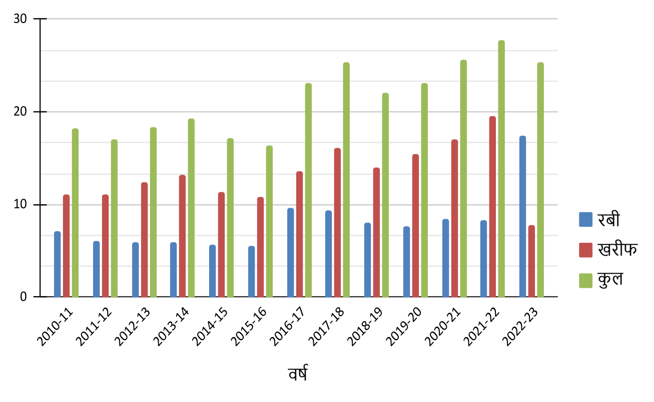

तालिका – 4 भारत में तिलहन उत्पादन

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

	रबी	खरीफ	कुल
2010-11	105.57	219.22	324.79
2011-12	91.08	206.91	297.99
2012-13	101.50	207.91	309.41
2013-14	101.26	226.24	327.50
2014-15	82.90	192.21	275.11
2015-16	85.53	166.98	252.51
2016-17	97.50	215.26	312.76
2017-18	104.53	210.06	314.59
2018-19	108.46	206.76	315.22
2019-20	109.72	222.47	332.19
2020-21	122.24	237.23	359.47
2021-22	137.91	247.07	384.98
2022-23	140.00	259.40	399.40

(स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

ग्राफ – 3 भारत में तिलहन उत्पादन

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

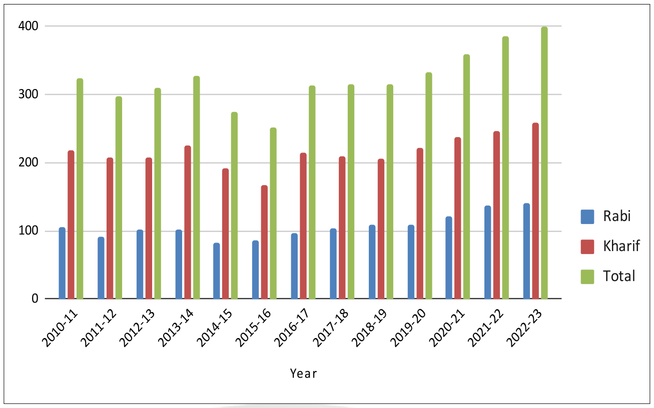

तालिका- 5 भारत में दालों का आयात

	मात्रा मीलियन मीट्रिक टन में	मूल्य करोड़ रूपये में
2010-11	2.78	7,512.00
2011-12	3.50	9,448.00
2012-13	4.02	13,357.00
2013-14	3.66	12,841.00
2014-15	4.63	17,273.00
2015-16	5.88	25,964.00
2016-17	6.66	28,751.00
2017-18	5.68	19,053.00
2018-19	2.60	8,290.00
2019-20	2.98	10,527.00
2020-21	2.51	12,154.00
2021-22	2.77	17,105.00
2022-23	2.52	15,985

(स्रोत: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

ग्राफ – 4 (क) मात्रा के संदर्भ में, भारत द्वारा दालों का आयात

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

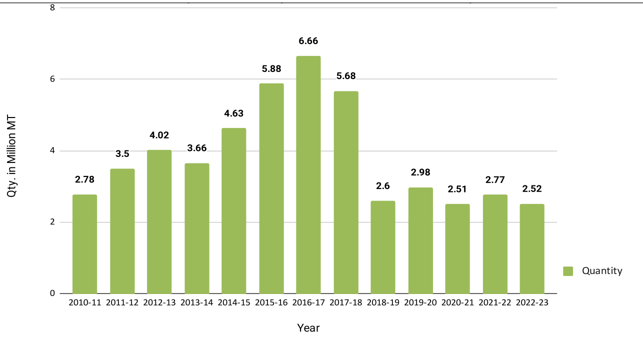

ग्राफ – 4 (ख) मूल्य के संदर्भ में, भारत द्वारा दालों का आयात

(मूल्य करोड़ ₹ में)

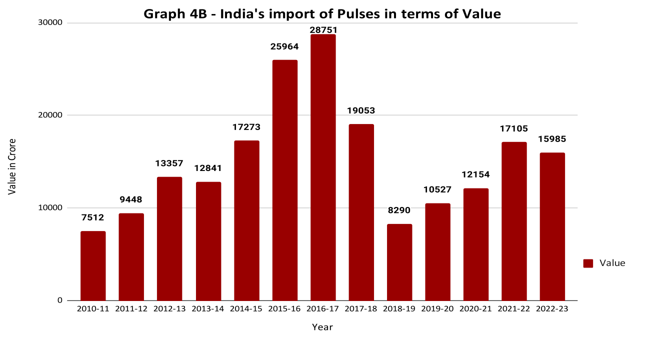

तालिका – 6 भारत में दालों के तुलनात्मक उत्पादन के सापेक्ष आयात

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

वर्ष	आयात	उत्पादन
2010-11	2.78	18.24
2011-12	3.50	17.09
2012-13	4.02	18.35
2013-14	3.66	19.26
2014-15	4.63	17.15
2015-16	5.88	16.32
2016-17	6.66	23.13
2017-18	5.68	25.42
2018-19	2.60	22.07
2019-20	2.98	23.16
2020-21	2.51	25.46
2021-22	2.77	27.30
2022-23	2.52	27.50

(स्रोत: उत्पादन आंकड़े: अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)
आयात आंकड़े : कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण

ग्राफ – 5 तुलनात्मक : भारत में दालों के उत्पादन के सापेक्ष आयात

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

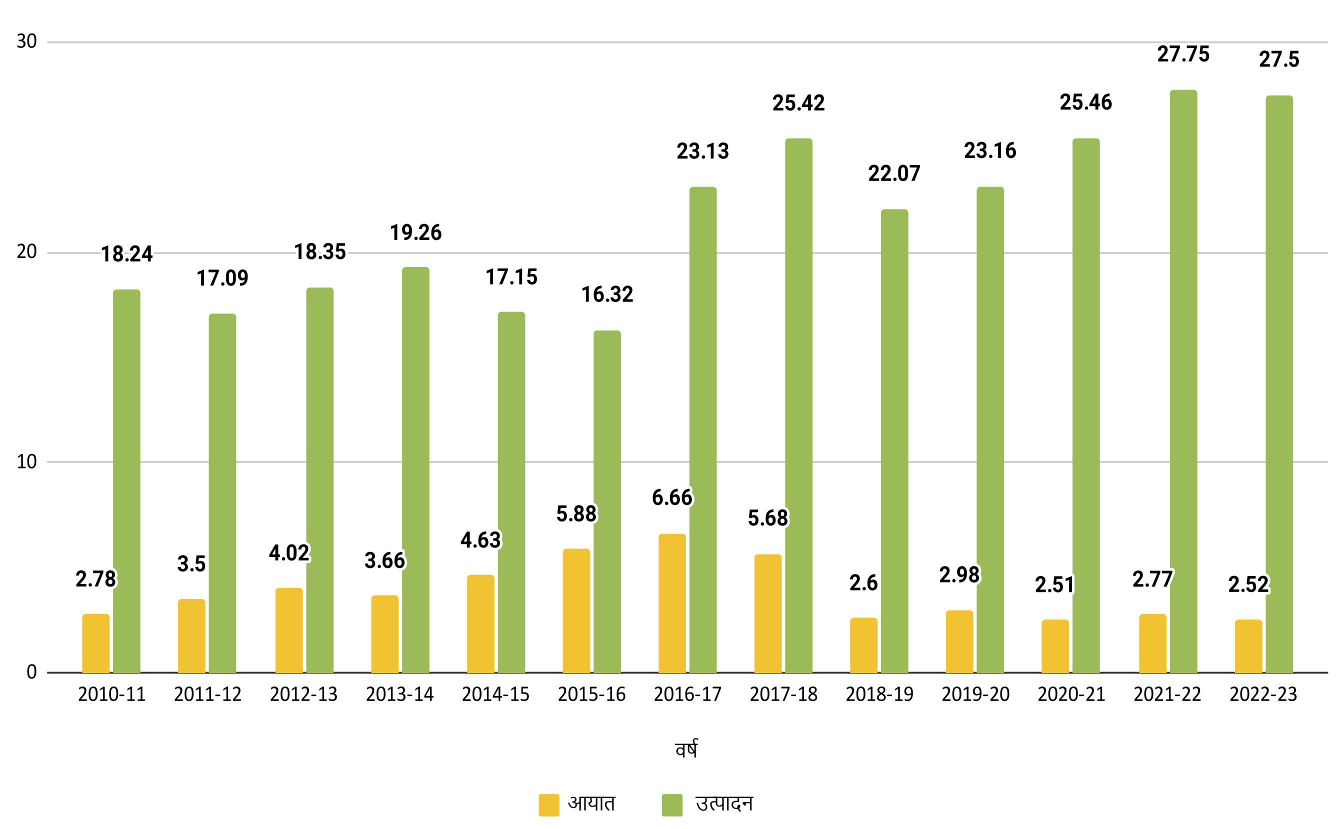

तालिका – 7 वनस्पति तेल का आयात (खाद्य और अखाद्य)

(मात्रा मीट्रिक टन में)

माह	2021-22			2020-21			
	खाद्य	अखाद्य	कुल	खाद्य	अखाद्य	कुल	% परिवर्तन
21 नवम्बर'	1,138,823	34,924	1,173,747	1,083,329	19,570	1,102,899	6%
12 दिसम्बर	1,216,863	9,823	1,226,686	1,328,161	28,424	1,356,585	-10%
22 जनवरी	1,251,926	18,802	1,270,728	1,074,635	22,034	1,096,669	16%
22 फरवरी	983,608	36,389	1,019,997	796,568	42,039	838,607	22%
2 मार्च'	1,051,698	52,872	1,104,570	957,633	22,610	980,243	13%
22 अप्रैल'	900,085	11,761	911,846	1,029,912	23,435	1,053,347	-13%
22 मई	1,005,547	55,869	1,061,416	1,213,142	36,506	1,249,648	-15%
22 जून	941,471	50,179	991,650	969,431	26,583	996,014	0%
22 जुलाई	1,205,284	9,069	1,214,353	917,336	63,288	980,624	24%
22 अगस्त'	1,375,002	26,231	1,401,233	1,016,370	37,440	1,053,810	33%
22 सितम्बर	1,593,538	43,701	1,637,239	1,698,730	63,608	1,762,338	-7%
22 अक्टूबर'	1,365,995	30,974	1,396,969	1,046,264	14,285	1,060,549	32%
कुल	**14,029,840**	**380,594**	**14,410,434**	**13,131,511**	**399,822**	**13,531,333**	**6.5%**

(स्रोत: सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया)

अध्याय - 2

सहकारिता : बेहतर भारत का निर्माण

सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों द्वारा और उनके लिए संयुक्त रूप से स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित लोगों द्वारा नियंत्रित उद्यम हैं, जिसका लक्ष्य उनकी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करना है। ये उद्यम निष्पक्षता, समानता और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें अपने मूल्यों और सिद्धांतों के मूल में रखते हैं। दुनिया भर में, सहकारी समितियाँ व्यक्तियों को सहयोग करने और स्थायी उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाती हैं जो स्थायी नौकरी के अवसर और समृद्धि पैदा करते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से संचालित, चाहे सदस्य ग्राहक हों, कर्मचारी हों, उपयोगकर्ता हों या निवासी हों, प्रत्येक व्यक्ति के पास 'एक सदस्य, एक वोट' नियम के तहत समान मतदान अधिकार होते हैं, भले ही उनका पूंजी योगदान कुछ भी हो। केवल लाभ के बजाय नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करके, सहकारी समितियाँ विश्व स्तर पर स्वीकार्य सिद्धांतों का पालन करती हैं, सहयोग के माध्यम से एक बेहतर दुनिया बनाने के अपने प्रयासों को एकजुट करती हैं। लोगों को अपनी आर्थिक नियति को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बनाते हुए, सहकारी समितियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि उनकी गतिविधियों के आर्थिक और सामाजिक लाभ उनके समुदायों के भीतर ही रहें। उत्पन्न लाभ या तो उद्यम में पुनर्निवेशित किये जाते हैं या सदस्यों को वापस कर दिया जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन और वैश्विक सहकारी आंदोलन (आईसीए)

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) सहकारी समितियों के लिए वैश्विक आवाज के रूप में कार्य करता है, जिसे सहकारी मॉडल की वकालत करने के लिए 1895 में स्थापित किया गया था। आज, सहकारी समितियों में दुनिया की आबादी का 12% से अधिक शामिल है, जिसमें 3 मिलियन ऐसे उद्यम एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सीमांत होने के विपरीत, सहकारी आंदोलन पर्याप्त है, जिसमें 12% से अधिक मानवता दुनिया भर में 3 मिलियन सहकारी समितियों में से एक के सदस्य हैं।विश्व सहकारी मॉनिटर (2020) के अनुसार, शीर्ष 300 सहकारी समितियों और म्यूचुअल ने $ 2,146 बिलियन अमरीकी डालर के संयुक्त कारोबार की सूचना दी है। ये सहकारी समितियां स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व स्तर पर 280 मिलियन लोगों को स्थिर, उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो नियोजित आबादी का 10% प्रतिनिधित्व करती हैं। सदस्य-स्वामित्व वाली, सदस्य-संचालित और सदस्य-सेवा संस्थाओं के रूप में, सहकारी समितियां सामाजिक और मानव पूंजी को बढ़ावा देने और सामुदायिक विकास का समर्थन करते हुए व्यक्तियों को अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए

सशक्त बनाती हैं। आईसीए विश्व स्तर पर सबसे बड़े गैर-सरकारी संगठनों में से एक के रूप में खड़ा है, जो दुनिया भर में 3 मिलियन सहकारी समितियों के1 बिलियन से अधिक सहकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

आईसीए के अनुसार सहकारी की परिभाषा

एक सहकारी व्यक्तियों का एक स्व-शासी समूह है जो संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से शामिल होते हैं। स्व-सहायता, आत्म-जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता, इक्विटी और एकजुटता जैसे मूल्यों को गले लगाते हुए, सहकारी सदस्य ईमानदारी, खुलेपन, सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों की देखभाल जैसे नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। आईसीए द्वारा परिभाषित ये सहकारी सिद्धांत, इन मूल्यों को कार्रवाई में लाने के लिए दिशानिर्देशों के रूप में कार्य करते हैं:

1. **स्वैच्छिक और खुली सदस्यता:** सहकारी समितियाँ बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए खुली हैं, और सदस्य स्वेच्छा से सदस्यता की ज़िम्मेदारियाँ स्वीकार करते हैं।

2. **लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण:** सदस्य निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्यता के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्राथमिक सहकारी समितियों में प्रत्येक सदस्य का समान वोट होता है।

3. **सदस्य आर्थिक भागीदारी:** सदस्य सहकारी समिति की पूंजी में योगदान करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से उसे नियंत्रित करते हैं। अधिशेष का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिससे सहकारी समिति और उसके सदस्यों को लाभ होता है।

4. **स्वायत्तता और स्वतंत्रता:** अन्य संगठनों के साथ सहयोग करने या बाहरी पूंजी जुटाने पर भी सहकारी समितियां अपनी स्वायत्तता बनाए रखती हैं और आत्मनिर्भर होती हैं।

5. **शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना:** सहकारी समितियां सदस्यों, प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों को उनके योगदान को बढ़ाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। वे सहयोग की प्रकृति और लाभों के बारे में जागरूकता को भी बढ़ावा देते हैं।

6. **सहकारी समितियों के बीच सहयोग:** सहकारी समितियां स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करके आंदोलन को मजबूत करती हैं।

7. **समुदाय के लिए चिंता:** सहकारी समितियां अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के आधार पर अपने समुदायों के सतत विकास के लिए सक्रिय रूप से काम करती हैं।

सहकारी समितियों का महत्व

सहकारी समितियां स्थानीय संसाधनों को पहचानने और उपयोग करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने, आय पैदा करने और गरीबी उन्मूलन में योगदान करके स्थानीय विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा, वे सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बनाए रखते हुए बाजार पहुंच की सुविधा प्रदान करती हैं और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाती हैं, जिससे बड़े शहरों में स्थानीय आबादी के प्रवास पर अंकुश लगता है।

भारत में सहकारी आंदोलन

भारत में सहकारी समितियों की उत्पत्ति 1890 के दशक के अंत में हुई जब पश्चिमी महाराष्ट्र में किसानों ने कृषि ऋणों के संबंध में साहूकारों के उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह किया। 1904 में, भारत में ब्रिटिश सरकार ने महाराष्ट्र में गरीब किसानों के हितों की रक्षा के लिए सहकारी समिति अधिनियम पेश किया। स्वतंत्रता के बाद, सहकारी आंदोलन को गति मिली क्योंकि सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना। इसने सहकारी क्षेत्र की योजनाओं को अपनी पंचवर्षीय कार्य योजनाओं में एकीकृत किया, जिससे प्रत्येक गांव में कम से कम एक सहकारी समिति की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया और सहकारी फार्मों की सुविधा प्रदान की गई। समय के साथ, इन समितियों का विस्तार कृषि बाजारों से लेकर ऋण, आवास, विकास, मछली पकड़ने, बैंकिंग और अन्य बड़े पैमाने के क्षेत्रों तक हो गया, जिससे विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का उदय हुआ। आर्थिक विकास और बढ़ी हुई प्रयोज्य आय ने भी भारत में सहकारी समितियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सहकारी समितियाँ:

भारत के समग्र विकास के लिए आगे का रास्ता भारत सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के साथ भारत में सहकारी समितियों में एक नई रुचि देखी गई है। जैसा कि कैबिनेट सचिवालय की राजपत्रित अधिसूचना में कहा गया है, इस मंत्रालय का गठन पिछले कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय से प्रासंगिक कार्यों को स्थानांतरित करके किया गया था। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में और माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा द्वारा सहायता प्राप्त, मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख सचिव, सहकारिता है। मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार करना है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर वास्तविक जन-आधारित सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, एक सहकारी-आधारित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देना है जहां सदस्य जिम्मेदारी से काम करते हैं। मंत्रालय की मुख्य गतिविधियों में व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सहकारी समितियों के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना शामिल है। इसका ध्यान सहकारी समितियों को मजबूत करने और आधुनिकीकरण करने, पारदर्शिता और कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने और वंचित ग्रामीण समुदायों के लिए सुलभ विकास सुनिश्चित करने पर है। अंतिम लक्ष्य हर गांव को सहकारी समितियों से जोड़ना है, "सहकार से समृद्धि" के मंत्र के माध्यम से समृद्धि को बढ़ावा देना है, जो अंततः देश की समग्र समृद्धि में योगदान देगा।

वोकल फॉर लोकल

भारतीय सहकारी आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, जिसमें देश के लगभग सभी गाँव शामिल हैं। समावेशी विकास और सामुदायिक विकास पर ध्यान देने के साथ, सहकारी समितियों ने आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने और सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में विविधता ला दी है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके, स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देकर और सदस्यों और समुदाय दोनों के लिए धन पैदा करके, ये सहकारी समितियाँ आत्मनिर्भर उद्यम बन गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए, जो केवल शहरी क्षेत्रों और औद्योगीकरण पर निर्भर नहीं रह सकता है, सहकारी समितियाँ इसके विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए, इस क्षेत्र के योगदान को पहचानना और समर्थन करना महत्वपूर्ण है।

शीर्ष सहकारी संघ के रूप में नेफेड की भूमिका

नेफेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, कृषि वस्तुओं के लिए भारत की सबसे बड़ी खरीद और विपणन एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के कल्याण और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। घाटे में चल रही सहकारी संस्था से एक लाभदायक इकाई में बदलते हुए, नेफेड ने 360 डिग्री का उल्लेखनीय बदलाव दिखाया है। एक सक्रिय दृष्टिकोण के साथ, यह भारत की 1.3 बिलियन की विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा है। राष्ट्रीय सीमाओं से परे, नेफेड प्राकृतिक आपदाओं के समय अविकसित देशों की सहायता करके मानवीय प्रतिबद्धताओं को सक्रिय रूप से पूरा करता है। जब आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो भारत सरकार द्वारा निर्देशित खाद्यान्न सहित राहत सामग्री के वितरण को लगन से निष्पादित करने के लिए नेफेड पर निर्भर करती है।

अध्याय- 3 निदेशक मंडल

डॉ. बिजेंदर सिंह
अध्यक्ष

डॉ. सुनील कुमार सिंह
उपाध्यक्ष

अन्य निदेशकगण

श्री दिलीप संघानी

डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव

श्री भंवर सिंह शेखावत

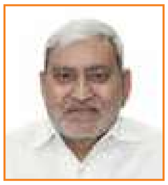

श्री आर. एस. जून

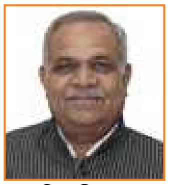

श्री जगजीत सिंह सांगवान

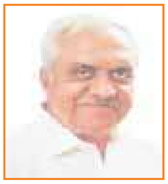

श्री नाना साहिब दत्ताजी पाटिल

श्री विशाल सिंह

श्री तरलोक सिंह

श्री मगनलाल दांजीबाई वडाविया
(29.04.2022 से)

श्री परेश भाई पटेल
(29.04.2022 से)

श्री पतंगे जयवंत राव
(15.11.2022 तक)

श्री गुरूनाथ रेड्डी
(16.11.2022 से)

श्री आदित्य यादव
(22.06.2022 तक)

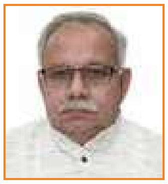

श्री राकेश गुप्ता
(23.06.2022 से)

डॉ. वी.के.एस. कुमार

श्री प्रद्म्न, पी.एस, आईएएस
(08.12.2022 तक)

श्री राहुल पाण्डेय, आईएफएस
(09.12.2022 से)

श्री दिनेश कुमार, आईएएस
(18.04.2022 तक)

श्रीमती श्रेया गुहा, आईएएस
(19.04.2022 से)

श्री पी. नरहरि, आईएफएस
(25.09.2022 तक)

श्री आलोक कुमार, आईएएस
(उप श्री पी. नरहरि, आइएएस)

श्री अशोक ठाकुर,
सरकार द्वारा नामित

श्री राजबीर सिंह, आईएफएस,
एमडी (30.04.2023 तक)

श्री रितेश चौहान, आईएएस, एमडी
(01.05.2023 से)

सहयोजित निदेशकगण

श्री अजय कुमार राय

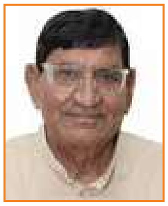
श्री मोहन भाई के. कुंदारिया

विशेष आमंत्रित

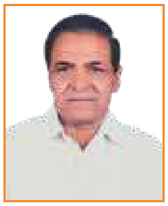
श्री मांगी लाल डांगा

फंक्शनल निदेशकगण

श्री सुनील कुमार सिंह
अपर प्रबंध निदेशक

श्री पंकज के. प्रसाद
अपर प्रबंध निदेशक

श्री एस.के. वर्मा
अपर प्रबंध निदेशक (कार्यवाहक)

(श्री ए.के. रथ)
अपर प्रबंध निदेशक (कार्यवाहक)

नेफेड की प्रबंधन टीम

श्री रितेश चौहान, आईएएस
प्रबंध निदेशक

श्री सुनील कुमार सिंह
अपर प्रबंध निदेशक

श्री पंकज कुमार प्रसाद
अपर प्रबंध निदेशक

श्री एस.के. वर्मा
अपर प्रबंध निदेशक (कार्यवाहक)

श्री ए.के. रथ
अपर प्रबंध निदेशक (कार्यवाहक)

श्री कमलेंद्र श्रीवास्तव
कार्यकारी निदेशक

अध्याय - 5

वर्ष 01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान नेफेड की बैठकें और सदस्यता

निदेशक मंडल	व्यापार समिति	कार्यकारिणी समिति	वित्त – लेखा और लेखा परीक्षा	परियोजना और विकास समिति
30.04.2022	21.08.2022	21.08.2022	30.04.2022	21.08.2022
21.08.2022	15.12.2022	15.12.2022	21.08.2022	___
30.09.2022	21.03.2023	21.03.2023	--------	---------
15.12.2022	------------	-----------	--------	----------
18.01.2023	_______	------------	----------	---------
21.03.2023	-----------	-----------	------------	----------

नेफेड की सदस्यता

वर्ष 2022-23 के दौरान नेफेड के सदस्यों की संख्या 978 से बढ़कर 994 हो गई है।

सदस्यता की विस्तृत संरचना इस प्रकार है:-

क्र.सं.	सदस्यों की श्रेणी	31.04.2022 तक सदस्यों की कुल संख्या	31.03.2023 तक सदस्यों की कुल संख्या
1.	राज्य स्तरीय विपणन संघ	26	26
2.	शीर्ष स्तरीय विपणन संघ	03	03
3.	राज्य स्तरीय जनजातीय एवं जिंस संघ	25	25
4.	प्राथमिक विपणन/प्रसंस्करण समितियाँ	922	938
5.	एनसीसीएफ और अन्य राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संगठन	02	02
	कुल	978	994

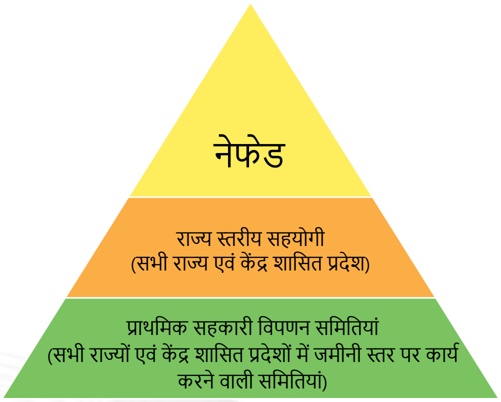

नेफेड की पहुँच

नेफेड की पिछले पांच वर्षों की वित्तीय यात्रा (2018-19 से 2022-23)

अध्याय - 6

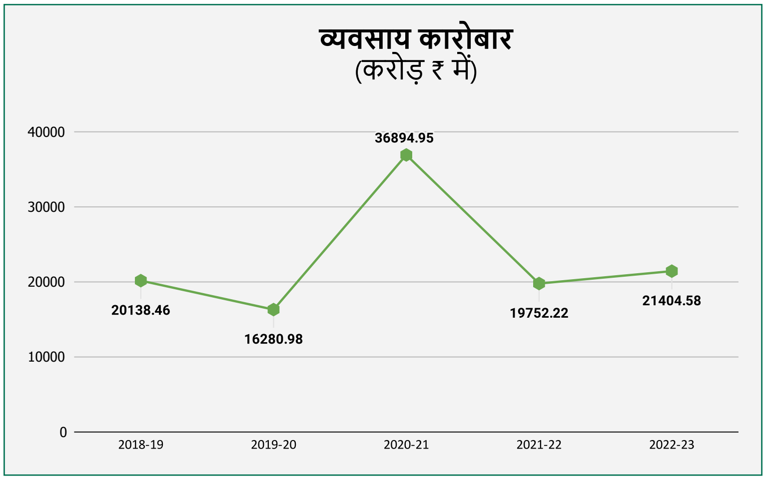

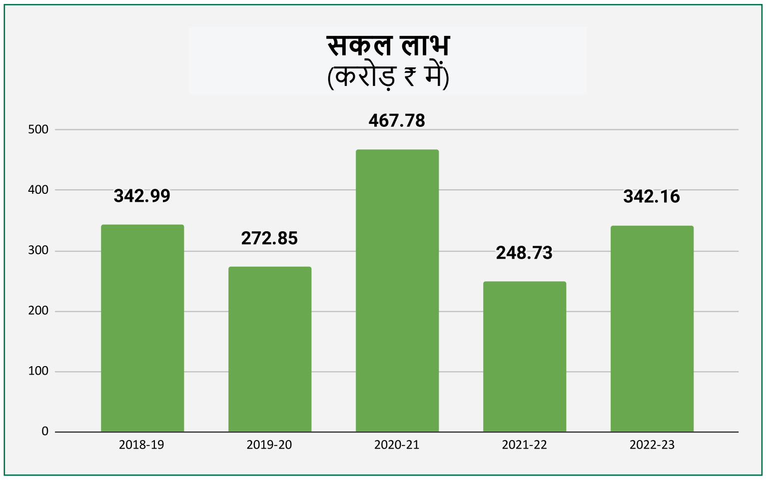

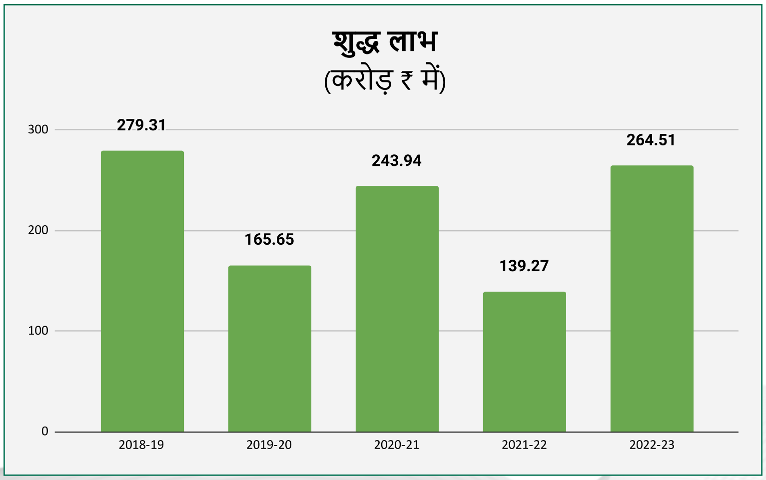

नेफेड की वित्त वर्ष 2022-23 की व्यापारिक उपलब्धियां

कारोबार
(₹ 21,404.58 करोड़)

परिचालन लाभ
(₹ 341.85 करोड़)

शुद्ध लाभ
(₹ 264.51 करोड़)

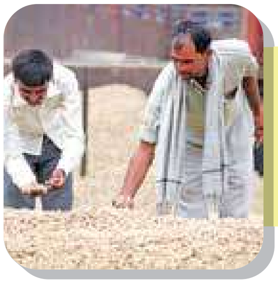

₹ 17511.73 करोड़ मूल्य के 30.99 लाख मी. टन दलहन (पीएसएस/पीएसएफ एवं तिलहन (पीएसएस) की खरीद

₹ 55.14 करोड़ मूल्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

₹ 342.64 करोड़ मूल्य के 166276.014 मी. टन खाद्यान्न की खरीद

₹ 14.96 करोड़ मूल्य का खुदरा व्यवसाय

₹ 9061.93 करोड़ मूल्य की संस्थागत आपूर्ति

₹ 9.11 करोड़ मूल्य की जैविक कृषि सहित जैव उर्वरक व्यवसाय

पीएसएफ के तहत ₹ 385.73 करोड़ मूल्य के 2.69 लाख मी. टन प्याज की खरीद

₹ 58.27 करोड़ मूल्य का बीज व्यवसाय

अध्याय - 7

नेफेड की सफलता का मंत्र

मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस)

किसानों को बीज आपूर्ति

मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ)

सेना एवं अर्धसैनिक बलों को आपूर्ति

कल्याणकारी योजनाओं हेतु आपूर्ति

जैव उर्वरक

खुदरा व्यवसाय

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

बायो-सीबीजी

नेफेड की एक झलक

अध्याय - 8

लक्ष्य, उद्देश्य और कार्य

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) की स्थापना 2 अक्तूबर 1958 को गांधी जयंती के शुभ दिन पर की गई थी और यह बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

नेफेड का मिशन किसानों के लाभ के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना है। नेफेड का उद्देश्य कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित करना, बढ़ावा देना और विकसित करना है; अंतर-राज्यीय, आयात और निर्यात व्यापार, थोक या खुदरा, जैसा भी मामला हो और भारत में अपने सदस्यों, भागीदारों, सहयोगियों और सहकारी विपणन, प्रसंस्करण और आपूर्ति समितियों के प्रचार और कामकाज के लिए कृषि उत्पादन में कार्य करना और सहायता करना।

नेफेड कृषि, बागवानी और वन उपज के लिए सबसे बड़ी खरीद और विपणन एजेंसियों में से एक है, जो किसानों के लिए कृषि को व्यवहार्य और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इस प्रकार बड़े पैमाने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। नेफेड, अपने देशव्यापी परिचालन के माध्यम से, किसानों की जीवन स्तर में सुधार लाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगठन की विविध गतिविधियाँ न केवल किसानों, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। बड़े स्तर पर, नेफेड के अथक देशव्यापी कृषि संबंधी संचालन राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और किसानों को कुशल बाजार संपर्क प्रदान करते हैं।

नेफेड भारत सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय बफर निर्माण के माध्यम से प्याज और दालों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमत स्थिरीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेतिहर किसान नेफेड के मुख्य सदस्य हैं, जिन्हें नेफेड की कार्यप्रणाली में सामान्य निकाय के सदस्य के रूप में अपनी बात कहने का अधिकार है।

नेफेड का प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है, जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सम्मिलित हैं। बोर्ड की सहायता 2 स्थायी समितियां कार्यकारिणी- समिति और व्यवसाय समिति करती हैं। इसके अलावा, बोर्ड एमएससीएस अधिनियम / नियमों और नेफेड की उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार दो और समितियों / उप-समितियों का भी गठन कर सकता है। नेफेड विगत 6 से अधिक दशकों से देश के किसानों और उपभोक्ताओं की निरंतर सेवा कर रहा है।

एक शीर्ष स्तरीय सहकारी समिति

भारत में सहकारी समितियां किसानों की उपज के विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इन सहकारी समितियों ने देश की कृषि में अद्वितीय स्थान बनाया है । देश के लगभग सभी द्वितीयक बाजारों में प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों की उपस्थिति है। जो राज्य विपणन संघों के सदस्य होते हैं जो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर नेफेड के सदस्य हैं। इस प्रकार, नेफेड भारत में शीर्ष स्तरीय सहकारी विपणन संघ है, जिसकी देश भर के सुदूर हिस्सों में इसकी तीन स्तरीय संरचना के माध्यम से सीधी पहुंच है, जिसमें सबसे नीचे प्राथमिक सहकारी समितियाँ, मध्य में राज्य स्तरीय सहकारी समितियाँ और शीर्ष पर नेफेड शामिल है। नेफेड की गतिविधियाँ किसानों के हितों की रक्षा करके कृषि की बेहतरी में योगदान करती हैं। नेफेड अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) का भी सदस्य है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, नेफेड के 994 सदस्य हैं, जिनका प्रतिनिधित्व शीर्ष स्तर के विपणन / उपभोक्ता सहकारी समितियां / अन्य राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य स्तरीय विपणन / जनजातीय / जिंस संघों और प्राथमिक सहकारी विपणन / प्रसंस्करण समितियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

नेफेड के व्यवसाय परिचालन

देशीय परिचालन

- **मूल्य समर्थन संचालन का कार्यान्वयन:** नेफेड मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भारत सरकार की केंद्रीय नोडल एजेंसियों में से एक है। जब भी कीमतें भारत सरकार द्वारा

घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम हो जाती हैं, तो नेफेड एमएसपी पर तिलहन, दलहन और छिलके रहित नारियल, मिलिंग/बॉल कोपरा की अधिसूचित फसलों की खरीद करता है।

- प्रत्यक्ष लेखों में मसालों की खरीद और विपणन करना।
- भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) योजना के अंतर्गत दालों और प्याज की खरीद के लिए केंद्रीय एजेंसियों में से एक के रूप में कार्य करना।
- यह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की ओर से एक नोडल राज्य एजेंसी है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, आईसीडीएस कल्याण योजनाओं के अंतर्गत सेना, सीपीएमएफ और राज्य सरकारों को संसाधित दालों की आपूर्ति करना।
- संधारणीय कृषि के लिए जैव उर्वरकों का उत्पादन और विपणन करना।
- विभिन्न प्रकार के कृषि और नगरपालिका अपशिष्टों का उपचार करके संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) का उत्पादन करना।

जैविक कृषि: उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा और उत्तराखंड राज्यों में जैविक कृषि को अपनाने और प्रमाणन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनुभव के साथ, 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को शामिल किया गया है।

नेफेड के ब्रांड के अंतर्गत प्रमाणित बीजों का उत्पादन: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू), भारत सरकार के केंद्रीय बीज एजेंसियों में से एक नेफेड बीज मिनी किट वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों को सामान्य आपूर्ति के सापेक्ष दलहन, तिलहन और अनाज के प्रमाणित बीज का उत्पादन, वितरण और विपणन करता है।

औद्योगिक इकाइयाँ: समूचे देश में नेफेड के पास भूमि, भूखंड, आवासीय परिसर, कार्यालय परिसर, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और औद्योगिक इकाइयों के रूप में कई परिसंपत्तियां हैं।

खुदरा व्यवसाय: नेफेड ने उपभोक्ता उत्पादों की अपनी श्रृंखला विकसित की है, जिसका विपणन नेफेड के ब्रांड नाम के तहत नेफेड बाज़ारों के खुदरा दुकानों और इसके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

नेफेड के पास सभी प्रकार की कृषि वस्तुओं जैसे दालें, खाद्यान्न, मसाले, खाद्य तेल, ताजे फल और सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के आयात/निर्यात के लिए दशकों का समृद्ध अनुभव, विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचा है।

भारत सरकार की ओर से मानवीय राहत और अन्य सहायता का शिपमेंट: नेफेड विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से मानवीय सहायता के लिए विभिन्न देशों को कृषि-वस्तुओं और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करता है।

नेफेड का बुनियादी ढांचा और पहुंच

नेफेड का बुनियादी ढांचा नेफेड शाखाओं, उप-कार्यालयों, औद्योगिक इकाइयों, बाजार यार्डों आदि के नेटवर्क और त्रि-स्तरीय सहकारी नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में फैला हुआ है।

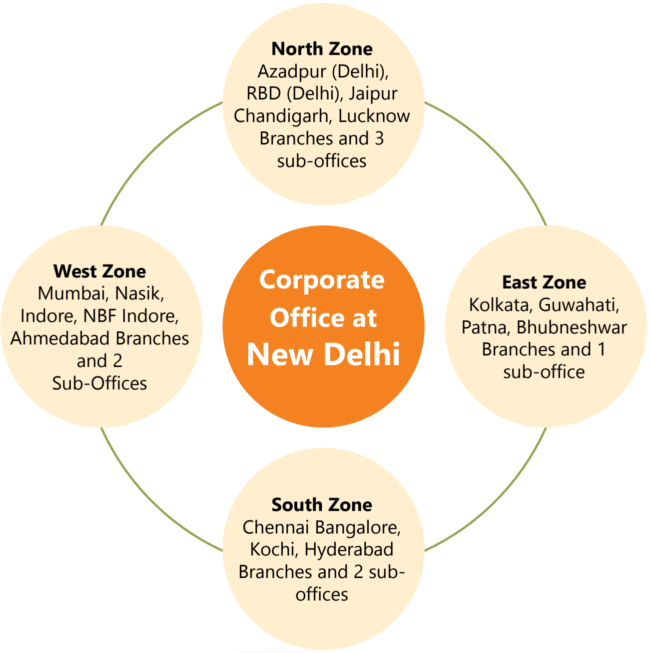

नेफेड का नेटवर्क

NORTH ZONE [5 BRANCH & 3 SUB OFFICE IN 5 STATES]
SOUTH ZONE [4 BRANCH & 2 SUB OFFICE IN 5 STATES]
WEST ZONE [5 BRANCH & 2 SUB OFFICE IN 3 STATES]
EAST ZONE [5 BRANCH & 1 SUB OFFICE IN 5 STATES]
JAMMU & KASHMIR
HIMACHAL PRADESH
SHIMLA [SUB-OFFICE]
PUNJAB
CHANDIGARH
UTTARAKHAND
HARYANA
[DELHI] [HEAD-OFFICE]
RUDRAPUR [SUB-OFFICE]
AZADPUR
SIKKIM
SRI GANGANAGAR [SUB-OFFICE]
JAIPUR
RAJASTHAN
LUCKNOW
UTTAR PRADESH
BIHAR
PATNA
GUWAHATI
ASSAM
NAGALAND
MEGHALAYA
MANIPUR
TRIPURA
MIZORAM
AHMEDABAD
GUJARAT
RAJKOT [SUB-OFFICE]
INDORE
BHOPAL
MADHYA PRADESH
CHATTISGARH
JHARKHAND
RANCHI [SUB-OFFICE]
WEST BENGAL
KOLKATA
NASHIK
NAGPUR [SUB-OFFICE]
RAIPUR
BHUBNESHWAR
ODISHA
MUMBAI
MAHARASHTRA
ANDHRA PRADESH
HYDERABAD
VIJAYAWADA [SUB-OFFICE]
KALABURGI [SUB-OFFICE]
KARNATAKA
TELANGANA
BANGALORE
CHENNAI
KERALA
TAMIL NADU
LAKSHADWEEP
KAVARATTI
COCHIN
PORT BLAIR
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
MAP NOT TO SCALE

अध्याय - 9

सहकार से समृद्धि : कृषि विपणन में सहकारी समितियों की भूमिका

नेफेड ने 22 अगस्त, 2022 को भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में "कृषि विपणन में सहकारी समितियों की भूमिका" पर एक अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह थे। सम्मानित अतिथियों में माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शामिल थे।

सम्मेलन में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ-साथ मध्य प्रदेश सरकार के राज्य कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य विभूतियों ने भाग लिया। अन्य हितधारकों के साथ, सम्मेलन में देश भर से सहकारी समितियों के प्रमुखों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सीबीबीओ, नेफेड की सदस्य समितियों, मध्य प्रदेश राज्य की समितियों, निदेशक मंडल और वरिष्ठ नेफेड अधिकारियों ने भाग लिया।

भारत सरकार द्वारा नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के कारण भारत में सहकारी आंदोलन को नया जीवन और शक्ति मिली है। इस अवसर पर बोलते हुए, श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण भारत में "सहकार से समृद्धि" और समृद्धि के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने नए दृष्टिकोण रखने, खुले तौर पर व्यापार करने और सहकारी समितियों की विशेषज्ञता के क्षेत्रों का विस्तार करने के महत्व पर बल दिया।

सम्मेलन के तकनीकी सत्रों के दौरान, प्रतिभागियों ने कृषि उत्पादों के अधिग्रहण और विपणन में प्राथमिक और राज्य /शीर्ष स्तर की सहकारी विपणन समितियों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा की। फार्म गेट जैसे ग्रेडिंग, भंडारण, प्रसंस्करण और रसद, विशाल क्षमता के रूप में स्पष्ट हो गया है, पर विभिन्न पूर्व और बाद की गतिविधियों और सेवाओं में इन समितियों को शामिल करना। परिणामस्वरूप, प्रबंधन व्यय कम हो जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा, और किसानों को अधिक मूल्य लाभ प्राप्त होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों तक महत्वपूर्ण सामान और राशन की डिलीवरी केवल एक उदाहरण है कि कैसे विपणन समितियां पहले से ही राज्य और केंद्र सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

सम्मेलन के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान और निर्देशन में नेफेड द्वारा निर्मित ओडीओपी रेंज के सामान लॉन्च किए गए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रभावी विपणन कनेक्शन और अन्य सेवाएं स्थापित करने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की हैं। "एक जिला, एक उत्पाद" पीएमएफएमई एक ऐसा कार्यक्रम है जो इनपुट खरीद, साझा सेवाओं के उपयोग और उत्पाद विपणन के मामले में पैमाने से लाभ उठाने के लिए एक जिला, एक उत्पाद अवधारणा का उपयोग करता है।

छह ओडीओपी उत्पादों का शुभारंभ

1. **मधुरमिठास का मसाला गुड़** (गुड़) शुद्ध गुड़ पाउडर और मसालों का एक पौष्टिक मिश्रण है। इसे गुड़ और एक विशेष मसाला मिश्रण के उत्तम संयोजन के साथ विकसित किया गया है ताकि शर्करायुक्त और वातित पेय से विचलन को प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे स्वस्थ शीतल पेय के चयन को बढ़ावा मिले। हमारे शुद्ध गुड़ से बने व्यंजन स्वस्थ विकल्प चाहने वालों के लिए एकदम सही विकल्प हैं।

2. **रागी कुकीज़** प्रीमियम गुणवत्ता वाली रागी से बनाई जाती हैं, जो स्नैकिंग के लिए कम कैलोरी वाली कुकीज़ पेश करती हैं। इन्हें सफेद चीनी मिलाए बिना रागी, गुड़ और मक्खन के संयोजन का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जो स्वस्थ स्नैकिंग को बढ़ावा देता है। ये कुकीज़ संयुक्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं और एक पौष्टिक स्नैक विकल्प बनाती हैं।

3. **चटपटा सूखा आंवला** हाथ से चुने गए आंवला फल से बनाया जाता है, इसके पोषक तत्वों को संरक्षित करने के लिए सावधानीपूर्वक और स्वच्छता से संसाधित किया जाता है। गुड़ और प्राकृतिक मसालों का उपयोग इसके स्वाद को बढ़ाता है, जिससे उभरते स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। यह उत्पाद बिना किसी परिरक्षकों के एक उत्तम स्वस्थ नाश्ते के रूप में कार्य करता है।

4. **चाट मसाला** प्रीमियम गुणवत्ता वाले धनिये के बीज से बनाया जाता है, जिसमें कम नमक सामग्री और पारंपरिक भारतीय मसाले और सामग्री शामिल होती है। यह किसी भी भारतीय व्यंजन में एक अनोखा, मसालेदार स्वाद जोड़ता है। हमारे चाट मसाला की विशेष विशेषता इसकी कम नमक सामग्री है, जो इसे उच्च रक्तचाप और हृदय/किडनी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों सहित सभी के लिए उपयुक्त बनाती है।

5. **स्पाइसी पाइनएप्पल फ्रूट बार** मेघालय के रसदार अनानास फलों से बना एक स्नैक है। इसका एक टुकड़ा ही आपको अंदर से तरोताजा करने के लिए काफी है। स्वस्थ जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए, इस फ्रूट बार को प्राकृतिक अनानास के गूदे, गुड़ पाउडर और एक गुप्त मसाले के मिश्रण का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह शर्करा युक्त कन्फेक्शनरी के लिए एक उत्तम और स्वस्थ विकल्प के रूप में कार्य करता है।

6. **मिश्रित अचार** कच्चे आम, नींबू, हरी मिर्च, गाजर, सरसों के बीज और स्वादिष्ट मसालों के संयोजन से बनाया जाता है। यह आपके सभी व्यंजनों को पूरक करने के लिए "पिंड का स्वाद" (ग्रामीण शैली का स्वाद) का प्रामाणिक स्वाद प्रदान करता है। इस अचार में संतुलित नमक सामग्री इसे आपके भोजन के लिए एक उत्तम और पौष्टिक व्यंजन बनाती है।

इस अवसर पर डॉ. बिजेंदर सिंह, अध्यक्ष, नेफेड ने भारत सरकार द्वारा वर्षों से नेफेड को निरंतर और अविश्वसनीय समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अपने खरीद कार्यों के माध्यम से, नेफेड न केवल किसानों को बल्कि देश भर में सहकारी विपणन समितियों को भी समर्थन दे रहा है क्योंकि खरीद सीधे किसानों द्वारा की जाती है और इसमें राज्य और जमीनी स्तर पर सदस्य समितियां शामिल होती हैं।

नेफेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्री राजबीर सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया और सूचित किया कि पिछले 8 वर्षों में, नेफेड ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ प्रदान करते हुए लगभग 146 लाख मीट्रिक टन दालें और 61 लाख मीट्रिक टन तिलहन की खरीद और प्रबंधन किया। जिससे लगभग 1 करोड़ और 15 लाख क्रमशः किसान लाभान्वित हुए। नेफेड ने 2786 करोड़ रुपये मूल्य का 15,321 मीट्रिक टन धान और 1048 करोड़ रुपये मूल्य 5547 मीट्रिक टन गेहूं भी खरीदा है और विकेंद्रीकृत खरीद योजना के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान लाखों किसान लाभान्वित हुए।

नेफेड किसानों के कल्याण का समर्थन करने के लिए मंत्रालय के पर्यवेक्षण और प्राधिकरण के तहत कार्य करता है। नेफेड इस आयोजन में सभी मंत्रियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को अत्यधिक महत्व देता है। सम्मेलन ने कृषि क्षेत्र में विपणन समितियों के महत्व को उजागर करने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उनके संचालन के दायरे का विस्तार करने के तरीकों की खोज करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की।

राष्ट्रीय सहकारी संगठन के सदस्य

डॉ. बिजेंदर सिंह, माननीय अध्यक्ष, तत्कालिक प्रबंध निदेशक श्री राजबीर सिंह और अन्य विभूतियों के साथ

श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारी मंत्री को स्मृति चिह्न भेंट करते हुए डॉ. बिजेंदर सिंह, अध्यक्ष नेफेड

मंचासीन माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री

अपर प्रबंध निदेशक, नेफेड और अन्य विभूतियों के साथ माननीय अध्यक्ष

नेफेड के निदेशकों और फंक्शनल निदेशकों के साथ माननीय अध्यक्ष

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा ओडीओपी उत्पादों का शुभारंभ

नेफेड का आयोजक दल

अध्याय - 10

अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष (आई.वाई.ओ.एम-2023)

श्रीअन्न प्राचीन अनाज है जो सदियों से एशिया और अफ्रीका के लोगों का प्रमुख आहार रहा है। वे अर्धशुष्क क्षेत्रों में विकास होते हैं जहां अन्य फसलें आसानी से नहीं मिलती हैं और आमतौर पर एशिया और भारत में उनका सेवन किया जाता है। इसके पोषणिक महत्व और कृषि क्षमताओं के बावजूद, हाल के दशकों में श्रीअन्न की कृषि में गिरावट आई है।

ये छोटे ग्लूटेन-मुक्त अनाज विटामिन, खनिज और आहार-विषयक फाइबर से भरपूर होते हैं। वे उच्च प्रोटीन और फाइबर सामग्री सहित चावल और गेहूं की तुलना में अधिक पोषण संरचना प्रदान करते हैं। रागी विशेष रूप से अपनी प्रभावशाली कैल्शियम के लिए जाना जाता है।

पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हुए घरेलू और वैश्विक मांग सृजन करने की आवश्यकता को चिह्नित करते हुए, भारत सरकार ने जागरूकता को बढ़ावा देने और व्यापक खपत को प्रोत्साहित करने के लिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष (आईवाईओएम 2023) के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव रखा।

श्रीअन्न पोस्सी परिवार से संबंधित है और सदियों से इसकी कृषि और खपत की जाती रही है। वे ठोस फसलें हैं जो न्यूनतम पानी की आवश्यकता वाले शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जो उन्हें पानी की कमी और जलवायु चुनौतियों का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाती हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर अनाज स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्तियों के बीच लोकप्रिय हैं और वे बेहतर स्वास्थ्य और वजन घटाने में योगदान देते हैं। वे ग्लूटेन-मुक्त आहार भी हैं।

श्रीअन्न 5000 वर्षों से अधिक समय से भारतीय उपमहाद्वीप में वसने वाले लोगों का आहार रहा है और इसमें अधिक मात्रा में पोषण मूल्य पाया जाता है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर शामिल हैं। उनकी सामर्थ्य के कारण उन्हें अक्सर "गरीब आदमी का खाद्यान्न" कहा जाता है। कुपोषण को दूर करने और संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने के समाधान के रूप में श्रीअन्न को दुनिया भर में मान्यता मिली है।

श्रीअन्न के प्रकार

श्रीअन्न एक सामूहिक शब्द है जिसमें कई प्रकार के बीज और अनाज शामिल हैं, जो एक ही प्रजाति या श्रेणी से संबंधित नहीं हैं। श्रीअन्न की विभिन्न किस्मों में, बाजरे (पेनिसेटम ग्लॉकम) की कृषि सबसे व्यापक रूप से किया जाता है, जिसका हिस्सा वैश्विक उत्पादन (मराठी, 1994) का लगभग 46% है । अन्य उल्लेखनीय श्रीअन्न किस्मों में फॉक्सटेल, प्रोसो और रागी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, श्रीअन्न की कुछ छोटी किस्में भी हैं जिसमें कोडो, स्मॉल, जापानी बार्नयार्ड, फोनियो और टेफ श्रीअन्न शामिल हैं। श्रीअन्न की इन किस्मों में आम तौर पर बीज जैसे छोटे दाने होते हैं। "मिलेट" शब्द फ्रांसीसी शब्द "मिली" से लिया गया है, जिसका अर्थ "हजार" है और यह मुट्ठी भर श्रीअन्न में हजारों अनाज(टायलर और एम्मामबक्स, 2008) होने का संकेत करता हैं।

श्रीअन्न की पोषणिक संरचना

श्रीअन्न, जो अत्यधिक पौष्टिक अनाज है, विविध महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आहार-विषयक फाइबर, विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो उन्हें एक उत्कृष्ट आहार विकल्प बनाते हैं। श्रीअन्न में अधिक मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और बी विटामिन होते हैं, जो उन्हें पोषण संबंधी कमियों से निपटने में अमूल्य घटक बनाते हैं। इसमें शामिल उच्च फाइबरयुक्त सामग्री पाचन में सहायता करती है, जो संपूर्णता की भावना को बढ़ावा देती है और वजन प्रबंधन में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, श्रीअन्न में फेनोलिक यौगिक, फ्लेवोनोइड और एंटीऑक्सिडेंट जैसे बायोएक्टिव यौगिक होते हैं, जो पुरानी बीमारियों की रोकथाम सहित स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं।

खाद्य उत्पादों में श्रीअन्न का उपयोग

श्रीअन्न के अनेकों उपयोग हैं और इसका उपयोग ब्रेड, अनाज, स्नैक्स, दलिया और किण्वित सामान जैसे विभिन्न खाद्य उत्पादों में किया जा सकता है। वांछित परिणाम के आधार पर उन्हें आटे में संसाधित किया जा सकता है या साबुत अनाज के रूप में उपयोग किया जा सकता है। श्रीअन्न ग्लूटेन-मुक्त होता है, जो इसे ग्लूटेन असहिष्णुता या सीलिएक रोग वाले लोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। उनमें अधिक मात्रा में पोषण सामग्री और बायोएक्टिव यौगिक उपलब्ध होते हैं, जो उन्हें मूल्यवर्धित कार्यात्मक खाद्य पदार्थ विकसित करने के लिए प्रमुख स्रोत बनाते हैं। अपनी क्षमता के बावजूद, वर्तमान में वैश्विक अनाज व्यापार में श्रीअन्न की हिस्सेदारी 3% से भी कम है। तथापि, श्रीअन्न को वैश्विक खाद्य प्रणाली में शामिल करने से इसकी विविधता बढ़ सकती है और बाजार में व्यवधान के दौरान सामान्यतः व्यापार किए जाने वाले अनाज के विकल्प के रूप में प्रदान किया जा सकता है। इससे व्यापार बाज़ारों के तन्यता में सुधार होगा और अन्य अनाजों पर निर्भरता कम होगी। श्रीअन्न छोटे पैमाने वाले किसानों के लिए भी अवसर प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी आजीविका में सुधार करने में मदद मिलती है।

श्रीअन्न की खपत और उत्पादन को बढ़ावा देकर, हम उनकी बाजार हिस्सेदारी को पुनर्जीवित कर सकते हैं और छोटे पैमाने वाले किसानों के लिए अतिरिक्त अवसर सृजन कर सकते हैं।

सुविधाजनक भोजन के रूप में श्रीअन्न

श्रीअन्न अनाज आधारित खाद्य उत्पाद है जो अपने पोषण और आर्थिक लाभों के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये श्रीअन्न-आधारित उत्पाद बड़ी व्यावसायिक संभावनाएं प्रदान करते हैं क्योंकि उपभोक्ताओं का मानना है कि वे उनके स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। समुचित मिलिंग और प्रसंस्करण तकनीकों के माध्यम से श्रीअन्न अनाज का उपयोग बेकरी संबंधी वस्तु, सरस उत्पाद, जल्दी पकने वाले अनाज, स्नैक्स और स्वास्थ्यवर्धक जैसे विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए किया जा सकता है।

श्रीअन्न तैयार करने की पारंपरिक विधियाँ अधिक समय लेने वाली और अधिक मेहनत वाली होती हैं, जिससे बाजार में सुविधाजनक श्रीअन्न-आधारित भोजन विकल्प उभर कर सामने आए हैं। इन सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के उदाहरणों में डोसा मिश्रण, पनियारम मिश्रण और पोंगल मिश्रण जैसे नाश्ते के विकल्प, साथ ही चावल मिश्रण और बिरयानी जैसे दोपहर के भोजन के विकल्प शामिल हैं। श्रीअन्न खाखरा और श्रीअन्न लड्डू जैसे पौष्टिक मिश्रण और स्नैक्स भी उपलब्ध हैं।

सुविधाजनक खाद्य पदार्थों को उनके लंबे शेल्फ जीवन, अद्वितीय स्वाद और सामर्थ्य के कारण विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं ने व्यापक रूप से अपनाया है। तथापि, चावल और गेहूं जैसे परिष्कृत अनाज की उपलब्धता ने दैनिक आहार में श्रीअन्न की खपत को कम कर दिया है।

सुविधाजनक खाद्य पदार्थों की ओर बढ़ते हुए रूझान का लाभ उठाने के लिए लोगों के घरों में इन्हे पहुंचाने की महत्वपूर्ण संभावना एवं लोगों के भोजन में पुनः श्रीअन्न को शामिल करने के लिए नए ब्रांड के अंतर्गत श्रीअन्न आधारित विकल्पों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य लाभ और संभावित प्रभाव

श्रीअन्न मधुमेह प्रबंधन, हृदय रोग के जोखिम को कम करने और जठरांत्र स्वास्थ्य में सुधार सहित कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। इनमें ग्लाइसेमिक सूचकांक कम होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, फाइबर की मात्रा अधिक होती है और स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल और आंत के स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद करता है। श्रीअन्न ऑक्सीकरणरोधी, खनिज और प्रोटीन से भरपूर है, जो विकासशील देशों में कुपोषण से लड़ने में मदद करता है। वे आयरन का लागत प्रभावी स्रोत हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली के समर्थन के लिए उनमें नियासिन होता है। श्रीअन्न में मौजूद बीटाकैरोटीन आंखों और शरीर को मुक्त कणों से बचाता है। श्रीअन्न कम ग्लाइसेमिक सूचकांक और गैर-अम्लीय है, जो पाचन में सहायता करता है। अघुलनशील फाइबर बायोटिक-पूर्व के रूप में कार्य करता है, स्वस्थ आंत बैक्टीरिया, नियमितता को बढ़ावा देता है और कोलन कैंसर के जोखिम को कम करता है। घुलनशील फाइबर हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को पेट में अवशोषित करके और शरीर से बाहर निकालकर इसे कम करने में मदद करता है।

स्वस्थ भविष्य के लिए श्रीअन्न का प्रोत्साहन

श्रीअन्न की पूर्ण पोषण क्षमता की प्राप्ति के लिए उनके उपभोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। सरकारों, नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए श्रीअन्न की कृषि, अनुसंधान और नवोन्मेषी श्रीअन्न-आधारित उत्पादों के विकास को बढ़ावा देने वाली पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन करना महत्वपूर्ण है। किसानों, शोधकर्ताओं और खाद्य उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले श्रीअन्न उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यवान मूल्य श्रृंखलाएं स्थापित की जा सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को श्रीअन्न के स्वास्थ्य लाभों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें श्रीअन्न संबधी व्यंजनों और पकवान का प्रदर्शन करके उनके दैनिक आहार में श्रीअन्न को शामिल करने में काफी प्रोत्साहित कर सकता है। श्रीअन्न की बहुमुखी प्रतिभा विभिन्न नवोन्मेष अनुप्रयोगों की मंजूरी देती है और उनकी आनुवांशिक विविधता चिकित्सीय और भेषज जैसे क्षेत्रों में अवसर प्रदान करेगी। इन नवोन्मेषी उपयोगों की खोज करके, श्रीअन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण बाजार संभावनाएं सृजन कर सकता है।

श्रीअन्न के बड़े लाभ

मधुमेह मेलेटस संभावित स्वास्थ्य जटिलताओं सहित सामान्य चयापचय विकार है। खराब आहार, जीवनशैली में बदलाव और तनाव मधुमेह में पोषण संबंधी चुनौतियां सृजन करते हैं। मधुमेह के आहार में श्रीअन्न शामिल करके उनकी विशेषताओं अर्थात जटिल कार्ब्स में समृद्ध, कम वसा और अधिक फाइबर के कारण यह मधुमेह के लिए फायदेमंद हो सकता है। श्रीअन्न धीरे-धीरे चीनी छोड़ता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है। धीमी गति में छोड़ने के कारण हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक और हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव भी होते हैं। श्रीअन्न किण्वन को कम करता है, विषाक्त पदार्थों को आबद्ध करता है और कोलन कैंसर, कब्ज और जठरांत्र समस्याओं के जोखिम को कम करता है। श्रीअन्न के नियमित सेवन से हृदय संबंधी बीमारियों, ग्रहणी संबंधी अल्सर और हाइपरग्लेसेमिया की आकस्मिकताओं में कमी आती है। इसलिए, मधुमेह के आहार में श्रीअन्न को शामिल करने से मधुमेह प्रबंधित करने और संबंधित जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है।

श्रीअन्न जलवायु अनुकूल है

श्रीअन्न सूखे मौसम में अत्यधिक तन्यता प्रदर्शित करता है और फसल की बीमारियों और कीटों के प्रति सहनशीलता प्रदर्शित करता है, जिससे उन्हें चुनौतीपूर्ण जलवायु परिस्थितियों में पनपने में मदद मिलती है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की उनकी अद्वितीय क्षमता और निविष्टि और अनुक्षण के लिए उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं श्रीअन्न को स्थानीय कृषि खाद्य प्रणालियों को अधिक कुशल, तन्यक और समावेशी प्रणालियों में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अतिरिक्त, बेकार और ख़राब मृदा में श्रीअन्न के पनपने की क्षमता शुष्क क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित करने, मृदा के क्षरण को कम करने और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने में योगदान करती है। श्रीअन्न उत्पादन का विस्तार करके, हम ऐसी कृषि प्रणालियों को बढ़ावा दे सकते हैं जो पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देने के साथ-साथ जलवायु से संबंधित परिवर्तन से निपटने के लिए बेहतर ढंग से मदद करता हैं।

निष्कर्ष

श्रीअन्न विकसित देशों में व्यापक रूप से खाया जाने वाला अनाज है और अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में मुख्य भोजन के रूप में खाया जाता है। आहार संबंधी फाइबर और अन्य पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा के कारण स्वस्थ मधुमेह आहार-प्रबंधन के लिए घर पर बने श्रीअन्न के व्यंजन फायदेमंद होते हैं। स्वास्थ्य लाभ को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रसंस्कृत विकल्पों के बजाय घरेलू तरीकों को चुनना महत्वपूर्ण है। श्रीअन्न, अन्य प्रमुख अनाजों की तरह, आवश्यक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल्स, विशेष रूप से फेनोलिक्स प्रदान करते हैं। वे ग्लूटेन-मुक्त भी होते हैं जो सीलिएक रोगियों के लिए उपयुक्त है। श्रीअन्न की कृषि तन्यक और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है क्योंकि इसे पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। उच्च रक्तचाप, हृदय की धड़कन रुकना और टाइप II मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियाँ महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बोझ पैदा करती हैं। श्रीअन्न के सेवन से जुड़ी फेनोलिक सामग्री और सकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों को देखते हुए, श्रीअन्न को आहार अनुपूरक के रूप में शामिल करने से इन गैर संचारी रोगों (एनसीडी) से निपटने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

नेफेड द्वारा की गई नई पहल

अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष - 2023 के अंतर्गत पहल

भारत के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीअन्न उत्पादों के लिए बाजार संपर्क प्रदान करने में नेफेड के प्रयासों की सराहना की। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष-2023 की तत्परता को चिह्नित करने के लिए दिनांक 20 दिसंबर, 2022 को भारत के संसद भवन में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित श्रीअन्न के मध्याह्न भोजन के मौके पर प्रदर्शित किया गया था।

केवडिया, गुजरात: नेफेड ने केवडिया, गुजरात में मिशन लाइफ कार्यक्रम के लिए श्रीअन्न स्टार्ट-अप से श्रीअन्न-आधारित उत्पादों वाले विशेष खाद्य पदार्थों से भरी टोकरी (गिफ्ट हैंपर्स) के प्रावधान का नेतृत्व करके अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष में अपनी सक्रिय भागीदारी का प्रदर्शन किया। इन खाद्य पदार्थों वाले विशिष्ट हैंपर्स को हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को भेंट किया गया।

दिनांक 24 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष के प्रारंभ होने से पहले नेफेड स्टॉल पर राजदूतों के लिए मध्याह्न भोजन के अवसर पर श्री राजबीर सिंह (आईएफएस), तत्कालीन प्रबंध निदेशक नेफेड ने कृषि और किसान कल्याण के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, माननीय केंद्रीय विदेश मंत्री का भव्य स्वागत किया।

देश के श्रीअन्न स्टार्ट-अप को समर्थन: नेफेड ने दिनांक 23 दिसंबर, 2022 को माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उनके आवास पर आयोजित मध्याह्न भोजन के दौरान देश भर के विभिन्न स्टार्टअप के श्रीअन्न-आधारित उत्पादों का प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त, श्रीअन्न स्टार्टअप्स के मिलेट्स (श्री अन्न) आधारित उत्पाद नेफेड बाज़ार के विशेष काउंटरों पर उपलब्ध हैं। यह प्रयास उपभोक्ताओं के लिए ऐसे उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाने के साथ-साथ श्रीअन्न-आधारित उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने और समर्थन करने में नेफेड की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।

कृषि विभाग के साथ समझौता ज्ञापन: दिनांक 03 अक्तूबर, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष-2023 से संबंधित समारोह के सम्मान में नेफेड ने श्रीअन्न और श्रीअन्न आधारित उत्पादों के प्रसार और समर्थन की सुविधा के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। समझौता ज्ञापन पर औपचारिक रूप से श्री राजबीर सिंह (आईएफएस), तत्कालीन प्रबंध निदेशक और श्रीमती शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव (फसल), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

श्रीअन्न कॉर्नर: दिनांक 08 अक्तूबर, 2022 को, नेफेड ने अपने नेफेड बाज़ार स्टोर्स के भीतर विशेष श्रीअन्न कॉर्नर का शुभारंभ किया, जो श्रीअन्न और श्रीअन्न-आधारित उत्पादों की विविध श्रृंखला प्रदर्शित करने और पेश करने के लिए समर्पित है। यह रणनीतिक कदम श्रीअन्न स्टार्टअप के लिए नेफेड के सुदृढ़ समर्थन को दर्शाता है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष के लिए एकजुटता को भी प्रस्तुत करता है। इस पहल के माध्यम से, नेफेड न केवल इन स्टार्ट-अप्स को मार्गदर्शन और बाजार से जोड़ता है, बल्कि इन विशेष केन्द्रों की स्थापना करके उनके विकास में सक्रिय रूप से योगदान भी देता है। यह पहल श्रीअन्न-आधारित उत्पादों की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने से संबंधित नेफेड के मिशन के साथ संरेखित है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष से संबंधित कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति है।

दिनांक 09 नवंबर, 2022 को तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्री राजबीर सिंह (आईएफएस) ने गांधीनगर के राजभवन में गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत के साथ बैठक की। बैठक के दौरान, उन्होंने विशेष रूप से नेफेड द्वारा सोच-समझकर तैयार किया गया श्रीअन्न से सुसज्जित टोकरी को प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष - 2023 को बढ़ावा देना है। यह संकेत इस प्रतिष्ठित वर्ष के दौरान श्रीअन्न के हित और उनके महत्व को आगे बढ़ाने के लिए नेफेड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष-2023 (आईवाईएम 2023) की शुरुआत के अवसर पर, नेफेड बाज़ार द्वारा एक समर्पित श्रीअन्न दुकान और एक विशेष श्रीअन्न (श्री अन्न) वेंडिंग मशीन का नीति भवन, नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। उद्घाटन का संचालन नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन के. बेरी और सीईओ श्री परम अय्यर ने किया। इस दुकान में श्रीअन्न-आधारित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है, जो श्रीअन्न को बढ़ावा देने और इस महत्वपूर्ण पहल का समर्थन करने के लिए नेफेड की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

श्रीअन्न वेंडिंग मशीनें: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के अनुरूप, नेफेड ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में श्रीअन्न (श्री अन्न) वेंडिंग मशीनें प्रभावी ढंग से तैनात की हैं। इस पहल का उद्देश्य पौष्टिक स्नैकिंग को प्रोत्साहित करना और उपभोक्ताओं को स्वस्थ श्रीअन्न (श्री अन्न) केंद्रित आहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह प्रयास, अन्य पहलों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष -2023 के प्रति नेफेड के समर्पण और स्वस्थ जीवन शैली के लिए श्रीअन्न को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में सामने उभरकर आया है।

श्रीअन्न से सुसज्जित टोकरी (मिलेट गिफ्ट हैंपर्स): - अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष - 2023 के लिए नेफेड द्वारा प्रसारित जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के कारण, इस संगठन को जी-20 बैठकों के लिए प्रचलन श्रीअन्न -केंद्रित श्रीअन्न से सुसज्जित टोकरी बनाने का काम सौंपा गया है। नेफेड ने भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों में विविध उपहार प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अद्वितीय श्रीअन्न आधारित उत्पादों वाले श्रीअन्न से सुसज्जित टोकरी तैयार की हैं। यह उपक्रम श्रीअन्न को बढ़ावा देने में नेफेड की सक्रिय भूमिका और जी20 बैठकों में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में इसकी मान्यता को दर्शाता है।

श्रीअन्न अनुभव केंद्र की स्थापना:- नेफेड ने, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से, श्रीअन्न के आहार संबंधी लाभों को प्रोत्साहन देने और श्रीअन्न को महा-ऊर्जा के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए दिल्ली हाट, नई दिल्ली में एक श्रीअन्न अनुभव केंद्र की स्थापना की। श्रीअन्न अनुभव केन्द्र प्रसिद्ध व्यंजन और भोजन पेश करता है जो सभी उम्र के लोगों को पसंद आते हैं और यह श्रीअन्न की लोकप्रियता को बढ़ाते हैं और साथ ही देश में श्रीअन्न किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए विपणन व्यवस्था विकसित करने की सुविधा प्रदान करती हैं।

दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में "श्रीअन्न अनुभव केंद्र"

अध्याय - 11

नेफेड का व्यापारिक कार्यक्षेत्र

किसानों को लाभ देने के लिए पीएसएस (तिलहन और दलहन) पीएसएफ(दलहन) जैसे सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

नेफेड बाजार: उपभोक्ताओं की सेवा में

फेडरेशन ऑफ इंडियन एफपीडी एंड एग्रीगेटर्स (एफआईएफए)....एक दूसरे को जोड़ने के लिए कार्य कर रहा है एफआईएफए

FIFA

नेफेड
किसान सहकारिता
वर्ष 1958

- कृषि अपशिष्ट से जैव-सीबीजी का उत्पादन
- जैव उर्वरक और प्रमाणित बीजों का उत्पादन
- पीएसएस के अंतर्गत गेहूँ और धान की खरीद
- भारत सरकार की राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) का कार्यान्वयन
- भंडारण/शीतगृह आदि जैसे औद्योगिक कार्यकलाप
- जैविक खेती और प्रमाणित जैविक उत्पादों का संवर्धन
- एमडीबी, आईसीओएस, पीडीएस योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और रक्षा बलों को दलहन की आपूर्ति
- संपूर्ण विश्व में कृषि वस्तुओं का निर्यात/आयात

भारत सरकार की ओर से बाजार नवोन्मेषी योजना के अंतर्गत बागवानी वस्तु (सेब/प्याज आदि) की खरीद

दलहन और तिलहन

अध्याय-11.1

किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए लाभप्रद आय प्राप्त करने, कृषि में बढ़े हुए निवेश को बढ़ावा देने और समग्र कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करने के लिए, भारत सरकार ने खरीफ और रबी दोनों फसल मौसमों के दौरान 25 विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की स्थापना की।

भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन और तिलहन की खरीद

नेफेड मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत तिलहन, दालें और कोपरा सहित 15 नामित कृषि वस्तुओं की खरीद के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी में से एक के रूप में कार्य करता है।

नेफेड कई वर्षों से इस मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) में शामिल है। वे राज्य और स्थानीय स्तर पर अपने सहकारी नेटवर्क के माध्यम से सीधे किसानों से सामान खरीदते हैं। योजना के अनुसार, जब बाजार में किसी विनिर्दिष्ट कृषि वस्तु की कीमतें निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से मेल खाती हैं या उससे नीचे चली जाती हैं, तो उन स्टॉक को खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह खरीद प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक या तो बाजार की कीमतें स्थिर नहीं हो जातीं और एमएसपी से अधिक नहीं हो जातीं, या कटाई शुरू होने के बाद अधिकतम 90 दिनों (कोपरा के लिए 180 दिन) तक, जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा तय किया जाता है, जो भी पहले हो।

कृषि और किसान कल्याण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप, नेफेड ने पीएसएस पहल के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में 30.44 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की, जिसका कुल मूल्य 17120.49 करोड़ है। इस खरीद से लगभग 206.02 करोड़ का सेवा शुल्क प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) योजना के अंतर्गत दालों की खरीद

भारत सरकार ने दालों के बफर स्टॉक स्थापित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) योजना शुरू की है। यह पहल वर्तमान में उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जो भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) के निदेशों और प्राधिकरण के अनुसार, नेफेड ने पीएसएफ के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 0.54 लाख मीट्रिक टन दालें (आयातित दालों सहित) खरीदी हैं, जिसकी कुल लागत 391.24 करोड़ रुपये है। इस पीएसएफ खरीद से संघ को लगभग 7.85 करोड़ रुपये का सेवा शुल्क प्राप्त हुआ है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान मूल्य समर्थन योजना(पीएसएस) के अंतर्गत दलहन और तिलहन की खरीद और उससे लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण निम्नानुसार हैं:

(मात्रा लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
दलहन	41.83	15.07	23.56	11.08	29.76
तिलहन	16.16	18.17	11.00	1.54	0.68
कुल	57.99	33.24	34.56	12.62	30.44

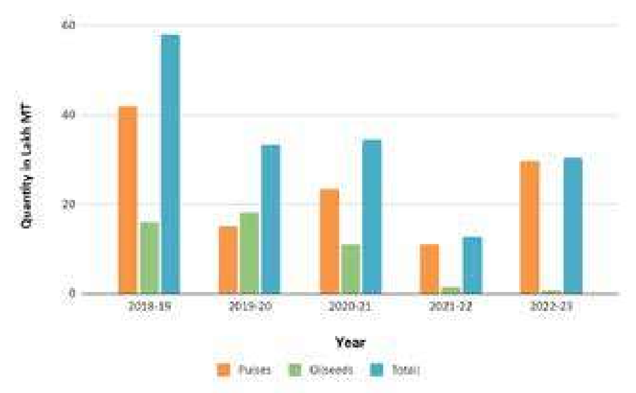

नेफेड द्वारा वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान राष्ट्रीय दलहन बफर के लिए 50,000 मीट्रिक टन तूर और उड़द के आयातित स्टॉक की खरीद की गई।

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने नेफेड को 25,000 मीट्रिक टन आयातित तूर और 25,000 मीट्रिक टन आयातित उड़द का आवंटन किया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, नेफेड ने आयातकों से ई-नीलामी के माध्यम से 14,146.121 मीट्रिक टन आयातित तूर और 24,538.196 मीट्रिक टन आयातित उड़द की सफलतापूर्वक खरीद की। इन आयातों को पूरे भारत में नेफेड भंडारण में सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया गया है।

भारत सरकार के निदेशों के अनुसार राष्ट्रीय दलहन बफर की देखरेख करना नेफेड की जिम्मेदारी में शामिल है। इस पहल का उद्देश्य दलहन की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना और उपभोक्ताओं की भलाई सुनिश्चित करना है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान (पीएसएस/पीएसएफ) के अंतर्गत दलहन और (पीएसएस) के अंतर्गत तिलहन की खरीद और लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण निम्नानुसार हैं, जिसमें 40,383.49 मीट्रिक टन आयातित तूर, उड़द और मसूर की खरीद शामिल है।

(मात्रा लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
दलहन	41.83	16.26	24.23	13.49	30.31
तिलहन	16.16	18.17	11.00	1.54	0.68
कुल	57.99	34.43	35.23	15.03	30.99

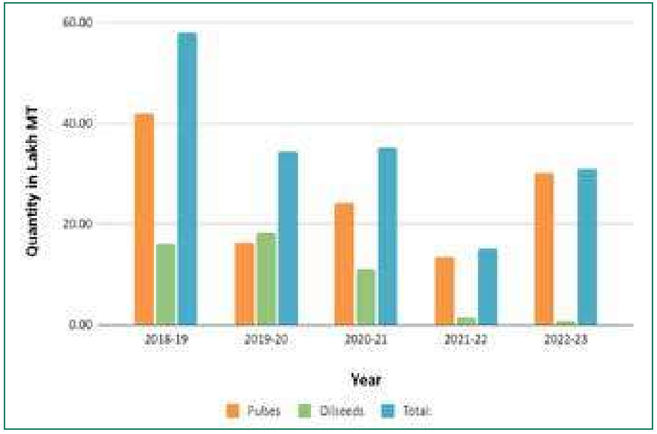

लाभान्वित किसान

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
लाभान्वित किसान (पीएसएस और पीएसएफ)	32,11,069	20,09,095	18,70,771	8,20,236	14,32,240

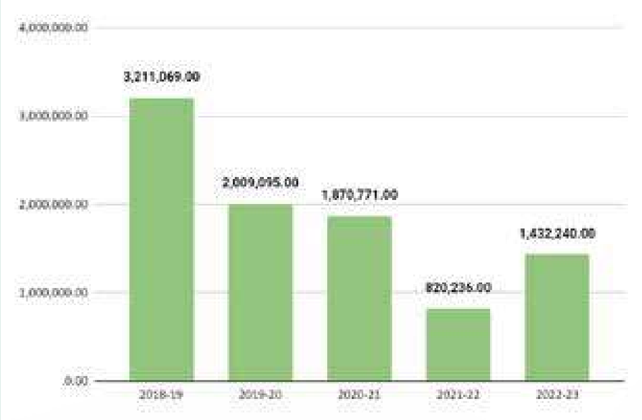

नेफेड ने दुबई#दलहन 22 में जीपीसी के साथ अपने समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया

जीपीसी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर

मई 2022 में दुबई में आयोजित दलहन 2020 शिखर सम्मेलन के दौरान नेफेड ने ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन (जीपीसी) के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया। नेफेड के अध्यक्ष डॉ. बिजेंदर सिंह और जीपीसी की अध्यक्ष सुश्री सिंडी ब्राउन ने दोनों संगठन के प्रमुख प्रतिनिधियों की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिनमें डॉ. सुनील कुमार सिंह, उपाध्यक्ष, डॉ. चंद्र पाल सिंह, वरिष्ठ निदेशक, श्री राजबीर सिंह, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, और श्री सुनील कुमार सिंह, अपर प्रबंध निदेशक शामिल हैं। इस एमओयू ने दलहन उत्पादन और खपत को बढ़ाने की दिशा में सम्मेलनों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए सूचना साझा करने और संयुक्त प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाया। भारत के कृषि परिदृश्य में नेफेड की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, यह जीपीसी में रणनीतिक और आवश्यक भागीदार बना हुआ है, जो वैश्विक दाल उद्योग मूल्य श्रृंखला में प्रमुख संघ है।

कैनेडियन पल्स एंड स्पेशल क्रॉप्स ट्रेड एसोसिएशन और नेफेड का संयुक्त विवरण जारी करना

नेफेड ने कनाडा के नियाग्रा में पल्स कनाडा और सीपीएससी ट्रेड एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दलहन और विशेष फसल सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेफेड के अध्यक्ष डॉ. बिजेंदर सिंह ने संगठन की ओर से संयुक्त विवरण पर हस्ताक्षर किए। नियाग्रा फॉल्स में कनाडाई दलहन और विशेष फसल सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान, श्री राजबीर सिंह, नेफेड के प्रबंध निदेशक ने दुनिया भर में दलहन की उपलब्धता और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सहयोग के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया, जिससे वैश्विक पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

नेफेड के अध्यक्ष डॉ. बिजेंदर सिंह ने कैनेडियन पल्स एंड स्पेशल क्रॉप्स ट्रेड एसोसिएशन के साथ एक संयुक्त विवरण पर हस्ताक्षर किए

दलहन क्षेत्र में आशाजनक सहयोग के लिए पल्स कनाडा और नेफेड टीम के बीच सार्थक विचार-विमर्श

पल्स कनाडा के अध्यक्ष श्री केविन आच ने अध्यक्ष श्री ग्रेग चेरेविक और निदेशक श्री मैक रॉस के साथ कनाडा के कृषि उच्चायोग के काउंसलर श्री नितिन वर्मा के साथ सार्थक चर्चा की। इसका उद्देश्य दलहन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना था। नेफेड के अध्यक्ष डॉ बिजेंदर सिंह ने साझेदारी की संभावित विधि तलाशने में नेफेड टीम का नेतृत्व किया। वार्ता में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विनिमय, व्यापार और निवेश शामिल थे। इस बैठक ने भविष्य के सहयोग के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित किया।

पल्स कनाडा और नेफेड के नेताओं ने कनाडा के कृषि उच्चायोग के साथ सहयोगात्मक अवसर के लिए विचार-विमर्श किया

खाद्यान्न

अध्याय - 11.2

वित्त वर्ष 2022-23 में, नेफेड ने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और असम पर ध्यान केंद्रित करते हुए, देश भर के विभिन्न राज्यों से धान की खरीद की। गेहूं और धान दोनों के लिए विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) योजना के अंश के रूप में, नेफेड को राज्यिक एजेंसी की भूमिका सौंपी गई थी, जिसमें भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार दोनों का प्रतिनिधित्व था।

नेफेड ने कुल मूल्य 28,279.79 लाख रुपये की कुल 1,44,595.408 मीट्रिक टन धान की सफलतापूर्वक खरीद की।

राज्य-वार खरीद विवरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:

वर्ष	राज्य	दिनांक 31/03/2023* तक की स्थिति के अनुसार प्रगामी खरीद	
		मात्रा (मीट्रिक टन में)	खरीद (एमएसपी) मूल्य (लाख रुपये में)
केएमएस 2022-23	पश्चिम बंगाल	73,100.537	14,185.87
केएमएस 2022-23	असम	71,494.871	14,093.92
कुल		**1,44,595.408**	**28,279.79**

किसानों के लाभ के लिए गेहूं और धान की खरीद

बागवानी

अध्याय - 11.3

नेफेड किसानों और उपभोक्ताओं के हित में बागवानी के विकास के लिए विभिन्न कार्यकलाप और हस्तक्षेप करता है, जिनमें से कुछ निम्नानुसार है:

- **प्याज का बफर स्टॉक बनाना:**

  कुछ बागवानी वस्तुओं की कीमतें अत्यधिक अस्थिर हैं। फसल के समय और उसके तुरंत बाद, थोक और खुदरा कीमतों में भारी गिरावट आम तौर पर देखी जाती है। भंडारित स्टॉक ख़त्म होने से कीमतें बढ़ने लगती हैं। प्याज के मामले में यह अत्यधिक स्पष्ट है। मूल्य अस्थिरता उपभोक्ताओं को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है।

  बफर स्टॉकिंग के लिए पीएसएफ के अंतर्गत प्याज की खरीद करने के लिए नेफेड भारत सरकार की केंद्रीय नोडल एजेंसी है, जिससे न केवल उपभोक्ताओं, बल्कि किसानों को भी फायदा हुआ है।

- **प्याज भंडारण सुविधा:**

  नेफेड ने महाराष्ट्र में 2000 मीट्रिक टन की क्षमता वाली प्याज भंडारण सुविधा स्थापित की है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) रूपरेखा के अंतर्गत, नेफेड 25 अतिरिक्त भंडारण संरचनाओं को पूरा कर रहा है, प्रत्येक भंडार में 1000 मीट्रिक टन प्याज रख सकते है। इस दृष्टिकोण ने प्रभावी ढंग से प्याज बफर स्टॉक को बढ़ाया है, जिससे प्याज की कीमतों की स्थिरता और सुदृढ़ होती है।

- **ऑपरेशन ग्रीन्स:**

  नेफेड को ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत अल्पकालिक मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में केंद्रीय जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस योजना का उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) जैसी प्रमुख फसलों के लिए कीमतें स्थिर बनाए रखना है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई, भारत सरकार) द्वारा समर्थित इस पहल में परिवहन और भंडारण के लिए सब्सिडी प्रदान की गई है। अपनी प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए, नेफेड ने बाजार संबंधी सूचना के लिए ई-प्लेटफॉर्म और टॉप क्रॉप्स को समर्पित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली बनाई है।

  एमओएफपीआई की योजना संबंधी दिशानिर्देशों और निदेशों के अनुसार सेब और आलू के लिए परिवहन और भंडारण सब्सिडी भी जारी की गई थी।

- **फलों, सब्जियों और अन्य बागवानी उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार संपर्क का विस्तार:**

  नेफेड दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में आढ़त की दुकान चलाता है जो एशिया में फलों और सब्जियों की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। नेफेड इस दुकान के माध्यम से विभिन्न फल और सब्जियां बेचता है।

मुख्य विशेषताएं

- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निदेशानुसार मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के लिए बफर स्टॉक बनाने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से 2,51,056.25 मीट्रिक टन प्याज सफलतापूर्वक खरीदा गया।
- महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में खरीफ मौसम के दौरान, कुल 17,861.73 मीट्रिक टन प्याज सीधे फार्म गेट से खरीदा गया था। इस खरीद प्रक्रिया को सूचीबद्ध सहायता एजेंसियों के सहयोग से सुगम बनाया गया था। 945.16 रुपये प्रति क्विंटल के औसतन मूल्य दर पर यह खरीद की गई थी, जिसमें संचयी मूल्य 16.88 करोड़ रुपये थी।
- रबी मौसम के दौरान खरीदे गए स्टॉक का अस्थिर मूल्य 368.85 करोड़ रुपये था, जिसकी औसतन कीमत लागत 1,469.19 रुपये प्रति क्विंटल थी।
- नागालैंड राज्य को की गई आपूर्ति के अतिरिक्त प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए अखिल भारतीय कैलिब्रेटेड विधि के अनुसार बफर स्टॉक जारी किया गया था।
- फलों और सब्जियों के व्यापार को सुविधाजनक बनाकर, नेफेड ने 37.71 लाख रुपये की सेवा शुल्क अर्जित किया है।

प्रत्यक्ष व्यवसाय

अध्याय-11.4

प्रत्यक्ष प्रभाग 2022-23 के प्रमुख कार्यकलापों और उपलब्धियों से संबंधित मुख्य बातें

नेफेड बजटीय आवंटन के लिए अपने स्वयं के निधि का उपयोग करके पूरे देश में किसानों के तिलहन, दलहन, मसाले, खाद्यान्न, बागवानी और अन्य कृषि उपज की खरीद कर रहा है।

प्रत्यक्ष व्यवसाय विकसित करने के लिए, वर्ष 2022-23 के दौरान, नेफेड ने 0.98 करोड़ रुपये के मसालें खरीदे हैं।

मात्रा मीट्रिक टन में / मूल्य करोड़ रुपये में

वस्तु	मात्रा	मूल्य
मसाले	63.72 मीट्रिक टन	0.98 करोड़

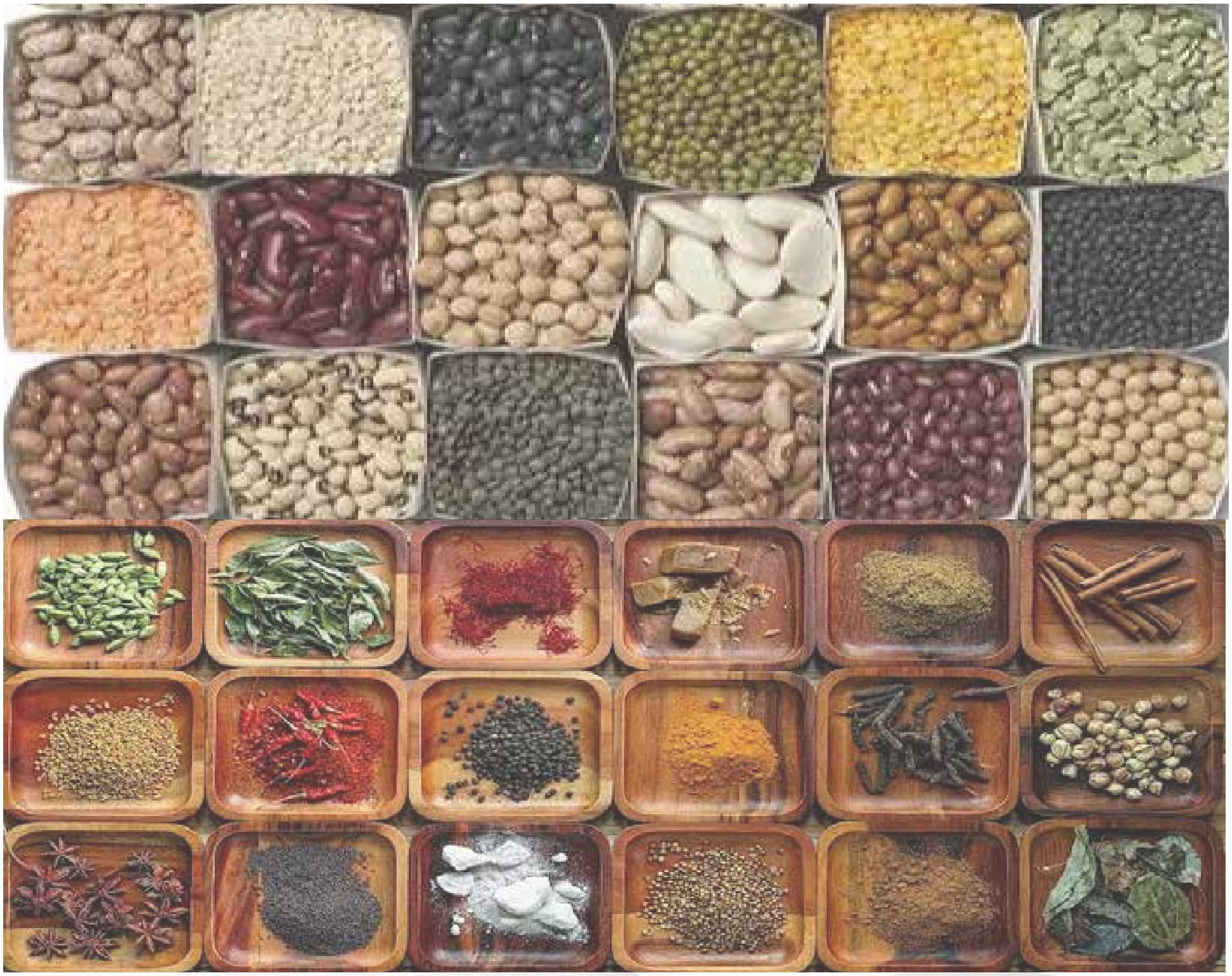

संस्थागत आपूर्ति

अध्याय-11.5

वर्ष 2017 से, नेफेड का संस्थागत आपूर्ति प्रभाग सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य संगठनों सहित कई संस्थानों को संसाधित दालें और अन्य वस्तुएं सक्रिय रूप से उपलब्ध करा रहा है।

नेफेड द्वारा यह महत्वपूर्ण सेवा अपने ई-प्लेटफ़ॉर्म, nafad.agribazaar.com के माध्यम से प्रदान की जाती है। देश भर में, 500 से अधिक मान्यता प्राप्त मिल मालिकों को इस पोर्टल के माध्यम से एकीकृत किया गया है। उनकी जिम्मेदारियों में मिलिंग, पैकेजिंग और इन संस्थानों तक माल परिवहन करना शामिल है।

वर्ष के दौरान नेफेड द्वारा विभिन्न संस्थानों को की गई आपूर्ति का विवरण निम्नानुसार हैं:

- **नेफेड द्वारा प्रसंस्कृत दालों की आपूर्ति:**

  नेफेड ने वर्ष 2017 से लगातार सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीपीएमएफ) को प्रसंस्कृत दालें और विभिन्न अन्य वस्तुएँ प्रदान की हैं।

  वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान संपूर्ण भारत में लगभग 51437.942 मीट्रिक टन प्रसंस्कृत दालें सेना और सीपीएमएफ को वितरित की गई।

- **विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को दालें, खाद्य तेल, चीनी और नमक की आपूर्ति।**

  नेफेड ने लगातार राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उनकी कल्याणकारी पहल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रसंस्कृत दालें उपलब्ध कराई हैं, जिनमें मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

  कई राज्यों में लगभग 4.3 लाख मीट्रिक टन प्रसंस्कृत दालों की आपूर्ति की गई थी जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं तथा उपर्युक्त योजनाओं के माध्यम से भविष्य में भी आवंटित की जानी है। आपूर्ति की गई दाल की किस्मों में तूर दाल, चना दाल, टूटा मसूर मलका और साबुत मसूर दाल शामिल हैं।

  आपूर्ति की गई दालों का विवरण निम्नानुसार है:

संस्थान	आपूर्ति की गई मात्रा (मीट्रिक टन में)
सेना	50,042.280
सीपीएमएफ	1,395.662
राज्य(कल्याण योजनाओं के अंतर्गत)	4,33,402.818
कुल	4,84,840.760

- **राज्यों को चीनी की आपूर्ति**

  वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों के बीच वितरित करने के उद्देश्य से नेफेड ने राज्यों को चीनी की आपूर्ति की, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र जम्मू को कुल 2,903.50 मीट्रिक टन, लेह, लद्दाख को 616.20 मीट्रिक टन और दमन को 15.32 मीट्रिक टन चीनी की आपूर्ति शामिल हैं।

- **उत्तर प्रदेश सरकार को किराने की आपूर्ति।**

  - **आईसीडीएस के अंतर्गत**

  महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अंश के रूप में चना दाल, फोर्टिफाइड गेहूं दलिया और फोर्टिफाइड खाद्य तेल की खरीद और वितरण के लिए नेफेड को कार्य आदेश प्रदान किए।

  इस पहल में शामिल आपूर्ति की कुल मात्रा में किट बैग के साथ लगभग 2,12,719.447 मीट्रिक टन चना दाल, 78,205.628 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड खाद्य तेल और 2,35,984.364 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड गेहूं दलिया शामिल

है। आदेशों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया और राज्य भर में ग्रामीण ब्लॉक केंद्र और शहरी आंगनवाड़ी केंद्रों तक वितरण की व्यवस्था की गई।

- **पीडीएस के अंतर्गत**

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 किलो के पैकेट में साबुत चना, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक की आपूर्ति के आदेश दिए हैं। इन उत्पादों को राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कार्यक्रम के माध्यम से वितरित किया गया था।

1,00,986.390 मीट्रिक टन साबुत चना, 1,01,095.689 किलोलीटर रिफाइंड सोयाबीन तेल और 1,00,877.317 मीट्रिक टन रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक की मात्रा आवंटित की गई। संपूर्ण आपूर्ति प्रभावी ढंग से पूरी की गई और ब्लॉक स्तर तक पहुंचाई गई, इसके अतिरिक्त राज्य भर में स्थापित पीडीएस दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के लाभार्थियों को वितरण के लिए तैयार किया गया।

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सरकार को फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) की आपूर्ति।

नेफेड ने एमडीएम, पीडीएस और आईसीडीएस जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंश के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों को सफलतापूर्वक एफआरके की आपूर्ति की है।

कर्नाटक सरकार को कच्चे चावल की आपूर्ति

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, नेफेड को 23,000 मीट्रिक टन 'ए' ग्रेड कच्चे चावल की आपूर्ति के लिए आयुक्त, एफसीएस एंड सीए विभाग, कर्नाटक सरकार से कार्य आदेश दिया गया था। प्राप्त आदेश के अनुसार आपूर्ति सफलतापूर्वक निष्पादित की गई और लाभार्थियों को वितरण किया गया।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न राज्यों को आपूर्ति की गई एफआरके की मात्रा:

- पश्चिम बंगाल सरकार को 2,606.420 मीट्रिक टन
- महाराष्ट्र सरकार को 185.130 मीट्रिक टन
- तेलंगाना सरकार को 29,070.217 मीट्रिक टन
- आंध्र प्रदेश सरकार को 6,915.60 मीट्रिक टन
- असम सरकार को 139.47 मीट्रिक टन

एफआरके का निरंतर वितरण वर्तमान में चल रहा है।

अध्याय-11.6

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति स्थापित करने के लक्ष्य से और संघ के लिए पूरक राजस्व सृजन करते हुए वाणिज्यिक संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से, नेफेड विदेशी देशों से विविध कृषि वस्तुओं और उत्पादों के आयात और निर्यात कार्य कर रहा है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, नेफेड ने निम्नलिखित व्यावसायिक कार्यकलाप शुरू किए हैं:

- **विदेश मंत्रालय, सरकार भारत की ओर से मानवीय सहायता के रूप में स्टेट प्रक्योरमेंट ऑफ मेडागास्कर, मेडागास्कर सरकार के लिए 5000 मीट्रिक टन चावल का निर्यात**

  सद्भावना संकेत के रूप में, भारत सरकार नियमित रूप से विभिन्न विकासशील और अल्प विकसित देशों को विभिन्न खाद्य, कृषि वस्तुओं और वस्तुओं की मानवीय सहायता/आपातकालीन राहत प्रदान करती है। गुणवत्ता और वितरण मानदंड के अनुसार ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए नेफेड की क्षमताओं पर भरोसा जताते हुए, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने 45 दिनों के भीतर तमातावे बंदरगाह, मेडागास्कर को 5000 मीट्रिक टन चावल के निर्यात का काम नेफेड को सौंपा था।

  मेडागास्कर सरकार के प्रति विदेश मंत्रालय की प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए, नेफेड ने निर्धारित वितरण समय सीमा के भीतर भारत की कांडला बंदरगाह से चार्टर्ड जहाज एमवी कोर इंपीरियल के माध्यम से 5,000 मीट्रिक टन चावल की संपूर्ण मात्रा तमातावे बंदरगाह, मेडागास्कर तक भेज दी है। इस आपूर्ति से संघ में 18.44 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

मेडागास्कर के माननीय राष्ट्रपति महामहिम एंड्री राजोएलिना को राजदूत अभय कुमार द्वारा 5000 मीट्रिक टन चावल सौंपा गया।

- **सरकार से सरकार (जी2जी) पहल के अंतर्गत राज्य व्यापार निगम, मॉरीशस सरकार को बासमती चावल (150 मीट्रिक टन) और चना दाल (50 मीट्रिक टन) का निर्यात।**

  नेफेड ने सरकार से सरकार (जी2जी) व्यवस्था के अंतर्गत मॉरीशस गणराज्य को गेहूं, चावल, खाद्य तेल और अन्य कृषि वस्तुओं के निर्यात के लिए स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (एसटीसी), मॉरीशस के साथ दिनांक 17.06.2022 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

  एसटीसी मॉरीशस ने प्रथम परीक्षण आदेश के रूप में पोर्ट लुइस, मॉरीशस तक 150 मीट्रिक टन चावल और 50

मीट्रिक टन चना दाल की आपूर्ति के लिए दिनांक 10.08.2022 को खरीद आदेश जारी किया है, जिसे नेफेड द्वारा सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई है। इस आपूर्ति से संघ में 264,200.00 अमेरिकी डॉलर (2.07 करोड़ रुपये) का कारोबार हुआ।

एसटीसी मॉरीशस को आपूर्ति

खुदरा व्यापार

अध्याय-11.7

संक्षिप्त विवरण

नेफेड ने अपनी विविधीकरण रणनीति के भाग के रूप में खुदरा व्यापार और उपभोक्ता विपणन के क्षेत्र में नई पहल की है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर चाय, तेल, मसाले आदि जैसे आवश्यक दैनिक किराने का सामान उपलब्ध कराना है। इन उत्पादों का विपणन "नेफेड" ब्रांड नाम के अंतर्गत नेफेड बाज़ार के नाम से ज्ञात खुदरा दुकानों के माध्यम से किया जाता है। खुदरा व्यापार प्रभाग इन दुकानों का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से और फ्रेंचाइज़ी व्यवस्था के माध्यम से करता है।

इसके अतिरिक्त, खुदरा व्यापार प्रभाग विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की पहल के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। उल्लेखनीय प्रयासों में भारत सरकार द्वारा ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (घरेलू) - नीति 2023 के अंतर्गत "भारत आटा" की शुरूआत शामिल है। इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में आटे की कीमतों को नियंत्रित करना है। यह प्रभाग वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष मनाते हुए श्रीअन्न और श्रीअन्न-आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यकलापों में भी संलग्न है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग जम्मू और कश्मीर के केसर किसानों की उन्नति और एफएमसीजी क्षेत्र में माइक्रो फूड प्रोसेसर को औपचारिक बनाने के लिए पीएम एफएमई पहल के लिए पीएम-किसान योजना जैसी योजनाओं का समर्थन करता है। ये प्रयास आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।

नेफेड बाज़ार के मौजूदा दुकानें

क्रम सं	मौजूदा नेफेड बाज़ार स्टोर का पता
1	आश्रम चौक, नई दिल्ली।
2	कृषि भवन, नई दिल्ली।
3	न्यू मोती बाग क्लब, नई दिल्ली।
4	मोहन सहकारी औद्योगिक क्षेत्र, मथुरा रोड, नई दिल्ली।
5	एलबीएसएनएए, मसूरी, उत्तराखंड।
6	सेक्टर-5, पंचकूला, हरियाणा।
7	एसएडी कॉम्प्लेक्स कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश।

8	जीटीबी अस्पताल, नई दिल्ली।
9	रिटेल आउटलेट, फ़रीदाबाद (हरियाणा), आईओसीएल।
10	कॉम्प्लेक्स, गुरूग्राम, हरियाणा, हिपा।
11	दिल्ली पुलिस मुख्यालय, पुलिस कॉलोनी, नई दिल्ली।
12	नाथूपुर, डीएलएफ फेज-3, सेक्टर -70, गुरुग्राम, हरियाणा।
13	अहमदाबाद, गुजरात।
14	लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली।
15	दुकान नंबर 3 और 4, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली।
16	छतरपुर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली।
17	राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली।
18	लुधियाना, पंजाब।
19	कपूरथला, पंजाब।
20	एफआरआई, देहरादून, उत्तराखंड।
21	राष्ट्रीय नारियल बोर्ड, परिसर, कोच्चि, केरल।
22	नीति भवन, नई दिल्ली (विशिष्ट श्रीअन्न भंडार)।

पीएम एफएमई योजना के अंतर्गत पहल: ओडीओपी उत्पाद का शुभारंभ

- श्री पशुपति कुमार पारस, माननीय केंद्रीय मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के साथ-साथ श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), सुश्री अनीता प्रवीण (आईएएस), सचिव (एमओएफपीआई) और श्री पंकज कुमार प्रसाद, एएमडी नेफेड, पीएम एपएमई योजना के अंतर्गत एमओएफपीआई के समर्थन से नेफेड द्वारा विकसित 3 ओडीओपी ब्रांड और 5 ओडीओपी उत्पादों के शुभारंभ समारोह में उपस्थित थे। तीन नए ओडीओपी ब्रांड-पिंड से (पंजाब के अमृतसर जिले से), मधुरमिठास (उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से) और अनारस (मेघालय के री भोई जिले से), और पांच ओडीओपी उत्पाद- आम का

अचार, गुड़ का पाउडर, मसालेदार सूखे अनानास, कश्मीरी मसाला पेस्ट और लेमन शहद को दिनांक 05 मई, 2022 को नई दिल्ली में शुरू किया गया।

- श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री और श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री सहित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 22 अगस्त, 2022 को भोपाल में नेफेड द्वारा आयोजित सहकार से समृद्धि, "कृषि विपणन में सहकारी समितियों की भूमिका" कार्यक्रम के दौरान छह नए ओडीओपी उत्पाद शुरू किए गए। इन उत्पादों में चटपटा सूखा आंवला (अमृत फल ब्रांड), रागी कुकीज़ (सोमदाना ब्रांड), मिश्रित अचार (पिंड से ब्रांड), चाट मसाला (कोरी गोल्ड ब्रांड), मसालेदार अनानास फ्रूट बार (अनारस ब्रांड), और मसालेदार गुड़ (मधुरमिठास ब्रांड)। यह पीएम एफएमई योजना के चरण I के सफल समापन का प्रतीक है, जिसमें नेफेड ने भारत के 10 जिलों में 10 ओडीओपी ब्रांड और 20 ओडीओपी उत्पाद पेश किए हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान नेफेड में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम

- ### आहार पर

  श्रीमती अनीता प्रवीण, आईएएस, सचिव एमओएफपीआई ने दिनांक 26-30 अप्रैल, 2022 को आयोजित आहार - अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला 2022 के 36वें संस्करण में नेफेड द्वारा आयोजित ओडीओपी पीएम एफएमई स्टॉल का दौरा किया।

- ### केवडिया, गुजरात में विश्व मधुमक्खी दिवस

  उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से प्राप्त 'मधु मंत्र' नामक ओडीओपी शहद ब्रांड को दिनांक 20 मई, 2022 को केवडिया, गुजरात में आयोजित "विश्व मधुमक्खी दिवस 2022" कार्यक्रम के दौरान प्रचार किया गया। इस कार्यक्रम में श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय मंत्री एमओएंडएफडब्ल्यू और श्री कैलाश चौधरी, एओएंडएफडब्ल्यू ने नेफेड स्टॉल का दौरा किया।

- ### मुरैना में किसान मेला

  श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय मंत्री एमओएंडएफडब्ल्यू के साथ-साथ श्री कैलाश चौधरी, एमओएस, एमओएंडएफडब्ल्यू ने दिनांक 12 नवंबर, 2022 को मुरैना में आयोजित किसान मेले में नेफेड स्टालों का दौरा किया। इस कार्यक्रम के दौरान, श्री पंकज कुमार प्रसाद, अपर प्रबंध निदेशक, नेफेड ने 'मधुक्रांति - मधुर क्रांति' में नेफेड की भूमिका के बारे में सभा को संबोधित किया।

नई दिल्ली में ओडीओपी उत्पाद का शुभारंभ

भोपाल में ओडीओपी उत्पाद का शुभारंभ

एनसीयूआई मेले में नेफेड

भारत आटा का शुभारंभ

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन

दिल्ली हाट, नई दिल्ली में कमलम (ड्रैगन फ्रूट) का शुभारंभ

- **एनसीयूआई मेला**

श्री राजबीर सिंह (आईएफएस) नेफेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने एनसीयूआई मेले के दौरान नेफेड स्टॉल पर सहकारिता मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री बी.एल.वर्मा का भव्य स्वागत किया। स्टॉल पर ओडीओपी और नेफेड ब्रांड के उत्पादों का संग्रह गर्व से प्रदर्शित किया गया, जिन्हें दिनांक 15 नवंबर, 2022 को आयोजित कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया था।

- **नेफेड के भारत आटा का शुभारंभ**

फरवरी 2023 में, नेफेड ने ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (ओएमएसएस) के भाग के रूप में गेहूं के आटे के उत्पाद "भारत आटा" को सफलतापूर्वक पेश करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह पहल देश में गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए की गई थी। नेफेड ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के साथ मिलकर इस प्रयास का नेतृत्व किया, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है।

नेफेड का "भारत आटा" अब पूरे देश में उपभोक्ताओं के लिए 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की किफायती कीमत पर उपलब्ध है। यह उत्पाद नेफेड बाज़ार खुदरा भंडार, मोबाइल वैन और अन्य आउटलेट्स सहित विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए और इस पर तेजी से कार्य करने में नेफेड सबसे आगे रहा है और नेफेड के भारत आटे की मात्रा और पहुंच के मामले में अन्य संगठनों से काफी आगे निकल गया है।

- **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन**

नेफेड ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया और पूरे भारत में आईओसीएल रिटेल आउटलेट्स पर नेफेड बाज़ार स्टोर खोलने के लिए दिनांक 6 मार्च, 2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन भंडारों के माध्यम से नेफेड ब्रांड, ओडीओपी, श्रीअन्न और अन्य एफएमसीजी उत्पाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाएंगे।

- **दिल्ली हाट, नई दिल्ली में कमलम (ड्रैगन फ्रूट) का शुभारंभ**

दिनांक 14 अक्तूबर, 2022 को, श्री राजबीर सिंह (आईएफएस), तत्कालीन प्रबंध निदेशक, नेफेड ने आधिकारिक तौर पर गुजरात से कमलम (ड्रैगन फ्रूट) का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम कमलम महोत्सव के दौरान आयोजित किया गया, जिसे कृषि और किसान कल्याण और सहयोग विभाग, गुजरात सरकार द्वारा आयोजित किया गया था।

इस शुभारंभ के अवसर पर श्रीमती आरती कंवर, आवास आयुक्त, गुजरात, एमडी, गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (जीएआईसी) और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। गुजरात के किसानों से खरीदे गए कमलम (ड्रैगन फ्रूट) को न केवल महोत्सव में प्रदर्शित किया गया, बल्कि नेफेड बाज़ारों में खरीद के लिए भी उपलब्ध कराया गया।

अध्याय - 11.8

जूट

नेफेड बोरी (गन्नी बैग) की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है। ये बैग विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे दलहन, तिलहन, प्याज और अन्य वस्तुओं की पैकेजिंग के लिए आवश्यक हैं जो विभिन्न राज्य विपणन संघों के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के अंतर्गत खरीदे जाते हैं।

पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए खरीद प्रक्रिया खुली ई-निविदाओं के माध्यम से की जाती है। नेफेड के पास इस क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों का अनुभव है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, नेफेड ने लगभग 40 अनुमोदित जूट मिलों के साथ सहयोग किया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, नेफेड बोरी के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान (31 मार्च 2023 तक) नेफेड द्वारा आपूर्ति की गई बोरियों का विवरण निम्नानुसार था-

बोरी के प्रकार	आपूर्ति (गांठों में)	आपूर्ति (लाख नग में)	मूल्य (करोड़ में)
एसबीटी (580 ग्राम)	114669	573.34	386.39
ए-ट्वील (989 ग्राम)	4857	19.428	18.88
बी-ट्वील (907 ग्राम)	3010	9.03	8.80
हेसियन (260 ग्राम)	2884	28.84	11.78
हेसियन (625 ग्राम)	800	4.00	3.64
कुल	126220	634.64	429.52

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, नेफेड ने देश भर में लगभग 126220 गांठें (634.64 लाख नग) जूट बैग की आपूर्ति की, जिसका मूल्य लगभग 429.52 करोड़ रुपये है।

विभिन्न राज्य सरकारों/संघों को जूट के बैग की आपूर्ति

बीज व्यवसाय

अध्याय-11.9

नेफेड भारत सरकार के अधीन कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफड्ब्लू) की केंद्रीय बीज एजेंसियों में से एक है, जो दलहन, तिलहन और अनाज के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए उत्तरदायी है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)-दलहन/तिलहन योजना के अंतर्गत संचालित होता है, जो बीज मिनीकिट वितरण योजना के माध्यम से देश भर के किसानों को सीधे प्रमाणित बीज प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, नेफेड कृषि और किसान कल्याण विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त निविदाओं और सीधे आदेश के माध्यम से राज्य सरकारों को अधिशेष प्रमाणित बीज की आपूर्ति करता है।

नेफेड की प्रमुख बीज फसलें

तिलहन: मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, अलसी, तिल, आदि।

दलहन: चना, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, अरहर, आदि।

अनाज: गेहूं, धान, मक्का, जौ, आदि।

सब्जियाँ: आलू, प्याज, टमाटर, खीरा और अन्य सभी कंदमूल।

चारा फसलें: बरसीम, जई, बाजरा, ज्वार, चारा मक्का।

प्रमाणित बीज उत्पादन

- बीज उत्पादन की प्रक्रिया में आम तौर पर तीन अलग-अलग उत्पादन शामिल होते हैं: ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित बीज। ब्रीडर से किसान तक जाने तक किस्म की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए, नेफेड बीज गुणन प्रक्रिया के भीतर गुणवत्ता आश्वासन हेतु व्यापक उपाय कार्यान्वित करता है। नेफेड इसे बीज नोडल अधिकारियों और तकनीकी दल को नियोजित करके प्राप्त करता है जो संपूर्ण देश में बीज उत्पादन पहल का क्षेत्रीय निरीक्षण करते हैं। यह तत्पर निरीक्षण किसानों द्वारा इष्टतम कृषि पद्धतियों के पालन की गारंटी देता है। इसके अतिरिक्त, उत्पन्न बीजों को विनिर्दिष्ट बीज मानकों को पूरा करने के लिए कठोर परीक्षण से गुजरना पड़ता है।
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, नेफेड ने डीएएंडएफड्ब्लू, भारत सरकार के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत प्रतिष्ठित संस्थानों से लगभग 202.86 क्विंटल ब्रीडर बीजों की खरीद की। नेफेड इन अधिग्रहीत ब्रीडर बीजों को बाद में संपूर्ण इंडिया से जुड़े अधिकृत बीज उत्पादकों द्वारा फाउंडेशन बीजों में प्रसारित किया जाता है। इन फाउंडेशन बीजों का उपयोग आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में प्रमाणित बीज उत्पादन के उद्देश्य से किया जाएगा।
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, नेफेड को भारत सरकार से वित्तीय सहायता के रूप में 23,893.66 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई। यह निधि 381,695 क्विंटल प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए आवंटित की गई थी, जिसमें दलहन, तिलहन, पोषक अनाज और चारा फसल जैसी विभिन्न प्रकार की फसलें शामिल थीं।
- अधिकांश भाग, जो वित्तीय सहायता का 75% है, विशेष रूप से नेफेड से संबद्ध पंजीकृत लाभार्थी किसानों के लिए नामित किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न मौसमों और कार्यक्रमों में भारत सरकार द्वारा नेफेड को सौंपे गए बीज उत्पादन से संबंधित उद्देश्यों का वितरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

(भौतिक = मात्रा, वित्त = मूल्य लाख रुपये में)

योजना	खरीफ 2022		रबी 2022-23		ग्रीष्म 2022-23		कुल 2022-23	
	आवंटित लक्ष्य		आवंटित लक्ष्य		आवंटित लक्ष्य		आवंटित लक्ष्य	
	भौतिक	वित्त	भौतिक	वित्त	भौतिक	वित्त	भौतिक	वित्त
एनएफएसएम- दालें, डीए और एफडब्ल्यू, एमओए, भारत सरकार	85,400	4,270.00	49,500	2,475.00	48,160	2,408.00	1,83,060	9,153.00
एनएफएसएम-तिलहन, डीए और एफडब्ल्यू, एमओए, भारत सरकार	18,000	457.40	32,000	809.50	0	0.00	50,000	1,266.90
एनएफएसएम-पोषक अनाज, डीए और एफडब्ल्यू, एमओए, भारत सरकार	5,800	349.00	0	0.00	0	0.00	5,800	349.00
एनएलएम-चारा बीज, डीएएचडी, एमओएफएएचएण्डडी, भारत सरकार	46,976	4,486.00	44,459	3,676.76	51,400	4,962.00	1,42,835	13,124.76
कुल	**1,56,176**	**9,562.40**	**1,25,959**	**6,961.26**	**99,560**	**7,370.00**	**38,1695**	**23,893.66**

- नेफेड ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में ऊपरोक्तलिखित बीज उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल इन संबंधित राज्यों में बीज उत्पादक किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई है।

- नेफेड ने तीन वर्ष की अवधि के लिए यूएएस, रायचूर और आईआईओआर, हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग नेफेड को सूरजमुखी फसल बीजों के प्रमाणित उत्पादन के लिए जिम्मेदार बीज उत्पादक एजेंसी के रूप में स्थापित करता है। यह प्रयास कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई "सूरजमुखी कृषि का पुनरुद्धार" योजना के अंतर्गत किया गया है। यूएएस, रायचूर वर्ष 2023-24 से संकर बीज उत्पादन के लिए नेफेड को आवश्यक दिशा-निर्देश (क - महिला और द-पुरुष) प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, इस बीज उत्पादन कार्यक्रम की देखरेख और निगरानी आईआईओआर, हैदराबाद द्वारा की जाएगी।

- बीज अवसंरचना सुविधाओं का संवर्धन करने के लिए नेफेड ने देवास, मध्य प्रदेश में 5टीपीएच की क्षमता वाला नया बीज प्रसंस्करण संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया है। यह उपलब्धि "बीज अवसंरचना सुविधाओं का सृजन" योजना के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के माध्यम से संभव हो हुई है, जो बड़े "बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन" पहल संबंधी घटक है।

नेफेड प्रमाणित बीज की आपूर्ति

- विभिन्न पहलों के अंतर्गत, नेफेड द्वारा विशेष रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) सृजित प्रमाणित बीज, मुख्य रूप से राज्य कृषि विभागों को "बीज मिनीकिट" के रूप में वितरित किए जाते हैं। यह वितरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा स्थापित निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन करता है।

- वित्त वर्ष 2022-23 में, नेफेड ने कई राज्यों में दलहन और तिलहन फसलों के लिए लगभग 35,584.56 क्विंटल बीज मिनीकिट प्रभावी ढंग से वितरित किए। इन राज्यों में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान फसलों द्वारा श्रेणीबद्ध नेफेड द्वारा प्रदान की गई बीज मिनीकिट का निम्नलिखित तालिका आउटलाइन्स संक्षिप्त अवलोकन किया जा सकता है:

क्रम सं	राज्य	योजना	फसल	बीज मिनीकिट्स लक्ष्य (क्विंटल में)	बीज मिनीकिट आपूर्ति (क्विंटल में)
1	बिहार	एनएफएसएम-तिलहन	सरसों	2,500.00	1,400.00
			सोयाबीन	150.00	-
		एनएफएसएम-दलहन	मसूर दाल	1,000.00	999.60
	कुल			**3,650.00**	**2,399.60**
2	छत्तीसगढ़	एनएफएसएम-तिलहन	सोयाबीन	300.00	144.00
		एनएफएसएम-दलहन	उड़द	800.00	800.00
	कुल			**1,100.00**	**944.00**
3	हरियाणा	एनएफएसएम-दलहन	मूँग	300.00	300.00
	कुल			**300.00**	**300.00**
4	झारखंड	एनएफएसएम-तिलहन	सरसों	1,300.00	467.20
	कुल			**1,300.00**	**467.20**
5	महाराष्ट्र	एनएफएसएम-तिलहन	सरसों	800.00	-
		एनएफएसएम-दलहन	अरहर	900.00	848.24
			दाल	450.00	450.00
	कुल			**2,150.00**	**1,298.24**
6	मध्य प्रदेश	एनएफएसएम-तिलहन	सरसों	1,300.00	690.00
			सोयाबीन	2,000.00	1,670.40
		एनएफएसएम-दलहन	अरहर	1,500.00	1,454.44
			मसूर दाल	4,800.00	3,849.60
			मूँग	2,059.00	2,053.68
			उड़द	9,412.00	8,577.40
	कुल			**21,071.00**	**18,295.52**
7	ओड़िशा	एनएफएसएम-तिलहन	मूँगफली	1,000.00	-
		एनएफएसएम-दलहन	मसूर दाल	100.00	-
	कुल			**1,100.00**	**-**
8	राजस्थान	एनएफएसएम-दलहन	मसूर दाल	1,000.00	999.20
			मूँग	1,200.00	1,200.00
			उड़द	300.00	300.00
	कुल			**2,500.00**	**2,499.20**
9	उत्तर प्रदेश	एनएफएसएम-तिलहन	सरसों	3,300.00	1,082.00
		एनएफएसएम-दलहन	अरहर	600.00	559.60
			मसूर दाल	2,500.00	2,500.00
			मूँग	1,000.00	1,000.00
			उड़द	4,125.00	3,599.20
	कुल			**11,525.00**	**8,740.80**
10	उत्तराखंड	एनएफएसएम-दलहन	उड़द	500.00	500.00
	कुल			**500.00**	**500.00**
11	पश्चिम बंगाल	एनएफएसएम-तिलहन	मूँगफली	500.00	140.00
			सरसों	2,300.00	-
	कुल			**2,800.00**	**140.00**
	कुल योग			**47,996.00**	**35,584.56**

नेफेड बीज मिनीकिट		
फसल- अरहर, किट का आकार- 4 किलोग्राम		फसल - उड़द, किट का आकार - 4 किलोग्राम

- बीज मिनीकिट के माध्यम से प्रमाणित बीज की आपूर्ति के अतिरिक्त, नेफेड राज्य योजनाओं के भीतर मांग के आधार पर राज्य कृषि विभागों को सीधे शेष बीज स्टॉक भी प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2022-23 में, नेफेड ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओड़िशा को मटर, मूंग, अरहर, चना और गेहूं जैसी फसलों के लिए लगभग 6,000 क्विंटल प्रमाणित बीजों की आपूर्ति की।

टी/एल बीजों की आपूर्ति

- नेफेड ने हिमाचल प्रदेश (370 क्विंटल) और जम्मू (500 क्विंटल) को बरसीम के टी/एल बीज और पंजाब को ढैंचा फसल (2983.60 क्विंटल) की भी आपूर्ति की।

वित्त वर्ष 2022-23 में सब्जी के बीज की आपूर्ति

- नेफेड ने एमआईडीएच, एनएचएम और राष्ट्रीय आयुष मिशन जैसी राज्यिक योजनाओं के अंश के रूप में उत्तर प्रदेश, ओड़िशा और जम्मू (संघ राज्य क्षेत्र) सहित विभिन्न राज्यों को सब्जी के बीज (ओपी/हाइब्रिड/टीएल) वितरित किए।
- ओड़िशा में, नेफेड ने राज्य विभागों को लगभग 23,106.50 क्विंटल आलू के बीज कंद वितरित किए।
- जम्मू (संघ राज्य क्षेत्र) में, नेफेड ने कृषि विभाग को 0.66 क्विंटल सब्जियों के बीज प्रदान किए।
- उत्तर प्रदेश में, नेफेड ने बागवानी विभाग को 1,084.21 क्विंटल सब्जियों के बीज के साथ-साथ पपीता, स्ट्रॉबेरी, गुलाब, एलोवेरा, रजनीगंधा और सतावरी सहित बागवानी रोपण सामग्री की 5,89,475 इकाइयां आपूर्ति की। इसके अतिरिक्त, नेफेड बागवानी विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को 24,128 सब्जी के बीज की मिनीकिट (200 ग्राम/वजन) वितरित किए।
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए बीज व्यवसाय का कुल मूल्य लगभग 58.27 करोड़ रुपये था।

जैव-उर्वरक

अध्याय – 11.10

- जैव उर्वरकों में जीवित या निष्क्रिय सूक्ष्मजीव होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने अन्यथा दुर्गम फॉस्फेट को घुलनशील करने और कृषि अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से विघटित करने की अनूठी क्षमता रखते हैं। वर्ष 1984-85 में इंदौर, मध्य प्रदेश में अपनी पहली जैव-उर्वरक उत्पादन इकाई की स्थापना करके जैव उर्वरक के क्षेत्र में शुरुआत की। इस इकाई की वार्षिक क्षमता 450 मीट्रिक टन है।

- नेफेड के जैव-उर्वरक ब्रांड ने उद्योग में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच भी किसानों में पर्याप्त लोकप्रियता हासिल की है। देश भर में कृषि परिणामों को और बढ़ाने के लिए नेफेड ने तरल जैव उर्वरकों के उत्पादन और वितरण में कदम रखा है। ये उत्पाद फसल उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- नेफेड की अनुसंधान एवं विकास टीम के अटूट समर्पण के परिणामस्वरूप नेफेड ब्रांड के तहत विपणन किए गए उत्पादों की एक सरणी बनाई गई है:
  - राइजोबियम - फलीदार फसलों के लिए तैयार
  - एज़ोटोबैक्टर - अनाज, बाजरा, सब्जियों और बागवानी फसलों के लिए डिज़ाइन किया गया
  - एज़ोस्पिरिलम - मक्का, बाजरा और आलू जैसी फसलों के लिए तैयार
  - पीएसबी (फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया) - सभी प्रकार की फसलों पर लागू
  - खाद बनाने की संस्कृति - प्रभावी जैविक अपशिष्ट अपघटन के लिए
  - ट्राइकोडर्मा विराइड बायो-कवकनाशी - फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू

- नेफेड जैव उर्वरकों की उपलब्धियां बेहद सराहनीय हैं जैसा कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (भारत सरकार के तहत) द्वारा असाधारण प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कारों के माध्यम से स्वीकार किया गया है - एक सम्मान जो 11 बार दिया गया है।

- नेफेड की दृष्टि इंदौर में एनएसबीडी (राष्ट्रीय बीज प्रभाग) में नवीकरण कार्य शुरू करने के साथ-साथ नए उत्पादों को पेश करके जैव-उर्वरक उत्पादन सुविधाओं को बढ़ाने की योजना पर जोर देती है। इन प्रयासों का उद्देश्य नेफेड की इन-हाउस निर्मित पेशकशों के दायरे का विस्तार करना है जिससे उनकी व्यापारिक गतिविधियों में निरंतर उन्नति को बढ़ावा मिलता है।

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंदौर में जैव-उर्वरक इकाई ने 104.44 लाख रुपये का कारोबार हासिल किया जिससे जैव-उर्वरक श्रेणी के भीतर लगभग 40.15 लाख रुपये का सकल लाभ हुआ। समवर्ती रूप से बैक-टू-बैक बायो-एग्री इनपुट व्यवसाय ने 6.53 करोड़ रुपये का कारोबार किया जिसके परिणामस्वरूप लगभग 32.08 लाख रुपये का सकल लाभ हुआ।

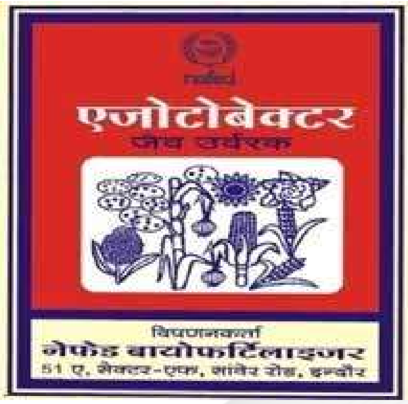

नाईट्रोजन सप्लिमेंटिंग

पोटाश सप्लिमेंटिंग

जैविक कृषि

अध्याय - 11.11

जैविक कृषि एक स्थाई कृषि पद्धति है जो पारिस्थितिक रूप से अनुकूल कीट नियंत्रण को नियोजित करती है और मुख्य रूप से पौधे और पशु अवशेषों से प्राप्त जैविक उर्वरकों का उपयोग करती है साथ ही नाइट्रोजन-फिक्सिंग कवर फसलों का उपयोग करती है। यह पारंपरिक कृषि में रासायनिक कीटनाशकों और सिंथेटिक उर्वरकों के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के जवाब में उभरा जो कई पारिस्थितिक लाभ प्रदान करता है।

पारंपरिक कृषि की तुलना में जैविक कृषि मृदा के क्षरण को कम करती है, भूजल और सतह के पानी में नाइट्रेट रिसाव को कम करती है और पशु अपशिष्ट को खेत के पारिस्थितिकी तंत्र में वापस पुनर्चक्रण करती है। बहरहाल, ये लाभ उच्च उपभोक्ता खाद्य लागत और आमतौर पर कम पैदावार के साथ आते हैं। जैविक फसल की पैदावार आमतौर पर पारंपरिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों की तुलना में लगभग 25% कम होती है, हालांकि यह फसल के प्रकार के आधार पर काफी भिन्न हो सकती है। जैविक कृषि के लिए आगामी चुनौती जलवायु परिवर्तन और बढ़ती वैश्विक आबादी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करते हुए अपने पर्यावरणीय गुणों को संरक्षित करना, पैदावार बढ़ाना और कम कीमतें करना है।

नेफेड जैविक कृषि के लिए सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं को निष्पादित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है, जिसका उद्देश्य स्थाई कृषि संवर्धन में योगदान करना है। जैविक कृषि और इसके प्रमाणन में 15 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, नेफेड ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, ओड़िशा और मणिपुर जैसे राज्यों में काम किया है। संगठन ने पीकेवीवाई, आरकेवीवाई, एमआईडीएच (एनएचएम), और एमओवीसीडीएनईआर जैसी योजनाओं के तहत 50,500 हेक्टेयर से अधिक संयुक्त भूमि क्षेत्र को कवर किया है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

I. आरकेवीवाई के तहत जैविक कृषि को अपनाना और प्रमाणीकरण करना, जिसमें उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में 26,000 हेक्टेयर क्षेत्र और 12,783 किसान शामिल हैं।

II. एनएचएम के तहत जैविक कृषि और प्रशिक्षण को अपनाने और प्रमाणन में उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में 20,400 हेक्टेयर क्षेत्र और 12,469 किसान शामिल हैं।

III. बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र और 2111 किसानों को कवर करते हुए एनएचएम के तहत लीची की जैविक कृषि और प्रशिक्षण को अपनाना और प्रमाणीकरण

IV. ओड़िशा के 5 जिलों में 1850 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए एमआईडीएच (एनएचएम) के तहत जैविक कृषि और प्रशिक्षण को अपनाना और प्रमाणन

V. पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन के अंतर्गत 1500 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए पूर्व इम्फाल, मणिपुर में उत्पादक समूह/किसान उत्पादक कंपनी के जैविक प्रमाणन का कार्यान्वयन।

2022-2023 में लागू की गई परियोजनाएं:

नेफेड ने विभिन्न क्षेत्रों में जैविक कृषि की पहल से संबंधित मान्यता और परियोजनाओं को मान्यता दी:

- **ओड़िशा में जैविक कृषि परियोजना को अपनाना और प्रमाणीकरण:**

  नेफेड को 2022-23 की अवधि के लिए ओड़िशा में एमआईडीएच (एनएचएम) के तहत जैविक कृषि परियोजना को अपनाने और प्रमाणन के हिस्से के रूप में 400 हेक्टेयर भूमि प्रदान की गई थी। यह परियोजना वर्तमान में रायगढ़ और नयागढ़ जिलों में निष्पादित की जा रही है जिसमें प्रत्येक जिले में 200 हेक्टेयर का आवंटन किया गया है।

- **उत्तर प्रदेश में जैविक कृषि समूह:**

  नेफेड को उत्तर प्रदेश में जैविक कृषि परियोजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। संगठन को वित्तीय वर्ष 22-23 में पीकेवीवाई (परंपरागत कृषि विकास योजना) के तहत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 40 क्लस्टर प्रदान किए गए थे। ये क्लस्टर महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में वितरित किए जाते हैं, प्रत्येक जिले को 20 क्लस्टर आवंटित किए जाते हैं। वर्तमान में परियोजना प्रगति पर है।

- **मणिपुर में जैविक प्रमाणन कार्यान्वयन:**

  अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय (एमओएमए) ने मणिपुर में उत्पादक समूहों और किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीओ) के लिए जैविक प्रमाणन को लागू करने का कार्य नेफेड को सौंपा। यह जिम्मेदारी वित्त वर्ष 2020-21 से शुरू होने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) चरण 3 के हिस्से के रूप में ली गई थी। आईएसएपी इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से नेफेड ने एक संघ का गठन किया। इस कंसोर्टियम के तहत 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 1800 अनानास उत्पादकों वाले 4 एफपीओ को 9 मार्च, 2021 को पदोन्नति के लिए मंजूरी दी गई थी। आईएसएपी इंडिया फाउंडेशन नेफेड के मार्गदर्शन के साथ इस परियोजना के व्यावहारिक निष्पादन में सक्रिय रूप से शामिल है। इसके अतिरिक्त आईएसएपी जैविक प्रमाणन प्राप्त करने में इन 1800 किसानों की सहायता कर रहा है।

इस प्रकार परियोजना के अधिदेश के तहत पश्चिम इम्फाल जिले में 4 एफपीसी पंजीकृत किए गए हैं:

- नोंगमेचिंग ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
- येल्हौमी ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
- नोंगपोक अपुनबा ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
- चिंगबुरोई तंबुरोई फेड ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

एफपीसी की स्थापना के बाद से विभिन्न गतिविधियों को शुरू किया गया है जिसमें जागरूकता शिविर, शेयर पूंजी संग्रह, प्रशिक्षण और विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी शामिल है। हाल के वर्षों में उल्लेखनीय हाइलाइट्स में एमओएमए सब्सिडी के माध्यम से प्रसंस्करण इकाइयों, संग्रह केंद्रों और पिकअप ट्रकों को प्राप्त करना, चल रहे व्यावसायिक लेनदेन को बढ़ावा देना शामिल है। विशेष रूप से चार आईसीएस ने जैविक प्रमाणन के तहत पंजीकरण किया है जो जिम्मेदार कृषि के लिए एफपीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ओड़िशा में परियोजना क्रियान्वयन की झलकियाँ

जलवायु अनुकूल नवाचार (सीआरआई)

अध्याय - 11.12

नेफेड ने कृषि और नगरपालिका के कचरे का उपयोग करके जैव संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) का उत्पादन करने के पर्यावरण के प्रति जागरूक उद्योग में प्रवेश किया है। संगठन का उद्देश्य अधिक पर्यावरणीय रूप से स्थाई भविष्य में योगदान करना और पूरे भारत में जैव-ईंधन संयंत्रों की स्थापना करके "स्वच्छ भारत" पहल का समर्थन करना है।

इसके अतिरिक्त नेफेड ने अपने तकनीकी और वित्तीय भागीदारों द्वारा संचालित सुविधाओं से प्राप्त जैविक उर्वरक का विपणन और वितरण शुरू किया है।

नेफेड को जम्मू नगर निगम (जेएमसी) परियोजना शुरू करने का अवसर दिया गया था। इस परियोजना के उद्देश्य में जम्मू क्षेत्र में 350 टन की दैनिक प्रसंस्करण क्षमता के साथ एक जैव संपीडित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र की स्थापना शामिल है। चर्चाओं और प्रस्तुतियों की एक शृंखला के बाद जेएमसी ने प्रस्ताव का समर्थन किया जिससे 6 अप्रैल, 2021 को नेफेड और जेएमसी के बीच औपचारिक समझौता हुआ। वर्तमान में परियोजना निर्माणाधीन है।

नेफेड को अहमदाबाद में 500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले बायो सीबीजी संयंत्र की स्थापना के लिए अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) की एक अन्य परियोजना प्रदान की गई थी। व्यापक प्रयासों के बाद, जिसमें कई दौर की चर्चाएं और प्रस्तुतियां शामिल थीं, प्रस्ताव को एएमसी का समर्थन मिला। नतीजतन, 20 अक्तूबर, 2021 को कार्य आदेश जारी किया गया। यह परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन है।

नेफेड को श्रीनगर में जैव सीबीजी/जैविक खाद संयंत्र स्थापित करने के लिए जम्मू-कश्मीर झील और जलमार्ग विकास प्राधिकरण की परियोजना से सम्मानित किया गया था। 17 सितंबर, 2021 को नेफेड ने श्रीनगर में बायो सीबीजी/जैविक खाद संयंत्र के निर्माण के लिए जम्मू-कश्मीर झील और जलमार्ग विकास प्राधिकरण के साथ एक औपचारिक समझौता किया। वर्तमान में परियोजना निर्माणाधीन है।

नेफेड ने 15 फरवरी 2022 को जैव-ईंधन परियोजनाओं की स्थापना पर सहयोग करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन परियोजनाओं में संपीडित बायो-गैस (सीबीजी), इथेनॉल और बायोडीजल के उत्पादन के साथ-साथ संयंत्रों के लिए कच्चे माल की खरीद और परिणामी उत्पादों का विपणन शामिल है जिसमें सीबीजी, किण्वित जैविक खाद (एफओएम), तरल किण्वित जैविक खाद (एलएफओएम), और घुलनशील के साथ सूखे डिस्टिलर्स अनाज (डीडीजीएस) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सहयोग में विभिन्न उत्पादों जैसे पशु चारा और समृद्ध खाद के लिए पोस्ट प्रोसेसिंग और मूल्य वर्धन के लिए सुविधाओं का निर्माण शामिल है। इंडियन ऑयल रिटेल नेटवर्क में बायो-सीजीबी संयंत्रों और नेफेड स्टोर्स की स्थापना के साथ-साथ इंडियन ऑयल रिटेल नेटवर्क के भीतर नेफेड स्टोर्स की स्थापना के लिए भी योजनाएं चल रही हैं।

नेफेड ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सर्वो ऑर्चर्ड स्प्रे ऑयल की बिक्री और वितरण के लिए आईओसीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इन पहलों को पूरा करने के लिए, नेफेड ने परियोजना के सफल निष्पादन के लिए अपने चैनल पार्टनर, मैसर्स सीईएफ ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक विशिष्ट समझौता किया है।

ग्रीन फील्ड संयंत्र

किसानों तक पहुंच और सुविधाकरण (एफओएफ)

अध्याय - 11.13

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना और उन्नति के लिए नेफेड को राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है, जिसका उद्देश्य 10,000 एफपीओ बनाना और बढ़ावा देना है। इस पहल का नेतृत्व एफओएफ प्रभाग द्वारा किया जा रहा है जो न केवल परियोजना के निष्पादन की देखरेख करता है बल्कि पूरे देश में एफपीओ विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विविध उपाय भी करता है।

नेफेड को कुल 1,167 एफपीओ बनाने और समर्थन करने का कार्य सौंपा गया है : वित्त वर्ष 2020-21 में 246, वित्त वर्ष 2021-22 में 310 और वित्त वर्ष 2022-23 में 611, इन एफपीओ को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है जैसे कि जैविक, तिलहन, प्राकृतिक कृषि, कृषि-वानिकी, बांस, शहद और ब्लॉक-वार संरचनाएं।

10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन:

योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार नेफेड ने देश भर में गठन और प्रचार गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए 97 क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) को शामिल किया है।

2022-2023 के दौरान, नेफेड ने 28 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 233 एफपीओ को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया है। इन पंजीकृत एफपीओ के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने अपने इनपुट और आउटपुट व्यवसाय संचालन शुरू किए हैं। इसके अलावा, 29 एफपीओ ने कार्यशील पूंजी, बुनियादी ढांचा स्थापना (जैसे प्रसंस्करण इकाइयां, बीज प्रसंस्करण इकाइयां, पैकहाउस, कोल्ड स्टोरेज, संग्रह केंद्र आदि) और व्यवसाय विस्तार प्रयासों सहित अपनी व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण सुविधाओं का उपयोग किया है।

इसके अलावा कुछ एफपीओ ने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के प्रधानमंत्री औपचारिकरण (पीएमएफएमई) और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ एकीकृत करके अनुदान का लाभ उठाया है।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) के तहत शहद प्रशिक्षण:

एनबीएचएम के तहत नेफेड ने उत्तर प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित 6 एफपीओ के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया है। इन सत्रों के दौरान कुल 150 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में मधुमक्खी पालन के विभिन्न आवश्यक पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें इसका इतिहास, वर्तमान स्थिति, मधुमक्खी कालोनियों का अध्ययन, मधुमक्खी स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन, मधुमक्खी पालन का महत्व और दायरा, कृषि, बागवानी और वानिकी, प्रबंधन तकनीक, आर्थिक विचार, एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं में अंतर्दृष्टि और सामाजिक-आर्थिक कारक शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन:

नेफेड को देश के पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में 50 नए मात्स्यिकी किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) की स्थापना करने और 500 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। यह जिम्मेदारी पीएमएमएसवाई की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत आती है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग ने 29 मार्च, 2023 को 50 नए एफएफपीओ के गठन के लिए और 31 मार्च, 2023 को 500 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए नेफेड को प्रशासनिक मंजूरी दी।

संपत्ति और औद्योगिक इकाई

अध्याय - 11.14

नेफेड के पास कार्यालय परिसर, गोदाम, गोदाम, औद्योगिक इकाइयों, भूखंडों, प्याज भंडारण संरचना, शीत भण्डारण, दुकानों सहित आवासीय परिसर के रूप में संपूर्ण भारत में कुल 55 परिसंपत्तियां हैं। नेफेड की संपत्तियों का प्रबंधन परिसंपत्ति प्रभाग और औद्योगिक इकाई प्रभाग द्वारा किया जाता है। खाली पड़ी परिसंपत्तियों को किराए पर देने के लिए परिसंपत्ति प्रभाग शाखाओं के साथ समन्वय करके कार्यालय परिसर, आवासीय परिसर, दुकानों और छोटे गोदामों का प्रबंधन करता है और नेफेड पर संपत्तियों के क्रय और विक्रय की प्रक्रिया शुरू करता है।

नेफेड ने हाल ही में लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन और एनबीसीसी इम्पीरिया, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर में खरीदी गई दो (02) संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

इन संपत्तियों का उपयोग स्वयं के लिए करने के अतिरिक्त, अधिकांश खाली संपत्तियों को अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए पट्टे पर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किराये की सकल संपत्तियों से 8.83 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व हुआ है।

नेफेड की औद्योगिक इकाइयों के पास भूमि, खाली प्लॉट, आवासीय परिसर, कार्यालय परिसर, गोदाम, शीत भण्डारण और औद्योगिक इकाइयों के रूप में 21 परिसंपत्तियां हैं। कुछ परिसंपत्तियों को नेफेड द्वारा स्वयं उपयोग किया जाता है, जबकि कुछ परिसंपत्तियों को संघ द्वारा आय अर्जन हेतु पट्टे पर दिया गया है। इन संपत्तियों के प्रभावी उपयोग से संघ कोवित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 4.92 करोड़ रुपये की आय हुई है।

- **वाशी, नवी मुंबई में शीत भण्डारण परियोजनाएं:** वाशी (नवी मुंबई) में भूखंडों को बीओटी आधार पर क्रमशः सेक्टर -19 एफ और सेक्टर -18 में 2400 मीट्रिक टन और 3000 मीट्रिक टन क्षमता के शीत भण्डारण के निर्माण के लिए पट्टे पर दिया गया है। उक्त शीत भण्डारण परियोजनाएं आरकेवीवाई अनुदान से सहायता प्राप्त हैं। 2400 मीट्रिक टन की शीत भण्डारण परियोजना पहले ही शुरू की जा चुकी है।

- **पीपीपी-आईएडी परियोजना:** नेफेड महाराष्ट्र में पीपीपी मॉडल के तहत एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार/राज्य सरकार के विभिन्न हस्तक्षेपोंके साथ नेफेड के माध्यम से प्याज की खरीद, भंडारण और निपटान गतिविधि-यों को सुगम बनाने के लिए आवश्यक भंडारण और विपणन अवसंरचना का सृजन करना है। यह बुनियादी ढांचा 19 स्थानों पर स्थापित किया गया था और प्रत्येक बुनियादी ढांचे की भंडारण क्षमता 1000 मीट्रिक टन थी। इन बुनियादी ढांचों की19000 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वर्तमान तिथि अर्थात मार्च 2023 तक पूरी हो चुकी है।

- **गंजबासोदा परियोजना:** 4000 मीट्रिक टन के मौजूदा गोदाम की मरम्मत और नवीनीकरण तथा बुनियादी सुविधाओं युक्त 10,000 मीट्रिक टन के सामान्य गोदाम का प्रस्तावित निर्माण प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में, डीपीआर तैयार करने और निर्माण एजेंसी के चयन के लिए भोपाल शाखा द्वारा पीएमसी को नियुक्त किया गया है।

- **भिवाड़ी रीको परियोजना:** 8,000 मीट्रिक टन की अस्थायी क्षमता के सामान्य/औद्योगिक गोदाम का निर्माण प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में, जयपुर शाखा द्वारा डीपीआर तैयार करने और निर्माण एजेंसी के चयन के लिए पीएमसी को नियुक्त किया गया है।

- **मूंगफली तेल मिल, अमरेली की स्थापना:** गुजकोमासोल के साथ संयुक्त उद्यम के तहत नेफेड अमरेली, गुजरात में एक आधुनिक मूंगफली तेल मिल स्थापित कर रहा है, जिसकी प्रसंस्करण क्षमता प्रति दिन 80 मीट्रिक टन है। अहमदाबाद शाखा पीएमसी एजेंसी को अंतिम रूप दे रही है।

- **रायचूर, कर्नाटक:** रायचूर में हमारी 4 एकड़ भूमि पर 10,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले एक अत्याधुनिक गोदाम के निर्माण के प्रस्ताव को बीओडी द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

- वर्ष 2022-23 में विभिन्न राज्यों में स्थित कार्यालयों की किराये से हुई आय इस प्रकार है:

क्र.सं	राज्य में स्थित कार्यालय	वर्ष 2022-23 के दौरान किराये से हुई आय (रुपये लाख में)
1	मुंबई	209.99
2	कोचीन	37.70
3	चेन्नई	71.86
4	लखनऊ	34.72
5	जयपुर	25.96
6	भोपाल	15.05
7	नासिक	97.28
	कुल	492.55

नेफेड की औद्योगिक इकाइयों की सूची

क्र.सं	स्थान	शाखा	परिसंपत्ति की प्रकृति
1	बख्शी का तालाब (शेड-1) एवं (शेड-2)	लखनऊ	पट्टाधारित
2	मट्टनचेरी (कार्यालय सह गोदाम)	कोचीन	पूर्ण स्वामित्व
3 (a)	गोदाम गांधीनगर, कोचीन	कोचीन	पूर्ण स्वामित्व
(b)	गोदाम गांधीनगर, कोचीन	कोचीन	पूर्ण स्वामित्व
c)	कार्यालय स्थान, गांधीनगर, कोचीन	कोचीन	पूर्ण स्वामित्व
4	पुणे गोदाम	नासिक	पट्टाधारित
5 (a)	आधुनिक प्याज गोदाम, पिंपलगांव	नासिक	पट्टाधारित
(b)	नेफेड प्याज पैकिंग शेड, पिंपलगांव	नासिक	पट्टाधारित
c)	प्री कूलिंग शीत भण्डारण कम पैक हाउस, पिंपलगांव	नासिक	पूर्ण स्वामित्व
6 (a)	दो स्तरीय प्याज गोदाम, लासलगांव	नासिक	पट्टाधारित
(b)	नेफेड प्याज पैकिंग शेड, लासलगांव	नासिक	पट्टाधारित
7	नेफेड रायचूर गोदाम	बैंगलोर	पूर्ण स्वामित्व
8	भिवाड़ी (फ़ैक्टरी आउटलेट)	जयपुर	पट्टाधारित
9	रीको, श्रीगंगानगर	जयपुर	पट्टाधारित
10	भरतपुर गोदाम	जयपुर	पट्टाधारित
11	माधवरम (5 गोदाम)	चेन्नई	पूर्ण स्वामित्व
12	नग्गापट्टिनम (3 गोदाम और 50% खुला क्षेत्र)	चेन्नई	पूर्ण स्वामित्व
13	द्रोणागिरी/कंटेनर यार्ड	मुंबई	पट्टाधारित
14 (a)	वाशी नवी मुंबई/शीत भण्डारण	मुंबई	पट्टाधारित
(b)	वाशी नवी मुंबई/बॉन्ड गोदाम	मुंबई	पट्टाधारित
15	प्लॉट नंबर 4-ए, सेक्टर 19 एफ, वाशी नवी मुंबई	मुंबई	पट्टाधारित
16 (a)	वाशी नवी मुंबई/सामान्य गोदाम	मुंबई	पट्टाधारित
(b)	वाशी नवी मुंबई/मिल गोदाम	मुंबई	पट्टाधारित
17	नेफेड गोदाम सिया, औद्योगिक क्षेत्र, देवास	भोपाल	पट्टाधारित
18	नेफेड गोदाम, बैतौली, गंजबासौदा, जिला, विदिशा	भोपाल	पट्टाधारित
19	उमरानल्ला और मेहराखापा सौसोर, छिंदवाड़ा में 500 मीटर की दो पैक हाउस परियोजनाएं	भोपाल	पूर्ण स्वामित्व
20	मदावाड़ा, उज्जैन में प्याज गोदाम	भोपाल	पट्टाधारित
21	आष्टा, सीहोर में प्याज गोदाम	भोपाल	पट्टाधारित

पीपीपी-आईएडी परियोजना

सरकारी-निजी कंपनी भागीदारी – एकीकृत कृषि विकास परियोजना

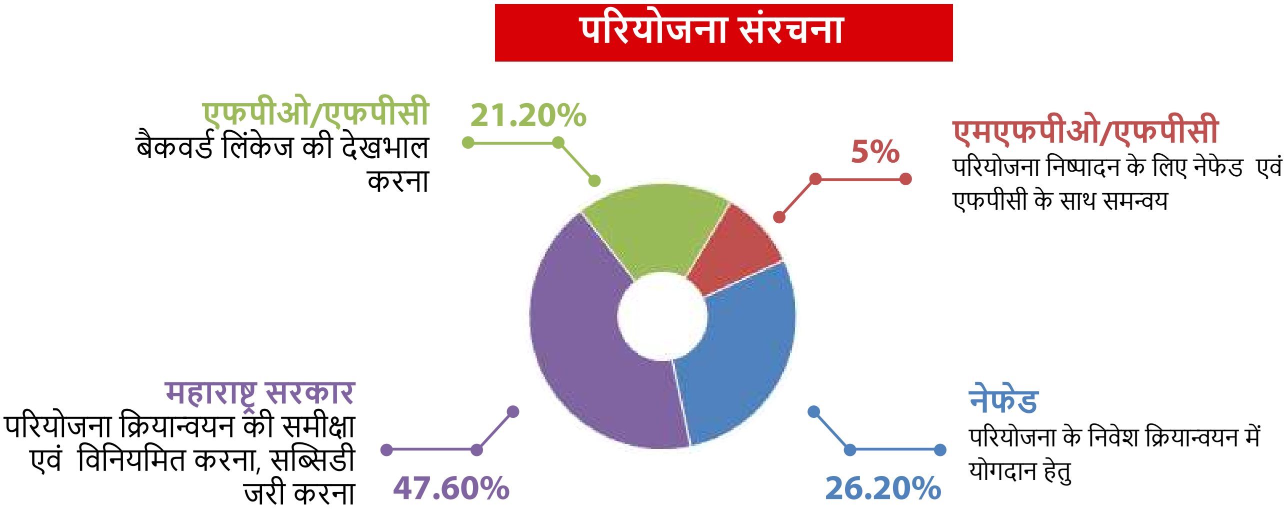

अध्याय - 12

विधिक और टाई-अप

विधिक और टाई-अप प्रभाग की 2022-23 की प्रमुख गतिविधियों और उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं:

1. नेफेड के सभी प्रभागों और शाखाओं को विधिक प्रभाग द्वारा सक्रिय रूप से सहायता प्रदान की जा रही है। यह प्रभाग मुख्यालय और शाखाओं पर पैनल में शामिल अधिवक्ताओं, लॉ फर्म, प्रभाग के साथ निकट समन्वयन में अखिल भारतीय आधार पर सभी लंबित टाई-अप और विधिक मामलों की निकटता से निगरानी कर रहा है।

2. वर्ष के दौरान टाई-अप और विधि प्रभाग के कार्य प्रदर्शन और संबंधित प्रमुख सकारात्मक परिणामों को संक्षेप में नीचे दिया गया है:

   क. बीओडी के अनुमोदन से रिपोर्टिंग अवधि के दौरान टाई-अप चूककर्ता मेसर्स शिवानंद प्रोजेक्ट्स, हैदराबाद के साथ एकमुश्त निपटान किया गया है।

   ख. लारेंस रोड स्थित नेफेड के कोल्ड स्टोरेज के बदले की गई चूक के संबंध में नेफेड के पक्ष में और सुनील स्पॉन्ज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक मध्यस्थता निर्णय पारित किया गया है।

   ग. सीए संख्या 667/2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22.04.2020 के फैसले पर मुंबई अलिमेंटा के मामले में आगे की बहस नवंबर, 2022 में समाप्त हो गई है।

   घ. टाई अप डिफॉल्टर हैंडम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संबंध में दिवाला प्रक्रिया हैदराबाद में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की निगरानी में चल रही है।

   ङ. विधि प्रभाग द्वारा दिनांक 21.12.2020 के कार्य परिपत्र सं.142 एवं आगे कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन में संकलन एवं रजिस्ट्री संख्या जारी करने का कार्य किया जा रहा है। केन्द्रीय रजिस्ट्री में जमा किए गए सभी मूल करारों/ठेकों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया रिपोर्टिंग वर्ष में पूरी कर ली गई है।

3. विधिक और टाई-अप प्रभाग संघ के मामलों को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रयास कर रहे हैं।

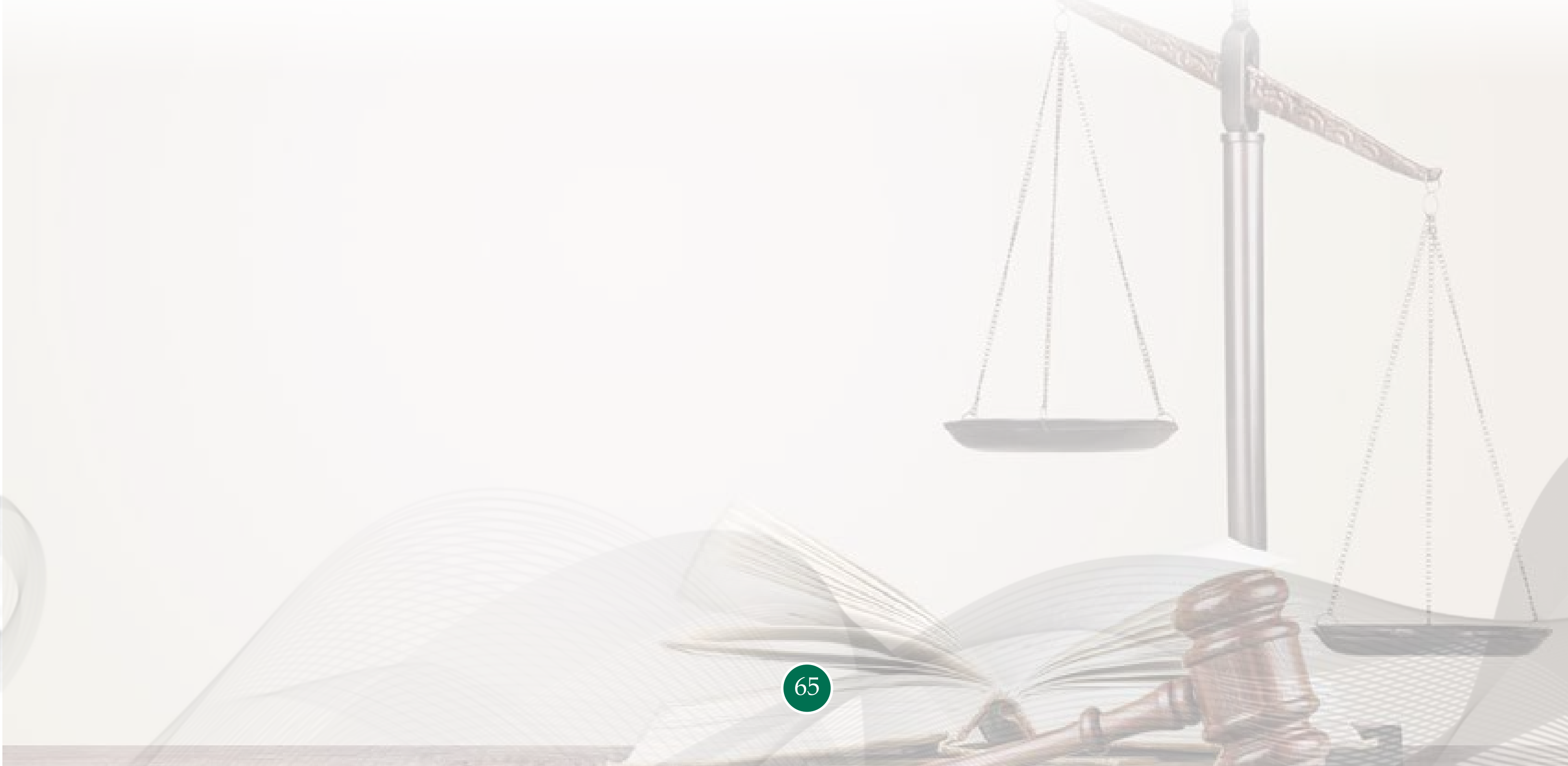

अध्याय - 13

जनसंपर्क गतिविधियाँ

जनसंपर्क प्रभाग

प्रचार संगठन की छवि को आकार देने, व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने, ब्रांड बनाने, प्रतिष्ठा बढ़ाने और जनता के बीच एक अनुकूल प्रभाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नेफेड का जनसंपर्क (पीआर) प्रभाग किसानों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के बीच नेफेड की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रचार पैदा करने के लिए समर्पित है। इसके अतिरिक्त, यह नेफेड द्वारा पेश किए गए उपभोक्ता ब्रांड उत्पादों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पूरे वर्ष, जनसंपर्क प्रभाग इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से कई पहलों को लागू करता है। इनमें से कुछ पहल नीचे उल्लिखित हैं:

श्रव्य-दृश्य मीडिया

- नेफेड के विभिन्न व्यवसाय विभाग जैसे दलहन, प्याज, पीएमजीकेएवाई आदि से संबंधित किसान हितैषी एवं उपभोक्ता हितैषी गतिविधियों पर शॉर्ट फिल्में बनाना।
- डीडी न्यूज, डीडी किसान, ऑल इंडिया रेडियो, एवं अन्य पटलों पर नेफेड की सफलता की कहानियों को समय-समय पर प्रदर्शित करने के लिए मीडिया कवरेज का प्रबंध करना।

प्रिंट मीडिया

- डिजाईनिंग, पब्लिशिंग और वार्षिक रिपोर्ट, डायरी और कलेंडर का वितरण करना।
- न्यूजलेटर का प्रकाशन, नेफेड के व्यवसाय गतिविधियों एवं उपलब्धियों को प्रकाशित करना।
- प्रमुख मीडिया पटलों पर नेफेड की सफलता की कहानियों और उपक्रमों का प्रकाशन करना।
- समाचारपत्रों में आवश्यकतानुसार विज्ञापन एवं निविदा सूचना का प्रकाशन करना।

श्रव्य-दृश्य मीडिया

- बैनर विज्ञापन, न्यूटलैटर, और सफलता की कहानियों को प्रकाशित करने के लिए वैब पोर्टलों जैसे इंडियन कोपरेटिव, एग्रीकल्चर टूडे के साथ संलग्नता।
- सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाईन सक्रिय उपस्थिति बनाए रखना।
- जनसाधारण और हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण, उत्पादों के शुभारंभ, गतिविधियों, कंपनी की ब्राण्डिंग और महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में नियमित पोस्ट करना।

एजीएम से संबंधित

नेफेड की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक की स्थानीय मीडिया और न्यूज चैनलों में पब्लिसिटी एवं मीडिया कवरेज आयोजित करना।

आयोजनों में भागीदारी

यह प्रभाग प्रमुख लोकेशनों पर संघ के स्टॉल लगाने एवं ब्राण्डिंग द्वारा देशभर में विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों में नेफेड की प्रतिभागिता आयोजित करता है।

2021-22 के दौरान कार्यक्रम की भागीदारी

- **रिसर्जेंट और वाइब्रेंट इंडिया पर राष्ट्रीय संगोष्ठी @ 75: सहकारी शासन को फिर से सक्रिय करना**

  ग्रामीण भारत के गैर सरकारी संगठनों के परिसंघ (सीएनआरआई) और विभिन्न संगठनों ने 20 जुलाई, 2022 को "रिसर्जेंट एंड वाइब्रेंट इंडिया @ 75: री-एनर्जीफाइंग कोऑपरेटिव गवर्नेंस" नामक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी करने के लिए सहयोग किया। नेफेड और नाबार्ड द्वारा प्रायोजित संगोष्ठी का उद्देश्य आधुनिक सहयोग की प्रासंगिकता पर चर्चा और बहस के लिए एक मंच बनाना है और सहकारी समितियां आर्थिक विकास, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान कैसे दे सकती हैं। नेफेड के अपर प्रबंध निदेशक श्री एस. के. सिंह ने सेमिनार में एक भाषण दिया जिसमें ब्रांडिंग, पोजिशनिंग और मार्केटिंग जैसे पहलुओं सहित सहकारी उपज के लिए लोकतांत्रिक बाजार पहुंच रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया।

अध्यक्ष, इफको एवं एनसीयूआई

सेमिनार में विभूतियाँ

- **विश्व मधुमक्खी दिवस समारोह 20 मई, 2022 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया, गुजरात में**

श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के संरक्षण में कृषि और कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी और सुश्री शोभा कलंद्राजे सहित उल्लेखनीय व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य देश भर में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना था।

यह कार्यक्रम राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था, जो भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत आता है। मिशन छोटे और सीमांत किसानों के बीच वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, पोस्टहार्वेस्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे की स्थापना, अनुसंधान और विकास का समर्थन करने और "मीठी क्रांति" के उद्देश्य को साकार करने पर केंद्रित है।

समारोह के दौरान, मधुमक्खी पालन, प्रसंस्करणकर्ता और अन्य हितधारकों द्वारा मधुमक्खी पालन क्षेत्र में मधुमक्खी पालन की विभिन्न प्रजातियों और कई उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न स्टाल लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त, किसानों और मधुमक्खी पालकों के बीच मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में उत्पादन प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, अनुभव साझाकरण, चुनौतियां, विपणन चुनौतियां और समाधान (घरेलू और वैश्विक दोनों) जैसे विषयों को शामिल किया गया, और चर्चाओं को सुविधाजनक बनाया गया।

इस कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक कॉफी टेबल बुक और "मीठी क्रांति" पर प्रकाश डालने वाली एक फिल्म लॉन्च की, जो दोनों कृषि विकास के लिए समर्पित संगठन नेफेड द्वारा निर्मित थीं।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय कृषि एवं किसान मंत्री जी द्वारा विश्व मधुमक्खी दिवस के उपलक्ष्य पर केवड़िया गुजरात में नेफेड द्वारा तैयार की गई हनी कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया गया

- **सहकार से समृद्धि**

भारत की प्रमुख कृषि खरीद और विपणन एजेंसियों में से एक नेफेड ने 22 अगस्त 2022 को भोपाल में "सहकार से समृद्धि: कृषि विपणन में सहकारी संस्थानों की भूमिका - 2022" कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किया। नेफेड का उद्देश्य कृषि, कमोडिटी खरीद और विपणन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के अलावा किसानों के कल्याण को बढ़ावा देना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से भारत में किसानों की आय बढ़ाने, सहकारी आंदोलन का विस्तार करने और मजबूत करने के लिए प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण पर केंद्रित था। इसने सहकारी आंदोलन से संबंधित नई नीतियों और कानूनी ढांचे के लिए अभिनव विचारों को उत्पन्न करने के लिए चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया।

श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा भोपाल, मध्य प्रदेश में सहकर से समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ

कार्मिक और सतर्कता

अध्याय - 14

कार्मिक विभाग

किसी भी संगठन का कार्यकरण उसके कार्यबल/कर्मचारियों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसलिए यह और भी आवश्यक है कि ऐसे कर्मचारियों की भर्ती की जाए जो पेशेवर दृष्टिकोण रखने वाले बुद्धिमान हों, संगठन के प्रति समर्पित और वफादार हों। यह सब संगठन की सफलता में योगदान देता है।

कार्मिक प्रभाग संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए जनशक्ति की आवश्यकता की योजना बना रहा है, भर्ती कर रहा है, कर्मचारियों का चयन कर रहा है और उन्हें प्रशिक्षण (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) प्रदान कर रहा है। इसने कर्मचारियों और प्रबंधन के कल्याण के लिए समय-समय पर आवश्यक नीतियां तैयार की हैं। हाल ही में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, इस्तीफों आदि के कारण उन्हें संघ के रोजगार से अलग किए जाने के साथ, कार्मिक प्रभाग ने आईआईएफएम, एनआईएएम और वैमनीकॉम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से सहायक प्रबंधकों और प्रबंधन प्रशिक्षुओं को काम पर रखा है ताकि संगठन के सुचारू कामकाज के लिए अंतर को भरा जा सके।

सतर्कता

संक्षेप में सतर्कता प्रभाग की भूमिका, कर्तव्य और जिम्मेदारियां मौजूदा संगठनात्मक प्रक्रिया की जांच करना और भ्रष्टाचार या कदाचार के अवसर प्रदान करने वाले कारकों को समाप्त करना या कम करना और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना है। नियमित निरीक्षण की योजनाएं बनाना और औचक दौरे करना।

सतर्कता प्रभाग उपर्युक्त तर्ज पर कार्य कर रहा है जिसके तहत आवश्यक संशोधनों के लिए संगठन के नियमों की जांच की जा रही है, भ्रष्टाचार की संभावना को रोकने के लिए निवारक उपाय किए जाते हैं और खरीद/भंडारण केंद्रों, शाखाओं आदि के औचक दौरों के दौरान सामने आने वाले मुद्दों पर ऐसे सभी उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। यह संघ की सतर्क नजर है।

पिछले वर्षों की तरह, नेफेड ने 31.10.2022 से 06.11.2022 तक 'विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विषय के साथ 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' 2022 मनाया, जिसके तहत प्रबंध निदेशक द्वारा मुख्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भौतिक उपस्थिति में और शाखाओं को ऑनलाइन विधि के माध्यम से सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

प्रशिक्षण और विकास

संगठन में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी में नई तकनीकों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अगली पीढ़ी के पेशेवरों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों / सेमिनारों / कार्यशालाओं / सम्मेलनों में भाग लेने के लिए संघ के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया।

नेफेड ने एएससीआई (हैदराबाद), एलबीएसएनएए (मसूरी), और गुजरात विश्वविद्यालय जैसी संस्थागत विशेषज्ञता के साथ हाथ मिलाया है और साथ ही कर्मचारियों को काम करने के नए तरीकों से परिचित कराने के लिए सीआईसीटीएबी (पुणे) के साथ संबंधों को मजबूत किया है।

वर्ष के दौरान, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 31 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा एचआरडी आंतरिक प्रशिक्षण आयोजित करता है ताकि कर्मचारी संगठन में परिवर्तन और नए भर्ती कर्मचारियों के लिए प्रेरण कार्यक्रमों के साथ अद्यतित रहें ताकि उन्हें संगठन की नैतिकता, मूल्यों, नीतियों, दृष्टि और मिशन से परिचित कराया जा सके।

उपरोक्त के अलावा एचआरडी ने उन युवा पेशेवरों को इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रदान करना जारी रखा, जिन्होंने अपनी डिग्री / पीजी पूरी नहीं की है, साथ ही ग्रीष्मकालीन इंटर्न को काम पर रखने के लिए कैंपस ड्राइव आयोजित करता है और छात्रों को सलाहकारों के मार्गदर्शन में विभिन्न विभागों में परियोजनाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये कार्यक्रम संगठन के लिए फायदेमंद हैं और छात्रों को आत्म-विकास के अवसर प्रदान करते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष के दौरान सहकारी समितियों के अध्यक्ष/निदेशकों के लिए कई अध्ययन यात्रा सत्र भी आयोजित किए हैं।

नेफेड पुस्तकालय

नेफेड पुस्तकालय नवीनतम संस्करणों की पुस्तकों तथा जर्नल/पत्रिकाओं की खरीद जारी रखता है, जो अधिकारियों के संदर्भ, उद्देश्य और वर्तमान जागरूकता आवश्यकता को पूरा करते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी (सू.प्रौ.)

अध्याय - 15

समकालीन जीवन के लगभग हर पहलू में प्रौद्योगिकी को गहराई से एकीकृत करने के साथ, सूचना प्रौद्योगिकी (सू.प्रौ.) प्रभाग की भूमिका अत्यधिक महत्व रखती है और किसी भी संगठन की उन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेफेड के भीतर सू.प्रौ. प्रभाग उच्च स्तर की प्रभावशीलता और सक्रियता के साथ काम करता है। नेफेड मुख्यालय और इसकी शाखाओं दोनों में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क सिस्टम की स्थापना और रखरखाव से जुड़ी अपनी मौलिक जिम्मेदारियों के अलावा, प्रभाग यह सुनिश्चित करता है कि जब भी आवश्यक हो, नेफेड की प्रणालियों को बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीकी प्रगति के साथ लगातार अपडेट रहता है।

समग्र संगठनात्मक दक्षता को बढ़ाने के साधन के रूप में नियमित कार्यों को स्वचालित करने के पर्याप्त लाभों को पहचानते हुए, प्रभाग आगे बढ़ने की सोच है और विभिन्न व्यावसायिक विभागों की तकनीकी आवश्यकताओं के साथ स्वयं को संरेखित भी करता है। यह संरेखण प्रभाग को आवश्यक तकनीकी सहायता और समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। उनके उद्देश्य में न केवल कार्यों के निर्बाध निष्पादन को सुविधाजनक बनाना शामिल है, बल्कि बेहतर निगरानी, ऑडिटिंग और नियंत्रण उपायों को सक्षम करना भी शामिल है।

प्रगति के लिए लगातार प्रयास करते हुए प्रभाग लगातार नेफेड के नियमित संचालन का समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक सू.प्रौ.-सक्षम सेवाएं प्रदान करता है। यह बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सू.प्रौ. समाधानों के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसमें बढ़ी हुई दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पूरे वर्ष के दौरान, कई पहल और गतिविधियां की गईं, जैसा कि नीचे उल्लिखित है:

ई-नीलामी के लिए मल्टी पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम (एमपीएमएस) हेतु अनुरक्षण एवं समर्थन: सू.प्रौ. प्रभाग ने मल्टी पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम (एमपीएमएस) के रखरखाव और समर्थन को सक्षम किया है। एमपीएमएस एक क्लाउड आधारित प्रणाली है जिसे विभिन्न अनुमोदित ई-नीलामी पोर्टलों पर एक साथ कृषि-वस्तुओं के समान बैचों की ई-नीलामी आयोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली कई शाखाओं में माल की बिक्री का प्रबंधन करने के लिए लागू की गई है।

ई-टेंडरिंग प्लेटफार्म (जीईएम और सीपीपी प्लेटफॉर्म) का उपयोग: नेफेड गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) प्लेटफॉर्म पर भागीदार बन गया है, जो सहकारिता मंत्रालय के तहत काम करता है। इसके अलावा, नेफेड ने जीईएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा, नेफेड निविदा प्रस्तावों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

नेफेड के लिए ई-पोर्टल का विकास: नेफेड ने कृषि-वस्तुओं के निपटान एवं खरीद के लिए विभिन्न प्रकार की फॉरवर्ड और रिवर्स नीलामी चलाने हेतु क्लाउड-आधारित ई-नीलामी पोर्टल के विकास की शुरुआत की है। विकास कार्य की प्रक्रिया चल रही है।

हिंदी

अध्याय - 16

नेफेड द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रोत्साहन के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

मूल रूप से नेफेड की स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। नेफेड अपने उद्देश्यों को पूरा करने के साथ-साथ हिंदी के प्रोत्साहन के लिए भी निरंतर कार्य कर रहा है।

नेफेड के अधिकतर सदस्य भारत के सभी राज्यों से कृषक पृष्ठभूमि से हैं, इसलिए उनसे संपर्क एवं संचार स्थापित करने के लिए राजभाषा का विकास आवश्यक हो जाता है। इसलिए नेफेड के अधिकतर पत्राचार एवं संचार हिंदी अथवा द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर संदेश भी हिंदी अथवा द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं जिससे नेफेड आमजन से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ रहा है। जिसके परिणामस्वरूप राजभाषा की उन्नति के लिए उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

नेफेड मुख्यालय में नामपट्ट द्विभाषी लगाए गए हैं। नेफेड की नई वेबसाईट बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। नई वेबसाईट बनने के पश्चात वेबसाईट का हिंदी संस्करण भी जारी किया जाएगा।

नेफेड मुख्यालय के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को राजभाषा के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। जिससे उन्हे राजभाषा के महत्व के बारे में अवगत कराया जा सके। नेफेड मुख्यालय में 07.02.2023 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

नेफेड के निदेशक-मंडल की सभी तिमाही बैठकों, वार्षिक सामान्य निकाय बैठकों की सभी कार्यसूची, कार्यवृत्त को हिंदी अथवा द्विभाषी प्रस्तुत किया जाता है।

विभिन्न संस्थानों से हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिंदी में ही प्रदान किए जा रहे हैं।

नेफेड अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए निरंतर राजभाषा की उन्नति के लिए कार्यरत है।

नेफेड मुख्यालय, नई दिल्ली में 07.02.2023 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन

अध्याय - 17

राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान और विकास फाउंडेशन (एनएचआरडीएफ)

एनएचआरडीएफ भारत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1977 को निर्यातोन्मुख बागवानी फसलों के लिए अनुसंधान और विकास कार्य करने के मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी। इसका प्रधान कार्यालय "बागवानी भवन", 47, संस्थागत क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है।

एनएचआरडीएफ भाकृअनुप- सब्जी फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी-वीसी) और प्याज और लहसुन पर अखिल भारतीय नेटवर्क अनुसंधान परियोजना (एआईएनआरपी-ओजी), नई दिल्ली का एक स्वैच्छिक केंद्र है। यह बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) और पौध संरक्षण प्रभाग के तहत एमपीआरएनएल योजना के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी भी है।

उपलब्धियां

रिपोर्ट के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान, एनएचआरडीएफ ने आईसीएआर- प्याज और लहसुन पर अखिल भारतीय नेटवर्क अनुसंधान परियोजना (एआईएनआरपीओजी) और आईसीएआर- सब्जी फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी-वीसी) के तहत कई पहलुओं पर विभिन्न फसलों पर विभिन्न अनुसंधान परीक्षण किए, जैसे पादप आनुवंशिक संसाधन और फसल सुधार, फसल उत्पादन प्रणाली प्रबंधन, पादप स्वास्थ्य प्रबंधन, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के साथ-साथ प्याज, लहसुन, भिंडी और टमाटर आदि की बीज उत्पादन तकनीक।

एनएचआरडीएफ की एक वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) है जो उप महानिदेशक (बागवानी विज्ञान), भाकृअनुप, डेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में वर्ष में दो बार बैठक करती है। इस एसएसी के सदस्य आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और निदेशक, एनएचआरडीएफ इस समिति के सदस्य सचिव हैं। यह समिति विभिन्न क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों में एनएचआरडीएफ द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास कार्यों की समीक्षा करती है। वर्ष 2022-23 के दौरान 83वीं और 84वीं एसएसी बैठकें क्रमश: 08.04.2022 और 24.12.2022 को बगवानी भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गईं। 83 वीं एसएसी बैठक में प्याज और लहसुन तथा अन्य सब्जी फसलों पर 72 परीक्षण आयोजित किए गए थे और प्याज तथा लहसुन पर 5 प्रौद्योगिकियों की सिफारिश महाराष्ट्र और हरियाणा के किसान समुदाय के लिए की गई थी। 84वीं एसएसी बैठक में 51 परीक्षणों और 2 प्रौद्योगिकियों की सिफारिश की गई थी जैसा कि नीचे दिया गया है:

प्याज

I. प्याज थ्रिप्स के लिए आर्थिक सीमा स्तर विकसित करना : रबी, 2019-20 और 2020-21 के दौरान किए गए परीक्षणों के आधार पर प्याज में थ्रिप्स का आर्थिक सीमा स्तर आरआरएस, नासिक में 9 थ्रिप्स/प्लांट और आरआरएस, करनाल में 7 थ्रिप्स/प्लांट के रूप में निर्धारित किया गया है।

II. कुछ कीटनाशक संयोजनों के साथ प्याज थ्रिप्स का एकीकृत प्रबंधन - एक पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण: प्याज की फसल में थ्रिप्स के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम एकीकृत दृष्टिकोण पर आरआरएस नासिक में रबी, 2019-20 और 2020-21 के दौरान किए गए परीक्षणों के संयुक्त आंकड़ों से पता चला है कि बैरियर फसल का रोपण मक्का की बाहरी पंक्ति + भूखंड के सभी 4 किनारों पर गेहूं की आंतरिक पंक्ति + 30 डीएटी + 5.0 मिलीलीटर / डीएटी + वर्टिसिलियम लेकेनी @ 5.0 मिलीलीटर/लीटर 60 डीएटी + एसीफेट @ 2.0 ग्राम/लीटर 75 डीएटी पर आरआरएस नासिक में प्याज थ्रिप्स के एकीकृत प्रबंधन के लिए बेहतर साबित हुआ। उच्चतम बी : सी अनुपात (7.82: 1) भी उसी ट्रीटमेंट में दर्ज किया गया था।

III. प्याज थ्रिप्स के नियंत्रण पर विभिन्न रंग स्टिकी ट्रैप्स का प्रभाव: आरआरएस, नासिक और करनाल में रबी, 2019-20 और 2020-21 के दौरान किए गए परीक्षणों का संयुक्त डेटा। आंकड़ों से पता चला है कि ट्रीटमेंट टी 4 (4 पीले स्टिकी ट्रैप्स नहीं) में स्टिकी ट्रैप्स पर सबसे अधिक थ्रिप्स फंस गए थे हालांकि दोनों स्थानों पर जांच ट्रीटमेंट में उच्चतम सकल और विपणन योग्य उपज दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान

(एनएचआरडीएफ) अध्याय 17 की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 प्याज में थ्रिप्स के प्रबंधन के लिए स्टिकी ट्रैप्स का उपयोग नहीं किया गया है और यह किफायती भी नहीं है लेकिन आरआरएस, नासिक और करनाल में दो वर्ष के अध्ययन परिणामों के अनुसार स्टिकी ट्रैप्स प्राकृतिक दुश्मनों जैसे सिरफिड मक्खियों और लेडी बर्ड बीटल के लिए हानिकारक हैं।

IV. प्याज में ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पहले और बाद के जड़ी-बूटियों के उपयोग का प्रभाव : प्याज में किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बिना ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जड़ी-बूटियों के उपयोग द्वारा प्याज में खरीफ मौसम के दौरान मोनोकोट के साथ-साथ डायकोट खरपतवार को नियंत्रित करना।

V. नासिक (महाराष्ट्र) जलवायु परिस्थितियों में हर्बिसाइड अनुप्रयोग के कारण मृदा के सूक्ष्मजीवों की संख्या की गिनती में कमी आई है हालांकि फसल की कटाई के समय संख्या की गिनती को समय के साथ बहाल किया गया था।

- ट्रीटमेंट अर्थात तीन गुना हाथ से निराई को उच्चतम खरपतवार नियंत्रण दक्षता, सकल उपज और उच्च लाभ: लागत अनुपात (2.41: 1.0) के साथ विपणन योग्य उपज के मामले में अन्य उपचारों की तुलना में बेहतर पाया गया।

- ड्रिप सिंचाई के माध्यम से हर्बिसाइड उपचारों में रोपाई से पहले ड्रिप सिंचाई के माध्यम से पेंडिमेथालिन 30% ईसी @ 1.5 एल / हेक्टेयर का ट्रीटमेंट; रोपाई के 30 दिनों के बाद एक हाथ से निराई; रोपाई के बाद 35-40 दिनों में ड्रिप के माध्यम से 0.500 लीटर/हेक्टेयर तैयार मिश्रण फॉर्मूलेशन में 5% + ऑक्सीफ्लुरोफेन 12% डब्ल्यू/डब्ल्यू ईसी आवेदन के बाद (डीएटी) में उच्चतम खरपतवार नियंत्रण दक्षता (77.53%) और विपणन योग्य उपज (115.93 क्विंटल/हेक्टेयर) दर्ज की गई जिसमें लाभ : लागत अनुपात (2.56:1.0) दर्ज किया गया जबकि उच्चतम लाभ : लागत अनुपात (2.57:1.0) दर्ज किया गया। एक हाथ 30 डीएटी पर निराई; 35-40 डीएटी पर ड्रिप के माध्यम से ऑक्सीफ्लुरोफेन @ 0.300 एल/हेक्टेयर और क्विजालोफोप एथिल @ 0.600 एल/हेक्टेयर आवेदन का संयुक्त अनुप्रयोग। हालांकि रोपाई से पहले पर्ण मोड द्वारा ट्रीटमेंट हर्बिसाइड आवेदन (ऑक्सीफ्लुरोफेन @ 1 मिलीलीटर / एल और क्विज़ालोफोप एथिल @ 2 मिलीलीटर / एल का संयुक्त अनुप्रयोग

लहसुन

I. लहसुन एडवांस लाइनों के प्रदर्शन मूल्यांकन का अध्ययन : रबी 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान आरआरएस करनाल में किए गए परीक्षण। तीन वर्षों के संयुक्त परिणाम से पता चला कि उच्चतम भूमध्यरेखीय बल्ब व्यास, औसत 20 बल्ब वजन, औसत बल्ब वजन, सकल उपज और विपणन योग्य उपज लाइन जी -397 में दर्ज की गई थी, जहां बल्ब भूमध्यरेखीय व्यास लाइन जी -2, जी -192, जी -347, जी -403, जी -410, जी -411, जी -415, जी -441, जी -441, जी -442, जी -444, यमुना सफेद -5, यमुना सफेद -5 की जांच के बराबर पाया गया था। यमुना सफेद-8 और यमुना पर्पल-10। उच्चतम ध्रुवीय बल्ब व्यास, लौंग भूमध्यरेखीय व्यास और 50 लौंग का वजन लाइन जी -411 में दर्ज किया गया था, जहां बल्ब ध्रुवीय व्यास लाइन जी -397, जी -415, जी -441 और जी -444 के बराबर पाया गया था, और लौंग भूमध्यरेखीय व्यास लाइन जी -327, जी -397 और जी -415 के बराबर पाया गया था, और लाइन जी -415 के साथ 50 लौंग का वजन पाया गया था। लौंग की सबसे अधिक संख्या लाइन जी-2 में दर्ज की गई और इसे लाइन जी-192 और जी-410 के बराबर पाया गया। सबसे अधिक टीएसएस एल में दर्ज किया गया था।

II. उपोष्णकटिबंधीय स्थिति में अच्छी शेल्फ लाइफ के साथ बोल्ड आकार की लौंग के लिए अल्पकालिक लहसुन जीनोटाइप का मूल्यांकन: रबी 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान आरआरएस करनाल में किए गए परीक्षण। तीन वर्षों के संयुक्त परिणाम से पता चला कि उच्चतम बल्ब ध्रुवीय व्यास, औसत 20 बल्ब का वजन, औसत बल्ब वजन, 50 लौंग का वजन, सकल उपज और विपणन योग्य उपज लाइन जी -433 में दर्ज की गई थी, जहां बल्ब ध्रुवीय व्यास लाइन जी -411, जी -415 और जी -426 के बराबर पाया गया था, लाइन जी जी -359 के साथ 20 बल्ब का वजन और लाइन जी -66 और जी -426 के साथ औसत बल्ब वजन। सबसे अधिक टीएसएस चेक किस्म जी -282 में दर्ज किया गया था और यह लाइन जी -411 और जी -415 के बराबर पाया गया था। फसल के लिए न्यूनतम अवधि (132 दिन) लाइन जी -281 और फसल द्वारा ली गई थी।

टमाटर

I. सूक्ष्म पोषक तत्वों के पर्ण अनुप्रयोग के लिए टमाटर की प्रतिक्रिया: आरआरएस करनाल में खरीफ, 2019, 2020 और 2021 के दौरान टमाटर की किस्म अर्का रक्षक पर क्षेत्र प्रयोग किया गया था, तीन वर्ष के संयुक्त परिणामों से पता चला कि 40, 50 और 60 डीएटी पर सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण केट्रीटमेंट (टी 7) पर्ण अनुप्रयोग ने प्रति पौधे फलों की उच्चतम संख्या के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया। फलों का आकार, कुल फल विपणन योग्य उपज और उच्चतम लाभ लागत अनुपात (5.51: 1.0) है।

आरआरएस, नासिक में वरिष्ठ अधिकारयों का दौरा

वरिष्ठ अधिकारियों का दौरा

श्री मनोज आहूजा, आईएएस, सचिव, डॉ. अभिलक्ष लिखी, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, डॉ. प्रभात कुमार, बागवानी आयुक्त और डॉ. एन. के. पाटले, अतिरिक्त आयुक्त (हॉर्ट), कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 27 दिसंबर 2022 को आरआरएस नासिक का दौरा किया। दौरे पर आए अधिकारियों की एनएचआरडीएफ की गतिविधियों की सराहना की गई। सचिव ने देश में प्याज और लहसुन की किस्मों और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एनएचआरडीएफ द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की।

मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

एनएचआरडीएफ स्वरोजगार और आय के लिए विभिन्न आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण आयोजित करके देश के किसानों, कृषक महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एनएचआरडीएफ प्याज, लहसुन, मशरूम आदि की उन्नत उत्पादन तकनीकों पर भारत के कृषि/बागवानी अधिकारियों, फील्ड कार्यकर्ताओं, किसानों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

डॉ. प्रभात कुमार, बागवानी आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार 8 नवंबर 2022 को एनएचआरडी नई दिल्ली में आयोजित "मशरूम उत्पादन प्रौद्योगिकीÑÑ प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे।

श्री मनोज कुमार आईएएस, निदेशक (बागवानी) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 16 अप्रैल 2022 को एनएचआरडीएफ नई दिल्ली में मशरूम उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित किया।

एनएचआरडीएफ वैज्ञानिक द्वारा 7-8 दिसंबर 2022 को पश्चिम बंगाल के जिला बांकुरा में प्याज की खेती का प्रशिक्षण कार्यक्रम बागवानी अनुसंधान और विकास फार्म, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और बागवानी विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया था। ।

एनएचआरडीएफ ने 7 से 10 फरवरी, 2023 को रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झाँसी (यूपी) के सहयोग से एमआईडीएच, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खरीफ प्याज उत्पादन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

नव विकसित आधुनिक एनएचआरडीएफ प्याज भंडारण संरचना

एनएचआरडीएफ ने किफायती लागत के तहत भंडारण नुकसान को कम करने के उद्देश्य से "आधुनिक प्याज भंडारण संरचना" विकसित की है जो हर छोटे पैमाने पर प्याज उत्पादक के लिए उपयुक्त है। संरचना को उपोष्णकटिबंधीय जलवायु परिस्थितियों के तहत भंडारण अवधि के दौरान निरंतर तापमान और सापेक्ष आर्द्रता को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 25 मीट्रिक टन क्षमता के साथ आधुनिक एनएचआरडीएफ प्याज भंडारण संरचना का निर्माण समुद्र तल से लगभग 560 मीटर की ऊंचाई, 19 ° 72' उत्तर अक्षांश पर अच्छी तरह से हवादार, अच्छी तरह से सूखा और आसानी से उपयोग करने योग्य स्थान के तहत किया गया था और क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, एनएचआरडीएफएस सिन्नार, नासिक, महाराष्ट्र में 74° 05'ई का देशांतर है।

आधुनिक प्याज भण्डारण संरचना

इस उद्देश्य के लिए आयताकार आकार के कमरे का निर्माण 35'x14' लंबाई के आंतरिक क्षेत्र और कंक्रीट की छत के साथ चौड़ाई भंडारण कक्ष के साथ किया गया था, और दीवारों को सीमेंट के साथ अच्छी तरह से प्लास्टर किया गया था और संरचना का आंतरिक नींव क्षेत्र जमीन के स्तर से लगभग 2 ' था। 6 इंच की ऊंचाई पर, लोहे के कोण बैटन को 30'x14' के क्षेत्र के साथ संरचना के फर्श पर वेल्डिंग के साथ तय किया गया था, 5.0'x14' के शेष क्षेत्र का उपयोग प्याज के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए कार्य स्थान के रूप में किया गया था। 20 × 20 मिमी फ्रेम के छेद आकार वाले लोहे के जाल तार पैनलों को पहले से ही 30'×14' के क्षेत्र के साथ रखे गए लोहे के बैटन पर लगाया गया था, लोहे की जाली तार जाल फ्रेम से छोटे प्याज बल्बों के गिरने से बचने की सुविधा प्रदान करती है और संरचना के नीचे की ओर से हवा को सभी दिशाओं में प्रसारित करती है। यह शोध लेख पहले से ही आईसीएआर पत्रिका में मुद्रित है और वर्तमान में देश के प्याज उगाने वाले क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर सत्यापन के अधीन है।

किसान मेला: कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली द्वारा 26 फरवरी, 2023 को केवीके परिसर में सीआरएम परियोजना के तहत एक किसान मेले का आयोजन किया गया था। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री राजेश वर्मा आईएएस, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के सचिव और सम्मानित अतिथि डॉ. ए. के. सिंह, निदेशक, भाकृअनुप - आईएआरआई, दिल्ली ने किया, इसमें नीति आयोग की वरिष्ठ सलाहकार डॉ नीलम पटेल ने भी भाग लिया। श्री एम के मिश्रा, निदेशक (प्राकृतिक कृषि), डॉ वाई आर मेना, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. डी के यादव, एडीजी (बीज), डॉ राजनारायण, प्रधान वैज्ञानिक, भाकृअनुप - अटारी, जोधपुर, भारत सरकार मेले में लगभग 500 कुलीन किसानों, कृषक महिलाओं, उद्यमियों और अधिकारियों ने भाग लिया।

कृषि विज्ञान केंद्र, दिल्ली द्वारा आयोजित किसान मेला

अध्याय - 18

वार्षिक लेखा विवरण

क्र.सं.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
18.1	वित्तीय विवरण	77
18.2	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (अनुदित प्रति)	86
18.3	वर्ष 2022-23 के लिए लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का अनुच्छेद-वार अनुपालन	91
18.4	तुलन पत्र	97
18.5	लाभ और हानि का विवरण	98
18.6	अनुसूचियां	100
18.7	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	118

वित्तीय विवरण

अनुलग्नक -I

विगत 05 वर्षों के दौरान अंश पूंजी और स्व-निधि की स्थिति

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-2022	2022-2023
अंश पूंजी अंशदाता: सहकारी समितियाँ	2540.91	2705.08	3069.38	4101.60	4306.20
कुल	**2540.91**	**2705.08**	**3069.38**	**4101.60**	**4306.20**
पिछले वर्षों के संचित घाटे के समायोजन के बाद आरक्षित और अन्य निधि (निवल) शुद्ध लाभ(+)/हानि (-)	(-)47912.32 27931.38	(-)10555.18 16565.03	9056.05 24394.70	26981.67 13927.16	36185.33 26451.38
कुल स्व-निधि	**(-)17440.03**	**8714.93**	**36520.13**	**45010.43**	**66942.91**

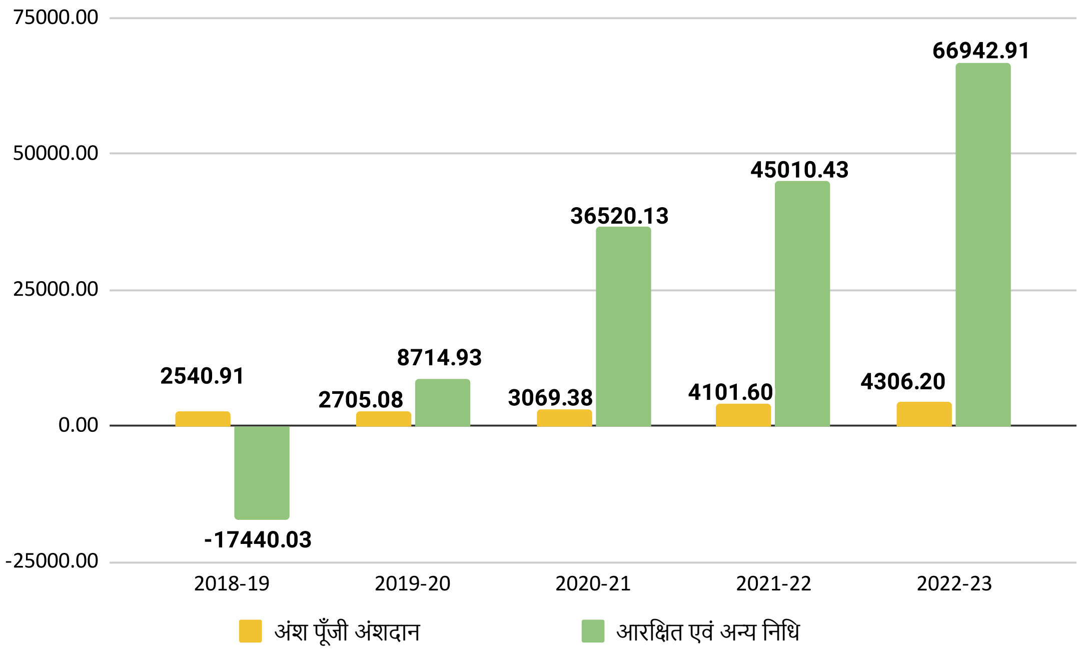

अनुलग्नक-II

विगत 05 वर्षों के दौरान करोबार

(₹ लाख में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-2022	2022-2023
(क) आंतरिक व्यापार:					
1. प्रत्यक्ष (आउटराईट)	316244.47	185850.24	1668867.47	1288918.47	982358.14
2. औद्योगिक इकाइयां एवं बीज, जैव उर्वरक	6580.99	3352.92	3605.01	6855.63	7516.41
3. भारत सरकार के खाते में पीएसएस/पीएसएफ/ बिक्री	1688200.96	1437598.20	2003381.11	638753.50	1145069.50
कुल:	**2011026.42**	**1626801.36**	**3675853.59**	**19,34,527.60**	**2134944.05**
(ख) विदेश व्यापार:					
1. प्रत्यक्ष निर्यात	2819.29	1296.99	13640.94	40694.80	5514.54
कुल:	**2819.29**	**1296.99**	**13640.94**	**40694.80**	**5514.54**
कुल कारोबार (ए+बी)	**2013845.71**	**1628098.35**	**3689494.53**	**1975222.40**	**2140458.59**

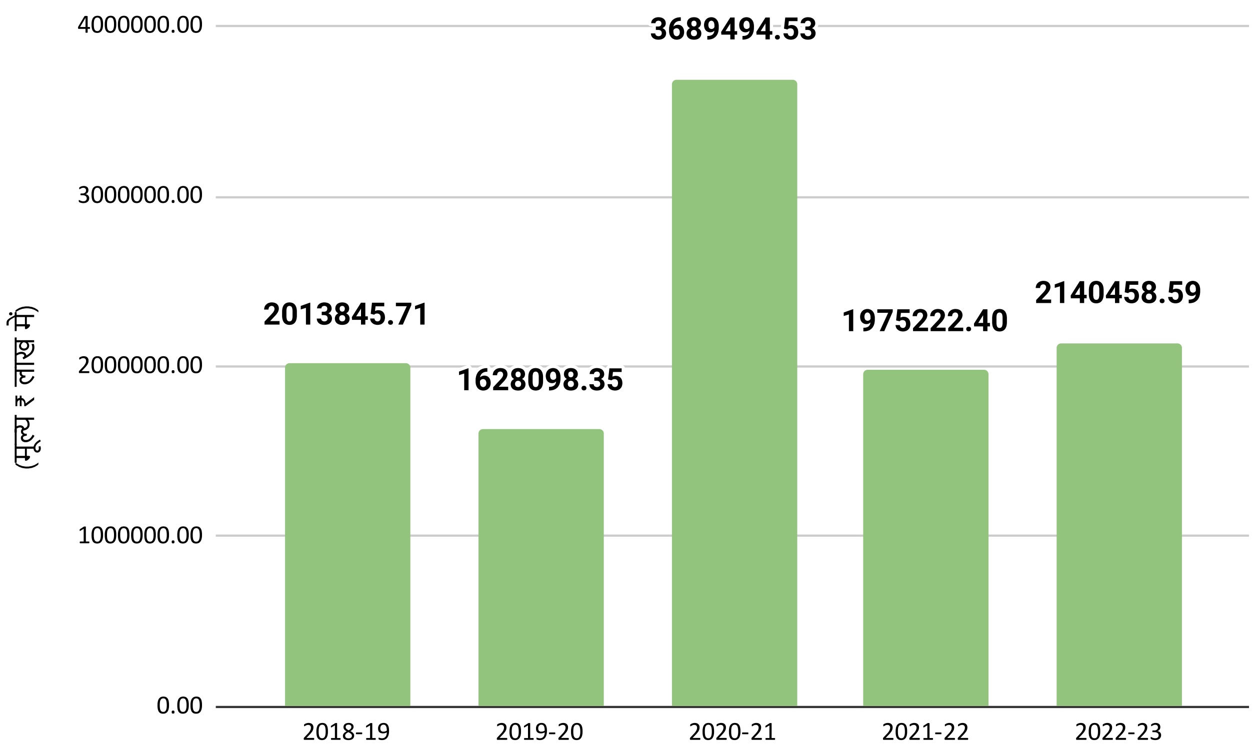

अनुलग्नक-III

विगत 05 वर्षों के दौरान आंतरिक व्यापार

(₹ लाख में)

सामग्री	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-2023
प्रत्यक्ष: *					
खाद्यान्न	55123.08	79094.10	110905.95	123841.73	44061.45
दालें	1268732.33	751953.20	2550522.53	443073.65	1001268.75
तिलहन और तेल	660222.94	704513.96	964943.77	173319.64	125450.92
मसाले	432.10	136.00	73.59	163.35	97.87
बागवानी	1836.64	13478.83	14470.21	23103.56	19676.09
जूट का सामान	--	--	--	514.28	--
मुर्गी पालन	250.03	205.89	94.62	155.51	-
उर्वरक	1104.54	608.85	16.23	336.15	911.19
बीज	5476.45	2744.07	6086.58	8162.19	5826.67
विविध किराने का सामान, चाय और विभिन्न संस्थानों को दालें, चीनी, नमक आदि की आपूर्ति	20668.86	75363.45	28740.12	1202552.34	937651.11
कुल आंतरिक व्यापार	**2013846.97**	**1628098.35**	**3675853.60**	**19,75,222.40**	**21,34,944.05**

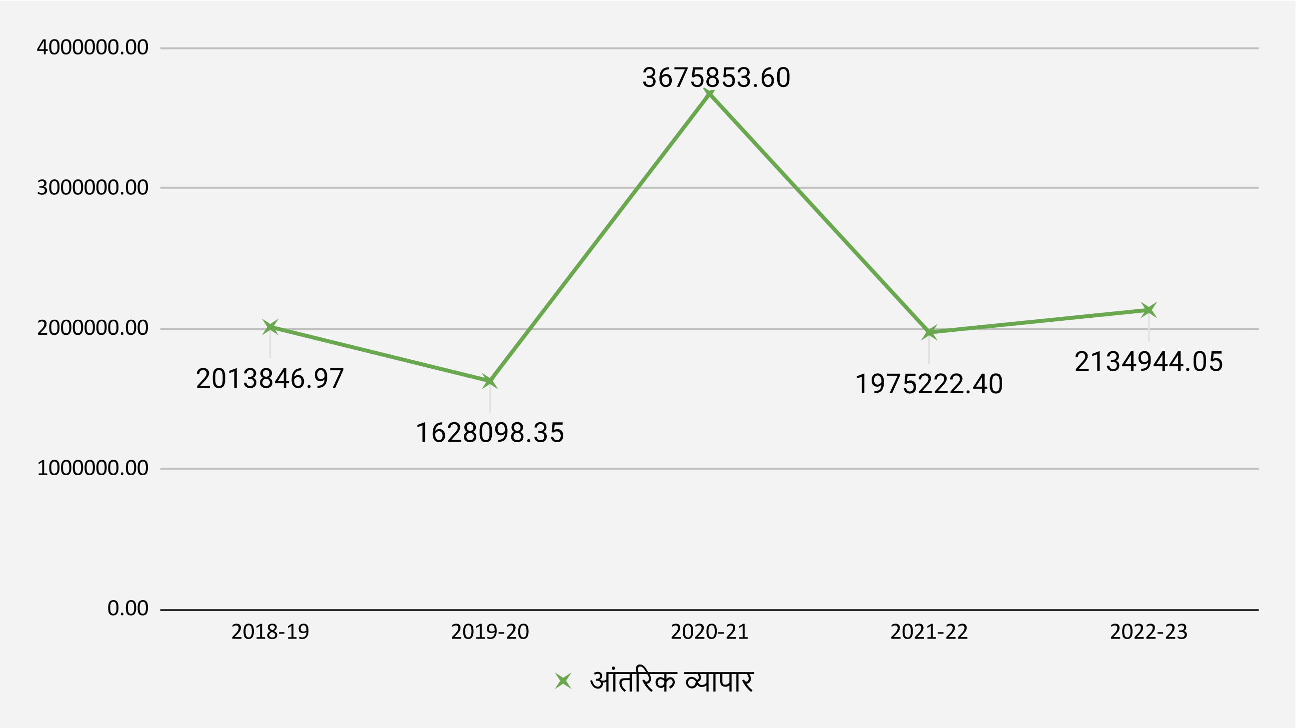

अनुलग्नक-IV

विगत 05 वर्षों के दौरान नेफेड का सामग्री-वार विदेश व्यापार

(मात्रा मीट्रिक टन में/(₹ लाख में)

सामग्री	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रत्यक्ष निर्यात										
1. बागवानी										
प्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
2. खाद्यान्न एवं दालें										
चावल	2250	859.29	10000	393	36897.40	13640.94	135333.60	40633.41	20861.00	5474.01
राजमा	300	323.10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गेहूँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	200	61.39	शून्य	शून्य
चना दाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	50.00	40.53
कुल	**2550**	**1182.39**	**10000**	**393**	**36897.40**	**13640.94**	**135533.60**	**40694.80**	**20911.00**	**5514.54**
3. अन्य										
कम्बल/स्वेटर	4.25 पीस	1636.90		903.99	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**4.25 पीस**	**1636.90**		**903.99**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
कुल प्रत्यक्ष निर्यात	**2550.00 एवं 4.25 पीस**	**2819.29**	**10000**	**1296.99**	**36897.40**	**13640.94**	**135533.60**	**40694.8**	**20911.00**	**5514.54**
कुल विदेश व्यापार	**2550.00 एवं 4.25 पीस**	**2819.29**	**10000**	**1296.90**	**36897.40**	**13640.94**	**135533.60**	**40694.8**	**20911.00**	**5514.54**

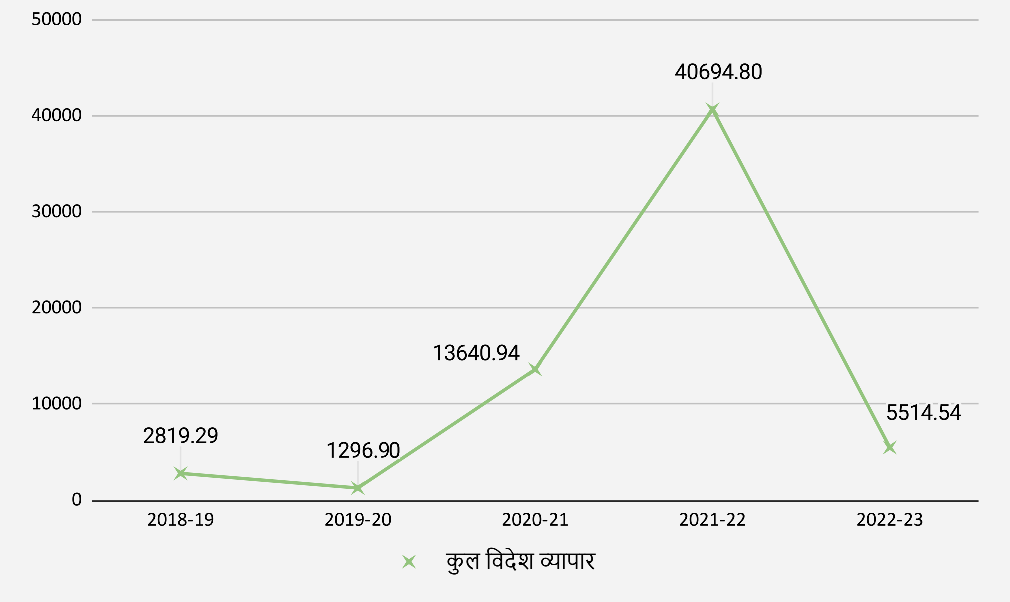

अनुलग्नक-V

वर्ष 2022-23 के लिए सामग्रीवार लाभ/हानि विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	सामग्री/समूह	सकल लाभ/हानि 2022-2023
1.	खाद्यान्न	480.23
2.	मसाले	3.79
3.	दालें	119.72
4.	जैव उर्वरक	79.53
5.	बीज	506.54
6.	फल-सब्जियां	37.71
7	किराने का सामान	155.78
8	निर्यात भारतीय कच्चे सफेद गैर-बासमती चावल और स्टीम चावल:- रु. 51.29 चना दाल:- 1.02 रूपये	52.31
9	जूट	410.56
10	विविध. वस्तुएँ (किराना, चाय और विभिन्न संस्थानों को दाल, नमक, चीनी आदि की आपूर्ति सहित)	10296.92
11	पीएसएस और पीएसएफ पर सेवा शुल्क	22073.41
	कुल	**34216.50**

अनुलग्नक-VI

नेफेड द्वारा पीएसएस के अंतर्गत तिलहन एवं दलहन की खरीद

सामग्री	वर्ष	समर्थन मूल्य एमएसपी + बोनस	खरीदी गई मात्रा मीट्रिक टन में	कीमत लाख में एमएसपी + बोनस	खरीद के प्रमुख राज्य
1. सोयाबीन	2016-17	2775	164.09	43.89	महाराष्ट्र
	2017 K	2850+200	72280.731	22045.62	महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना महाराष्ट्र,
	2018 K	19483.02	66.22		
				1.43	राजस्थान, तेलंगाना महाराष्ट्र
	2020 K	3880.00	3.687		
2. मूंगफली	2013-14	4000	338567	145732.02	महाराष्ट्र, गुजरात राजस्थान आंध्र प्रदेश कर्नाटक उत्तर प्रदेश और ओड़िशा
	2014-15	4000	8817.68	5105.97	आंध्र प्रदेश, ओड़िशा
	2016-17	4120+100	210732.02	86821.59	गुजरात
	2017 K	4250+200	1044255.391	464693.65	गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
	2018 R	4250+200	16.828	7.49	तेलंगाना
	2018 K		717384.17	3508.01	गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश
	2019 R		130.76	0.64	ओड़िशा
	2019 K		721074.28	3670.27	गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश
	2020 R	5090	2007.997	1022.07	ओड़िशा
	2020 K	5275	283044.735	149306.10	गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ,कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,हरियाणा
	2021 R	5275	2203.110	1162.14	ओड़िशा
	2021 K	5550	149464.387	82952.73	गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
	2022 R	5550	248.430	137.88	ओड़िशा
	2022 K	5850	7,160.774	4188.98	राजस्थान, उत्तर प्रदेश
3. सरसों	2014-15	3050	1714.821	558.56	राजस्थान
	2017-18	3900+100	13682.669	5473.07	हरियाणा, राजस्थान
	2019R	4425	1089036.00	4573.95	हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश
	2020 R	4425	785947.679	347781.85	हरियाणा, राजस्थान,मध्य प्रदेश ,गुजरात, उत्तर प्रदेश
	2021 R	4650	0.650	0.30	मध्य प्रदेश
4. सूरजमुखी	2012-13	3700	1499	554.67	कर्नाटक
	2013-14	3700	4383	1634.22	कर्नाटक
	2014-15	3750	4153.213	1655.28	ओड़िशा और हरियाणा
	2015-16	3750	4237.684	1589.13	ओड़िशा और हरियाणा
	2016-17	3850+100	4949.268	1880.72	ओड़िशा और हरियाणा
	2017-18	3850+100	6539.042	2582.92	ओड़िशा , हरियाणा और तेलंगाना
	2019 R	-	3336.33	17.98	तेलंगाना, ओड़िशा और हरियाणा
	2020 R	5650	5257.881	2970.70	तेलंगाना, ओड़िशा और हरियाणा
	2021 R	5885	3885.727	2286.75	ओड़िशा , हरियाणा
	2022 R	6015	1905.442	1146.12	ओड़िशा , हरियाणा

सामग्री	वर्ष	समर्थन मूल्य एमएसपी + बोनस	खरीदी गई मात्रा मीट्रिक टन में	कीमत लाख में एमएसपी + बोनस	खरीद के प्रमुख राज्य
5. कोपरा	2012-13	5100 (Milling)	64962	35322.94	तमिलनाडु,केरल,आंध्र प्रदेश, लक्षद्विप कर्नाटक, केरल.
		5350 (Milling)	9275	5199.35	तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षदीप
	2013-14	5250 (Milling)	4117	2463.41	अंडमान निकोबार
		5500 (Ball)	29490	17284.74	कर्नाटक
	2016-17	6240 (Ball)	1837	1146.20	तमिलनाडु और कर्नाटक
		5950(Milling)	4487	2669.81	तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश
	2019-20	9960(Milling)	29.779	29.66	तमिलनाडु
		10300 (Ball)	5051.750	5203.30	तमिलनाडु, कर्नाटक
	2020-21	10335-Milling	32.950	34.05	तमिलनाडु
	2021-22	10590-Milling	40849.355	43259.47	तमिलनाडु, केरल
6. चना	2013-14	3000	34306	10736.57	महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक
	2014-15	3100	279611.125	94123.66	महाराष्ट्र, गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश , राजस्थान कर्नाटक
	2017-18	4250+150	115453.362	50799.48	महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
	2019R		776360.24	3586.78	तेलंगाना, मध्य प्रदेश ,राजस्थान,गुजरात
	2020R	4875	2138416.17	1042477.88	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक
	2021R	5100	628826.046	320701.25	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राजस्थान, कर्नाटक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात
	2022 R	5230	2555852.846	1336711.04	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
7. उड़द	2012-13	3300	1.57	0.63	राजस्थान
	2013-14	4300	77050.806	34543.75	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान कर्नाटक, झारखंड
	2014-15	4300	7453.262	3611.45	झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश
		4300	6.70	6.56	महाराष्ट्र
	2017 K	5200+200	268178.981	144816.65	महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक,
	2017 S	4575+425	15747.647	7873.82	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
	2018 R	5200+200	95.010	51.31	मध्य प्रदेश
	2018 K		423527.51	2371.75	तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,गुजरात,
	2019R		18240.92		राजस्थान
	2019K		132.31	102.15	महाराष्ट्र ओड़िशा , तमिलनाडु
				0.75	राजस्थान, गुजरात
	2020K	6000	137.15	82.29	महाराष्ट्र
	2021 K	6300	1621.303	1021.45	महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान
	2021 S	6000	959.75	575.85	मध्य प्रदेश
	2022 R	6300	124.650	78.53	तेलंगाना
	2022 K	6600	35.800	23.63	महाराष्ट्र
	2022 S	6300	71.400	44.98	मध्य प्रदेश

सामग्री	वर्ष	समर्थन मूल्य एमएसपी + बोनस	खरीदी गई मात्रा मीट्रिक टन में	कीमत लाख में एमएसपी + बोनस	खरीद के प्रमुख राज्य
8. अरहर	2012-13	3850	16004.835	6328.15	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश
	2013-14	4300	42693	18755.12	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश
	2014-15	4300	1079.648	1069.87	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश
	2016 K	4625+425	196207.900	99084.99	महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक
	2017 K	5250+200	603158.686	328721.48	महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,कर्नाटक
	2018K		275673.52	1564.45	मध्य प्रदेश,कर्नाटक, तेलंगाना.
	2019K		536413.25	3111.20	महाराष्ट्र, कर्नाटक , तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात
	2020K	6000	10353.757	6212.25	गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु तमिलनाडु आंध्र प्रदेश,
	2021 K	6300	20259.230	12763.31	महाराष्ट्र गुजरात, कर्नाटक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु
9.मूंग	2016-17	4800+425	8267.58	3968.43	महाराष्ट्र और कर्नाटक
	2017 K	5375+200	293672.932	163722.66	महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
	2017 S	4800+425	112407.165	58732.74	मध्य प्रदेश और ओड़िशा
	2018K		296073.980	2065.12	कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात
	2019R		26033.03	181.58	ओड़िशा , तमिलनाडु
	2019K		140018.46	987.13	राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र कर्नाटक.
	2020R	7050	7111.93	5013.91	ओड़िशा , तमिलनाडु
	2020K	7196	12596.628	9064.53	राजस्थान, तमिलनाडु हरियाणा, महाराष्ट्र
	2021 R	7196	6407.600	4610.91	तमिलनाडु, ओड़िशा
	2021 K	7275	75258.700	54750.70	आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक
	2021 S	7196	147250.001	105961.10	मध्य प्रदेश
	2022 R	7275	12360.824	8992.50	ओड़िशा , तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा
	2022 K	7755	120057.846	93104.86	राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र
	2022 S	7275	275645.000	200531.74	मध्य प्रदेश
10. मसूर	2020R	4800	1425.181	684.09	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
	2021R	5100	18.298	9.33	मध्य प्रदेश
11. तिल	2017 K	4800+200	3739.767	1869.88	पश्चिम बंगाल

ध्यानाकर्षण: के खरीफ के मौसम को दर्शाता है।

आर रबी के मौसम को दर्शाता है।

एस गर्मी के मौसम को दर्शाता है।

अनुलग्नक-VII

नेफेड द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत कृषि वस्तुओं की खरीद

सामग्री	वर्ष	समर्थन मूल्य प्रति क्वंटल	खरीदी गई मात्रा मीट्रिक टन में	कीमत लाख रु. में	खरीद के प्रमुख राज्य
1. आलू	**1997-98** **2003-04**	125-130/350 190	4697 733	159.27 21.48	उत्तर प्रदेश, कर्नाटक उत्तर प्रदेश
2.प्याज	**1996-97**	300	60	1.98	कर्नाटक
3. अंडे (मात्रा लाख संख्या में)	**1992-93** **1993-94** **1994-95** **1995-96** **1996-97** **1999-2000** **2000-01** **2001-02**	65/100 75/100 75/100 82/100 110/100 100/100 90/100 100/100	26.99 91.02 28.21 34.82 141.43 85.89 34.93 31.75	17.19 61.63 37.61 32.96 137.51 87.00 31.20 32.70	आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश, पंजाब आंध्र प्रदेश, पंजाब आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश
4. किन्नू/माल्टा	**1992-93** **1993-94**	325A 350A	1703 3133	46.88 49.49	पंजाब, हरियाणा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा
5. काली मिर्च	**1993-94**	3300	1491	495.25	केरल
6. मिर्च	**1993-94** **1996-97** **1997-98**	1500 2200 2250	5000 126 8123	806.64 29.48 190.01	आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश
7.धनिया	**1998-99** **2004-05**	1250 1450	378 80	45.88 12.48	राजस्थान राजस्थान
8.एमआईएस सेब 2020	**2020-21**	3600	1.605	0.58	जम्मू और कश्मीर

2021-2022:- शून्य

2022-2023:- शून्य

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

(मूल प्रति अंग्रेजी भाषा से हिंदी में अनुदित)

सतीश के. कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
डी-49, प्रथम तल, पांडव नगर
मदर डेयरी प्लांट के सामने, नई दिल्ली-110092

एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
ई-21, बेसमेंट, जंगपुरा एक्सटेंशन,
नई दिल्ली- 110014

दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
बी-4, गुलमोहर पार्क,
नई दिल्ली-110049

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी
विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) नई दिल्ली

अभिमत

1. हमने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (इसके उपरांत 'संघ' के तौर पर संदर्भित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं अन्य विस्तृत सूचना के सारांश सहित 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, उस समाप्त हुए वर्ष को लाभ व हानि विवरण एवं नगदी प्रवाह विवरण एवं वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां सम्मिलित हैं। इन वित्तीय विवरणों में समाविष्ट मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण निधि, बाजार हस्तक्षेप योजना एवं पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से जिंसों के किये गये कार्यों कीं सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्मों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है एवं हमनें उन पर भरोसा किया है।

2. वे मामले जिनका वर्ष के लाभ पर एवं 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर प्रभाव अस्वीकार्य है, सहित, नीचे दिए गए पैरा 3 में अनुमोदित अभिमत को आधार बनाकर वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारे अभिमत में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण के साथ-साथ उसमें दी गई टिप्पणियां बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 एवं बहु राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं तथा आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं एवं 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार संघ के कार्यों की, उस तिथि को समाप्त वर्ष में उसके लाभ व उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रदान करता है।

3. सुविज्ञ राय का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व खंड में उल्लेख किया गया है। हम उन नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार संस्था से स्वतंत्र हैं जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायिवों का पूर्णतया निर्वहन किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा

साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व उपयुक्त हैं।

I. निम्नलिखित बिंदुओं को आधार मानकर हम यह पता लगाने एवं रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं कि तुलन पत्र एवं लाभ व हानि विवरण पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है:

क) 1,015.10 करोड़ रुपये के कुल टाई-अप की प्राप्य राशि 10 वर्ष से अधिक की लंबी अवधि (गत वर्ष 1,015.12 करोड़ रुपये) से बकाया है जिसमें से 279.03 करोड़ रुपये (गत वर्ष 279.03 करोड़ रुपये) को वसूली योग्य और प्रवर्तनीय प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत वर्णित किया गया है जिनके लिए हमें इस तरह की प्रतिभूतियों के संबंध में कोई ऐसे पर्याप्त एवं समुचित साक्ष्य नहीं प्रदान किये गये जैसे नवीनतम भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन रिपोर्ट | 1,015.12 करोड़ रुपये के बकाया के लिए महज 4.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि हमारे अभिमत में वास्तव में कम करके बताया गया है क्योंकि इसकी वसूली दर्शाने वाले कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए।

ख) फुटकर देनदारों के पास 28.29 करोड़ रुपये (गत वर्ष 26.66 करोड़ रुपये) (टाई-अप और बैक टू बैक कारोबार से भिन्न) सम्मिलित है जो 3 वर्ष से अधिक समयाविध से बकाया है और उन पार्टियों से वसूली नहीं की गई है। वसूली की इस अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, संघ को आईसीएआई द्वारा जारी राजस्व मान्यता पर एएस-9 के दृष्टिगत उक्त बकाया के संबंध में उचित प्रावधान करना चाहिए था।

ग) हैदराबाद के गोदाम में वर्ष 2005-06 से 89.22 करोड़ (गत वर्ष 89.22 करोड़ रुपये) के स्टॉक के मूल्य में कमी के सापेक्ष कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसे लागत पर दर्शाया गया है। दिनांक 31.03.2023 की नवीनतम भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, इस स्टॉक की स्थिति अच्छी नहीं है और इस पर पूरी तरह से जंग लग गया है तथा इसके वजन करने की व्यवस्था भी नहीं है जिसके कारण इसे स्थल पर तौला नहीं जा सका और भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः संघ की आय का उस सीमा तक अधिक उल्लेख हुआ है ।

घ) फुटकर लेनदारों / व्यापार प्राप्यों में 120.93 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं जो गत 3 से अधिक वर्षों से बकाया हैं और इन पार्टियों को कोई भुगतान नहीं किया गया है। जो राशि देय नहीं है संघ को उसके प्रतिलेखन के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

ङ) भारत सरकार ने 758.81 करोड़ रुपये (गत वर्ष 302.19 करोड़ रुपये) के दावों को नामंजूर कर दिया गया है एवं संघ ने इसका दावा पुनः किया है लेकिन आज तक इसकी वसूली नहीं की जा सकी है। संघ के पास इसकी वसूली के कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं इस वसूली को संदिग्ध के तौर पर माना जाना चाहिए तथा इसका प्रावधान किया जाना चाहिए।

च) कुछ शाखाओं में 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार लेखा बहियों में दर्शाए गएं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देयता / परिसंपत्ति का जीएसटीएन पोर्टल के साथ मिलान नहीं किया गया है। इसका मिलान न होने के कारण वर्ष के लिए लाभ / हानि पर इसके वित्तीय प्रभाव का आकलन नहीं किया सका।

छ) वर्ष के दौरान पीएसएस प्रचालन पर समायोजित न किये गये जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित 0.25 करोड़ रुपये (गत वर्ष 5.40 करोड़ रुपये) लाभ और हानि लेखा में जीएसटी व्यय के रूप में दर्शाई गई है और इसका भारत सरकार से खर्चों की प्रतिपूर्ति के रूप में दावा किया गया है और साथ ही इसे बहियों में आईटीसी प्राप्य और चालू देयता के रूप में दर्शाया गया है। कुछ शाखाओं में यह देखा गया है कि उपरोक्त में से जीएसटी आईटीसी की कुछ राशि जिसे जीएसटी आउटपुट देयता के सापेक्ष पहले ही समायोजित किया जा चुका है, उसे जीएसटी व्यय में समायोजित न किये गये जीएसटी आईटीसी के रूप में दर्शाया गया है।

जैसा कि ऊपर पैराओं (क से छ) में प्रकटीकरण के प्रभाव का सटीक रूप से आकलन नहीं किया जा सका एवं केवल अभिनिर्धारित राशि के कुल प्रभाव को प्रस्तुत करना समीचीन नहीं होगा, अतः हम लाभ, परिसंपत्तियां व देयताएं पर अभिनिर्धारित राशि के कुल प्रभाव को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

SATISH K. KAPOOR & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

H.D.S.G. & Associates Chartered Accountants

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

प्रबंधन एवं वित्तीय विवरण हेतु सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों का उत्तरदायित्व

4. संघ का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उत्तरदायी है जो संघ को यथा लागू आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक एवं बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002, बहु राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 सहित आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार संघ की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

   इस उत्तरदायित्व में संघ की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण, उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, युक्तियुक्त एवं विवेकसम्मत निर्णय व अनुमान लगाना एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता व पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे तथा जो ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी व प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और तात्विक दुरुपयोग से मुक्त हैं चाहे वह प्रवंचना से हो या त्रुटि के कारण। इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन संस्थान की चालू संस्था के तौर पर जारी रखने की योग्यता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का यथा लागू प्रकटीकरण करने एवं लेखांकन के आधार पर चालू संस्था का उपयोग करने के लिए भी उत्तरदायी है जब तक प्रबंधन या तो संस्था का परिसमापन करने या बंद करने का इरादा न रखता हो अथवा इसके अलावा कोई विकल्प न हो।

   शासन द्वारा नियुक्त वे व्यक्ति भी वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

5. हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ीपूर्ण हों या त्रुटि के कारण एवं लेखापरीक्षक की ऐसी रिपोर्ट जारी करने है जिसमें हमारी अभिमत भी शामिल है। युक्तियुक्त आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक मिथ्याकथनों को पकड़ लेगी जब भी यह घटित हो। ये मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटिवश हो सकते हैं एवं तभी तात्विक माने जाते हैं यदि इनसे अलग-अलग या कुल मिलाकर वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को युक्तियुक्त रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

   हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें एवं वित्तीय विवरणों के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाये एवं निष्पादन करें कि क्या वे तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

   लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटीकरणों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निवर्हन शामिल होता है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के तात्विक मिथ्याकथन, चाहे वह प्रवंचना से हो या त्रुटिवश के जोखिमों का आकलन सहित लेखापरीक्षक के बोध पर निर्भर करती हैं। उन जोखिमों का आकलन करने में लेखापरीक्षक ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से संघ की तैयारी व वित्तीय विवरणों की

निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए आंतरिक नियंत्रण को प्रासंगिक मानता है जो परिस्थिति में उपयुक्त हैं, लेकिन इसका उद्देश्य संघ के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अभिमत व्यक्त करना नहीं है। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमनें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं। वे हमारे लेखापरीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

6. अन्य मामले

(क) देनदारों, लेनदारों और ऋणों और अग्रिमों के संबंध में शेष राशि संपुष्टि और मिलान के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि संघ द्वारा लेनदारों और ऋणों और अग्रिमों से संपुष्टि की मांग नहीं की गई है। इस प्रकार वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका (अनुसूची 15 ख – टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण की टिप्पणी संख्या – 8 देखें)

(ख) संघ अलग-अलग शाखाओं द्वारा ओटीआर के तहत प्राप्त एवं की गई आपूर्ति के लिए देय के साथ-साथ प्राप्य राशि को भी दर्शा रहा है। इसे एक दूसरे से अलग-अलग नहीं किया गया है, अतः देय राशि और प्राप्य राशि दोनों का अधिक उल्लेख हुआ है।

(ग) संघ द्वारा स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था क्योंकि हमें कोई भी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट / रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराये गये थे एवं हमने संबंधित पार्टियों / सीडब्ल्यूसी / एसडब्ल्यूसी / संघ द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है। (अनुसूची 15ख - टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरणों की टिप्पणी सं. 12 देखें)।

(घ) हमने स्टॉक रिकॉर्ड के रखरखाव में कुछ कमियां देखी हैं क्योंकि कुछ शाखाओं में डब्ल्यूएचआर / स्टॉक रिकॉर्डो का अद्यतन नहीं किया गया था / उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किए गये थे। हमारे अवलोकन को ध्यान में रखते हुए मालसूची रिकॉर्ड के रखरखाव पर नियंत्रण को और मजबूत करने की आवश्यकता है। (अनुसूची 15ख - टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरणों की टिप्पणी 12 देखें) ।

(ङ) संघ के पक्ष में 9.04 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.18 करोड़ रुपये) की संपत्तियों का स्वत्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है ।

(च) संघ ने 2407.11 करोड़ रुपये के बकाये वाले ऋणों के लिए ऋणदाता बैंकों के साथ 'एकबारगी निपटान करार किया है जिसमे 27.03.2018 को करार के साथ मेगा मॉल, अंधेरी, मुंबई में चूककर्ता पार्टी की संपत्तियों का "जैसा है जहां है" नीलामी अधिकार के हस्तांरण के साथ-साथ 478.00 करोड़ रुपये का निपटारा किया गया है। चूंकि निपटान करार का हिस्सा अभी भी लंबित है, अतः संघ ने लेखा बहियों में इसका प्रभाव नहीं दर्शाया है। इसे उस वर्ष में दर्शाया जाएगा जब संघ ऋणदाता बैंकों से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। यह अंतिम निपटान के वर्ष में संघ की लाभप्रदता पर काफी प्रभाव डाल सकता है। (अनुसूची 15ख टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरणों की टिप्पणी 14 देखें)।

(छ) संघ ने एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 18 के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं से प्रासंगिक घोषणा के लिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार भुगतानों को वर्गीकृत नहीं किया है। (अनुसूची 15 ख- टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरणों की टिप्पणी 17 देखें)।

(ज) संघ के कारोबार के आकार प्रचालन एवं प्रकृति को देखते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा और नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

7. बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002, बहु- राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 के अनुसार तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तैयार किये गये हैं।

8. उपर्युक्त अनुच्छेद 4 एवं 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा सीमाओं के अधीन तथा बहु राज्य समिति अधिनियम 2002 की धारा 73 (4) की अपेक्षानुसार तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी, हम रिपोर्ट करते हैं किः

(क) हमें वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हुई जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे ज्ञान व विश्वास के लिए अत्यावश्यक थे एवं उन्हें संतोषजनक पाया है।

(ख) हमारे अभिमत में, संघ ने अभी तक विधिक अपेक्षानुसार उचित लेखा बहियां रखी हैं, जैसा कि उन बहियों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में दर्शाया गया तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुसार है।

(घ) योग्य अभिमत के लिए आधार अनुच्छेद में उल्लिखित विषय को छोड़कर, तुलन पत्र, लाभ व हानि एवं नकदी प्रवाह विवरण जब तक कि अन्यथा न कहा जाए, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

FOR SATISH K. KAPOOR & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN: 016222N	FOR HDSG & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS FRN: 002871N	FOR DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS FRN: 000112N
CA Satish Kumar Kapoor PARTNER M No: 094823 UDIN: 23094823BGSPFL4870	CA Harbir Singh Gulati PARTNER M No: 084072 UDIN: 23084072BGSJXX7925	CA Ashok Kumar Jain PARTNER M No: 090563 UDIN: 23090563BGYEUG2968

Place : New Delhi

Date : 22.07.2023

अध्याय - 18.3

वर्ष 2022-23 के लिए लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का अनुच्छेद-वार अनुपालन

लेखा परीक्षक की टिप्पणी	अनुपालन
अभिमत	
1. हमने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (इसके उपरांत 'संघ' के तौर पर संदर्भित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं अन्य विस्तृत सूचना के सारांश सहित 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, उस वर्ष को समाप्त लाभ व हानि विवरण एवं नगदी प्रवाह विवरण एवं वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां सम्मिलित हैं। इन वित्तीय विवरणों में समाविष्ट मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण निधि, बाजार हस्तक्षेप योजना एवं पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से जिंसों के किये गये कार्यों कीं सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्मों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है एवं हमनें उन पर प्राथमिक तौर पर भरोसा किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
2. वे मामले जिनका वर्ष के लाभ पर एवं 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर प्रभाव अस्वीकार्य है, सहित नीचे दिए गए पैरा 3 में अनुमोदित अभिमत को आधार बनाकर वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारे अभिमत में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण के साथ-साथ उसमें दी गई टिप्पणियां बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 एवं बहु राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं तथा आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं एवं 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार संघ के कार्यों की, उस तिथि को समाप्त वर्ष में उसके लाभ व उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं ।	कोई टिप्पणी नहीं
3 योग्य अभिमत के लिए आधार	
हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अतंर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व खंड में उल्लेख किया गया है। हम उन नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार संस्था से स्वतंत्र हैं जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायिवों का पूर्णतया निर्वहन किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व उपयुक्त हैं।	

लेखा परीक्षक की टिप्पणी	अनुपालन
I) निम्नलिखित तथ्यों को आधार मानकर हम यह पता लगाने एवं रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं कि तुलन पत्र एवं लाभ व हानि विवरण पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है: क) 1,015.10 करोड़ रुपये के कुल टाई-अप की प्राप्य राशि 10 वर्ष से अधिक की लंबी अवधि (गत वर्ष 1,015.12 करोड़ रुपये) से बकाया है जिसमें से 279.03 करोड़ रुपये (गत वर्ष 279.03 करोड़ रुपये) को वसूली योग्य और प्रवर्तनीय प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत वर्णित किया गया है जिनके लिए हमें इस तरह की प्रतिभूतियों के संबंध में कोई ऐसे पर्याप्त एवं समुचित साक्ष्य नहीं प्रदान किये गये जैसे नवीनतम भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन रिपोर्ट | 1,015.10 करोड़ रुपये के बकाया के लिए महज 4.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि हमारे अभिमत में वास्तव में कम करके बताया गया है क्योंकि इसकी वसूली दर्शाने वाले कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किये गये।	वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान, नेफेड ने कृषि और गैर-कृषि/गैर-पारंपरिक वस्तु दोनों में निजी पार्टियों के साथ टाई-अप/बैक टू बैक कारोबार किया। इस कारोबारी मॉडल के तहत अधिकांश धनराशि पार्टियों को खरीद एवं इसके उपरांत नेफेड के पक्ष में स्टॉकों का दृष्टिबंधक के लिए उपलब्ध कराई गई थी। कुछ मामलों में, कुछ टाई-अप पार्टियों ने एमओयू / करार में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इस राशि का उपयोग किया। अन्य मामलों में, कुछ टाई-अप पार्टियों ने कथित तौर पर बाजार की स्थितियों के कारण नुकसान उठाया एवं नेफेड के बकाये का भुगतान करना बंद कर दिया । टाई-अप चूककर्ताओं से बकाये की इस भारी राशि की वसूली के लिए, नेफेड ने पार्टियों द्वारा नेफेड के पक्ष में जारी चेकों के डिसओनर होने में मध्यस्थों, सिविल न्यायालयों और परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआईए) की धारा 138 के तहत आपराधिक मामलों के तहत दावे की याचिका दायर करके उनके विरुद्ध दीवानी व आपराधिक कार्यवाही आरंभ की। नेफेड ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कई मामले दर्ज किए हैं। नेफेड ने कुछ पार्टियों के विरुद्ध सीबीआई/ईओडब्ल्यू के समक्ष भी आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई हैं। नेफेड द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए किए गए ठोस प्रयासों के परिण आम भी सामने आने लगे हैं। ऐसे मामलों में जहां पार्टियों से संबंधित संपत्ति की डिक्री / नीलामी के आदेश पारित किए गए हैं उनमें न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति की नीलामी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई/ईओडब्ल्यू ने भी नेफेड द्वारा दायर सभी शिकायतों में उपयुक्त न्यायालयों के समक्ष आरोप पत्र दायर किए हैं। चूंकि मुकदमेबाजी लंबी वसमय लेने वाली प्रक्रिया है। अत: इच्छुक टाईअप चूककर्ताओं से वसूली में तेजी लाने के लिए निदेशक मंडल ने 9.7.2010 को आयोजित बैठक में आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर व्यापक एकबारगी निपटान नीति को मंजूरी दी है। उपर्युक्त कार्यों के दृष्टिगत, यह आशा है कि निकट भविष्य में कुछ वसूलियां हो जाएंगी। तथापि, ऋणदाता बैंकों के साथ एकबारगी निपटान की शर्तों के अनुसार सभी अनुपालन किए गए हैं और यह आशा की जाती है कि संबंधित बैंकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त हो जाएंगे और तदनुसार बकाया राशि के लिए आवश्यक प्रावधान करने पर विचार किया जाएगा।
ख) विविध देनदारों में 28.29 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 26.66 करोड़ रुपये) (टाई-अप मामलों के अलावा अन्य) की राशि शामिल है, जो 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया है और पार्टियों से कोई वसूली नहीं की गई है। वसूली की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, संघ को आईसीएआई द्वारा जारी राजस्व मान्यता पर एएस-9 के मद्देनजर उक्त बकाया के संबंध में उचित प्रावधान करना चाहिए।	यह राशि विभिन्न संस्थानों को की गई आपूर्ति से संबंधित है और इसकी वसूली के लिए जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है और प्रबंधन को वसूली की आशा है। हालाँकि, 31.03.2023 तक खातों की पुस्तकों में 25.35 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।

लेखा परीक्षक की टिप्पणी	अनुपालन
ग) हैदराबाद के गोदाम में वर्ष 2005-06 से 89.22 करोड़ (गत वर्ष 89.22 करोड रुपये) के स्टॉक के मूल्य में कमी के सापेक्ष कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसे लागत पर दर्शाया गया है । दिनांक 31.03.2023 की नवीनतम भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, इस स्टॉक की स्थिति अच्छी नहीं है और इस पर पूरी तरह से जंग लग गया है तथा इसके वजन करने की व्यवस्था भी नहीं है, जिसके कारण इसे स्थल पर तौला नहीं जा सका और भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। अत: संघ की आय का उस सीमा तक अधिक उल्लेख हुआ है।	संघ की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार, बैक टू बैक/टाई अप व्यवस्था के तहत रखे गए स्टॉक का मूल्य लागत पर लगाया जाता है। हालांकि, स्टॉक के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, ओटीएस समझौते के तहत सभी ऋणदाता बैंकों से एनओसी प्राप्त होने के बाद इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।
घ) फुटकर लेनदारों / व्यापार प्राप्यों में 120.93 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं जो गत 3 से अधिक वर्षों से बकाया हैं और इन पार्टियों को कोई भुगतान नहीं किया गया है। जो राशि देय नहीं है संघ को उसके प्रतिलेखन के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।	संघ फुटकर लेनदारों / व्यापार देयों के जमा शेष का है जो मामले दर मामला आधार पर प्रतिलेखन कर रहा है जो 3 वर्ष से अधिक पुराने हैं। तथापि, राज्य संघ / समितियों से संबंधित 3 वर्ष से अधिक पुरानी बकाया राशि का मिलान किया जा रहा है और तदनुसार निपटारा कर दिया जाएगा।
ङ.) भारत सरकार ने 758.81 करोड़ रुपये (गत वर्ष 302.19 करोड़ रुपये) के दावों को नामंजूर कर दिया गया है एवं संघ ने इसका दावा पुनः किया है लेकिन आज तक इसकी वसूली नहीं की जा सकी है। संघ के पास इसकी वसूली के कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं इस वसूली को संदिग्ध के तौर पर माना जाना चाहिए तथा इसका प्रावधान किया जाना चाहिए ।	डीए एंड एफडब्ल्यू ने हाल ही में दावों के समयबद्ध पुनरीक्षण और पुनरीक्षणोपरांत कार्यवाही के लिए डीए एंड एफडब्ल्यू कार्यालय में समर्पित पुनरीक्षण प्रकोष्ठ बनाया है, जिसने संघ द्वारा प्रस्तुत दावों / पुनरीक्षणोपरांत दावों के निपटान पर काम करना आरंभ कर दिया है।
च) कुछ शाखाओं में 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार लेखा बहियों में दर्शाए गएं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देयता / परिसंपत्ति का जीएसटीएन पोर्टल के साथ मिलान नहीं किया। गया है। इसका मिलान न होने के कारण वर्ष के लिए लाभ / हानि पर इसके वित्तीय प्रभाव का आकलन नहीं किया सका।	जीएसटी का मिलान किया जा रहा है और इसके इसके परिणामी प्रभाव की गणना वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा बहियों में की जाएगी।
छ) वर्ष के दौरान पीएसएस प्रचालन पर समायोजित न किये गये जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित 0.25 करोड़ रुपये (गत वर्ष 5.40 करोड़ रुपये) लाभ और हानि लेखा में जीएसटी व्यय के रूप में दर्शाई गई है और इसका भारत सरकार से खर्चों की प्रतिपूर्ति के रूप में दावा किया गया है और साथ ही इसे बहियों में आईटीसी प्राप्य और चालू देयता के रूप में दर्शाया गया है। कुछ शाखाओं में, यह देखा गया है कि उपरोक्त में से जीएसटी आईटीसी की कुछ राशि जिसे जीएसटी आउटपुट देयता के सापेक्ष पहले ही समायोजित किया जा चुका है, उसे जीएसटी व्यय में समायोजित न किये गये जीएसटी आईटीसी के रूप में दर्शाया गया है। उपर्युक्त यथा वर्णित अनुच्छेद (क से छ) के प्रभाव का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सका और केवल अभिनिर्धारित राशि के कुल प्रभाव को प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा, अत: हम लाभ, परिसंपत्तियों व देयताओं पर अभिनिर्धारित राशि के कुल प्रभाव को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।	इस संबंध में, नेफेड द्वारा प्रस्तुत दावों की प्रारंभिक जांच के दौरान अस्वीकार किए गए दावों पर विचार करने के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति ने इसे आत्मसमर्पण करने के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर असमायोजित जीएसटी के दावों की अनुमति देने का निर्णय लिया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

लेखा परीक्षक की टिप्पणी	अनुपालन
<u>वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन और शासन के उत्तरदायित्व</u>	
4. संघ का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उत्तरदायी है जो संघ को यथा लागू आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक एवं बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002, बहु राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 सहित आमतौर परभारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार संघ की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस उत्तरदायित्व में संघ की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण, उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, युक्तियुक्त एवं विवेकसम्मत निर्णय व अनुमान लगाना एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल हैं जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता व पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे तथा जो ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी व प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और तात्विक दुरुपयोग से मुक्त हैं चाहे वह प्रवचना से हो या त्रुटिवश। इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन संस्थान की चालू संस्था के तौर पर जारी रखने की योग्यता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का यथा लागू प्रकटीकरण करने एवं लेखांकन के आधार पर चालू संस्था का उपयोग करने के लिए भी उत्तरदायी है जब तक प्रबंधन या तो संस्था का परिसमापन करने या बंद करने का इरादा न रखता हो अथवा इसके अलावा कोई विकल्प न हो। शासन द्वारा नियुक्त वे व्यक्ति भी वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया देखरेख के लिए उत्तरदायी है।	कोई टिप्पणी नहीं
<u>वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व</u>	
5. हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से तात्विक मिथ्याकथन रहित है, चाहे धोखाधड़ीपूर्ण हों या त्रुटि के कारण एवं लेखापरीक्षक की ऐसीरिपोर्ट जारी करने है जिसमें हमारी अभिमत भी शामिल है। युक्तियुक्त आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है किएसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक मिथ्याकथनों को पकड़ लेगी जब भी यह घटित हो । ये मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटिवशहो सकते हैं एवं तभी तात्विक माने जाते हैं यदि इनसे अलग-अलग या कुल मिलाकर वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को युक्तियुक्त रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें एवं वित्तीय विवरणों के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाये एवं निष्पादन करें कि क्या वे तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं।	कोई टिप्पणी नहीं

लेखा परीक्षक की टिप्पणी	अनुपालन
लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटीकरणों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निवर्हन शामिल होता है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के तात्विक मिथ्याकथन, चाहे वह प्रवंचना से हो या त्रुटिवश के जोखिमों का आकलन सहित लेखापरीक्षक के बोध पर निर्भर करती हैं। उन जोखिमों का आकलन करने में लेखापरीक्षक ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से संघ की तैयारी व वित्तीय विवरणों की निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए आंतरिक नियंत्रण को प्रासंगिक मानता है जो परिस्थिति में उपयुक्त हैं, लेकिन इसका उद्देश्य संघ के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अभिमत व्यक्त करना नहीं है। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमनें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं वे हमारी लेखापरीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।	
6. अन्य मामले	
(क) देनदारों, लेनदारों और ऋणों और अग्रिमों के संबंध में शेष राशि संपुष्टि और मिलान के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि संघ द्वारा लेनदारों और ऋणों और अग्रिमों से संपुष्टि की मांग नहीं की गई है। इस प्रकार वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका। (अनुसूची 15ख - टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण - की टिप्पणी संख्या 8 देखें)	शेष राशि की पुष्टि के लिए हमने संबंधित पक्षों/सोसाइटियों को पहले ही पत्र जारी कर दिए हैं। उनमें से कुछ ने जवाब दिया है। जहां तक सुलह का संबंध है, कई मामलों में खातों का परिसंघ/प्राथमिक सोसाइटियों और पक्षकारों के साथ मिलान कर लिया गया है। शेष खातों के मिलान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
(ख) संघ अलग-अलग शाखाओं द्वारा ओटीआर के तहत प्राप्त एवं की गई आपूर्ति के लिए देय के साथ-साथ प्राप्य राशि को भी दर्शा रहा है। इसे एक दूसरे से अलग-अलग नहीं किया गया है।, अत: देय राशि और प्राप्य राशि दोनों का अधिक उल्लेख हुआ है।	चूंकि संचालन चल रहा है, इसलिए लेनदेन के पूरा होने के समय पार्टियों के खातों को समायोजित किया जाएगा।
(ग) संघ द्वारा स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था क्योंकि हमें कोई भी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट / रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराये गये थे एवं हमने संबंधित पार्टियों / सीडब्ल्यूसी / एसडब्ल्यूसी / संघ द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है। (अनुसूची 15ख - टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरणों की टिप्पणी 12 देखें) ।	संघ की लेखा नीति के अनुसार, अंतिम सूची माल की सूची रिकार्डों के आधार पर ली जाती है, सिवाय ट्रांजिट में रखे गए स्टाक, जो कि भंडार में हैं और केन्द्रीय भण्डारण निगमों/राज्य भंडारण निगमों के पास हैं। ऐसे मामलों में, संबंधित पक्षों / एजेंसियों से प्राप्त प्रमाण पत्रों पर भरोसा किया जाता है।
(घ) हमने स्टॉक रिकॉर्ड के रखरखाव में कुछ कमियां देखी हैं। क्योंकि कुछ शाखाओं में डब्ल्यूएचआर / स्टॉक रिकॉर्डो का अद्यतन नहीं किया गया था / उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किए गये थे। हमारे अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, मालसूची रिकॉर्ड के रखरखाव पर नियंत्रण को और मजबूत करने की आवश्यकता है। (अनुसूची 15ख - टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरणों की टिप्पणी 12 देखें) ।	अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
(ङ) संघ के पक्ष में 9.04 करोड़ रूपये (विगत वर्ष में 0.18 करोड़ रुपये) की संपत्तियों का स्वत्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।	अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
(च) संघ ने 2407.11 करोड़ रुपये के बकाय ऋणों के लिए ऋणदाता बैंकों के साथ 'एकबारगी निपटान करार किया है जिसमें दिनांक 27.03.2018 के कारार के माध्यम से मेगा मॉल, अंधेरी, मुंबई में चूककर्ता पार्टी की संपत्तियों का "जैसा है जहां है"के आधार पर नीलामी अधिकार के हस्तांतरण सहित 478.00 करोड़ रुपये का निपटारा किया गया है।	चूंकि एकबारगी निपटान समझौते के अनुसार सभी अनुपालन किए जा चुके हैं, इसलिए ऋणदाता बैंकों से एनओसी वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त होने की आशा है। तदनुसार, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

लेखा परीक्षक की टिप्पणी	अनुपालन
चूंकि निपटान करार का हिस्सा अभी भी लंबित है, अतः संघ ने लेखा बहियों में इसका प्रभाव नहीं दर्शाया है। इसे उस वर्ष में दर्शाया जाएगा जब संघ ऋणदाता बैंकों से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। यह अंतिम निपटान के वर्ष में संघ की लाभप्रदता पर काफी प्रभाव डाल सकता है । (अनुसूची 15ख - टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरणों की टिप्पणी 14 देखें) ।	
(छ) संघ ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 8 के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं से प्रासंगिक घोषणा के लिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार भुगतानों को वर्गीकृत नहीं किया है। (अनुसूची 15 ख- टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरणों की टिप्पणी 17 देखें) ।	अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
(ज) संघ के करोबार के आकार, प्रचालन एवं प्रकृति के आलोक में आतंरिक लेखा परीक्षा और नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।	अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट	
7. बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002, बहु राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 के अनुसार तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तैयार किये गये हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
8. उपर्युक्त अनुच्छेद 4 एवं 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा सीमाओं के अधीन तथा बहु राज्य समिति अधिनियम 2002 की धारा 73 (4) की अपेक्षानुसार तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी, हम रिपोर्ट करते हैं कि: क) हमें वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हुई जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे ज्ञान व विश्वास के लिए अत्यावश्यक थे एवं उन्हें संतोषजनक पाया है। ख) हमारे अभिमत में संघ ने अभी तक विधिक अपेक्षानुसार उचित लेखा बहियां रखी हैं, जैसा कि उन बहियों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है। ग) इस रिपोर्ट में दर्शाया गया तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं। घ) योग्य अभिमत के लिए आधार अनुच्छेद में उल्लिखित विषय को छोड़कर, तुलन पत्र, लाभ व हानि एवं नकदी प्रवाह विवरण जब तक कि अन्यथा न कहा जाए, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं (S.K.VERMA) ADDL MANAGING DIRECTOR (F & A)

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र

	अनुसूची संख्या	AS AT 31-03-2023		AS AT 31-03-2022	
		₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
निधियों का स्रोत					
शेयरधारक निधि					
अंश पूंजी	1	4,306.20		4,101.60	
अंश आवेदन राशि		11.76		17.27	
आरक्षित एवं अधिशेष निधि	2	74,027.45		69,540.60	
लाभ/(हानि) खाता	3	(16,985.89)	61,359.52	(37,842.12)	35,817.35
ऋण निधि					
सुरक्षित ऋण	4		2,839,100.31		2,005,930.49
			2,900,459.83		**2,041,747.84**
आवेदन निधि					
अचल परिसंपत्ति	5	31,190.61		32,131.96	
प्रगतिशील निर्माण कार्य	6	720.23		1,399.39	
निवेश (निवल प्रावधान)	7	3,952.47	35,863.31	6,866.37	40,397.72
निवल चल परिसंपत्ति					
चल परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम	8	3,992,986.64		3,349,785.56	
घटा:					
वर्तमान देयताएं और प्रावधानों	9	(1,152,077.94)	2,840,908.70	(1,371,151.46)	1,978,634.10
स्थगित परिसंपत्ति कर (निवल)			23,687.82		22,716.02
			2,900,459.83		**2,041,747.84**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय वि विवरणों पर टिप्पणी	15				

(S K VERMA)
ADDL. MANAGING DIRECTOR (F & A)

(RITESH CHAUHAN)
MANAGING DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR SATISH K. KAPOOR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-016222N
(CA SATISH KUMAR KAPOOR)
PARTNER
M NO 094823

FOR HDSG & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-002871N
(CA HARBIR SINGH GULATI)
PARTNER
M NO 084071

FOR DASS GUPTA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-000112N
(CA ASHOK KUMAR JAIN)
PARTNER
M NO 090563

PLACE : NEW DELHI
DATE : 22·07·2023

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

	अनुसूची संख्या	31-03-2023 तक		31-03-2022 तक	
		₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
आय / बिक्री					
क) निर्यात		5,514.54		40,694.80	
ख) घरेलू		2,134,944.05		1,934,527.60	
ग) कृषि मशीनरी और औजार		-	2,140,458.59	-	1,975,222.40
घ) पीएसएस/विविध के रख-रखाव पर भारत सरकार से वसूली योग्य घाटे (ब्याज और बैंक प्रभार रहित) की प्रतिपूर्ति			401,973.94		48,913.16
ड) पीएसएफ के रख-रखाव पर एसएफएसी से वसूली योग्य घाटे (ब्याज और बैंक प्रभार रहित) की प्रतिपूर्ति			136,264.84		139,804.87
पुनर्मूल्यांकन की गई अपलिखित राशि पर मूल्यह्रास			302.43		323.01
अन्य आय	10		42,295.89		28,825.82
संयुक्त उद्यम पर लाभ और हानि			28.96		
भंडार व्यापार में वृद्धि/(कमी)					
अंतिम स्टॉक		1,697,607.46		1,269,832.97	
घटा: प्रारंभिक स्टॉक		1,269,832.97	427,774.49	1,332,228.48	(62,395.51)
कुल			**3,149,099.14**		**2,130,693.75**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2023 को समाप्त वर्ष			31.03.2022 को समाप्त वर्ष		
		₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
व्यय							
क्रय			2,669,017.85			1,920,491.75	
बिक्री कर व्यय			-			630.12	
पीएसएस क्रय हेतु नकद उधार सीमा लाभ उठाने पर बैंक देय ब्याज		218,986.68				-	
सरकारी संचालन पर बैंक प्रभार		8.07	218,994.75			-	
उत्पादन और व्यापार व्यय	11		161,266.85			129,644.47	
विक्रय और वितरण	12		57,013.78			46,333.69	
कर्मचारी पारिश्रमिक व लाभ	13		5,875.01			5,792.72	
प्रशासनिक व्यय	14		2,161.28			2,682.30	
बैंक और अन्य को देय ब्याज		-			165,663.85		
घटा : भारत सरकार के खाते से स्थानांरित पीएसएस/एमआईएस संचालन पर प्रतिपूर्ति योग्य ब्याज		-	-		165,588.27	75.58	
बैंक प्रभार		5.26			9.66		
घटा : सरकारी संचालन पर बैंक प्रभार		-	5.26	3,114,334.77	4.94	4.72	2,105,655.34
मूल्यहास (भूमि परिशोधन सहित)				857.13			923.28
कुल				**3,115,191.91**			**2,106,578.63**
संचालन लाभ / (हानि)				33,907.25			24,115.13
अपलिखित अतिरिक्त प्रावधान			166.50			43.50	
घटा : सरकारी संचालन के खाते पर			-	166.50		-	43.50
पूर्व अवधि समायोजन (निवल)							
i) पिछले वर्ष से संबंधित आय			2,648.03			4.65	
ii) पिछले वर्ष से संबंधित व्यय			(2,536.03)	112.00		(37.78)	(33.13)
कर पूर्व लाभ / (हानि)				34,185.76			24,125.50
कर के लिए प्रावधान							
आयकर के लिए प्रावधान			8,643.13			6,071.11	
आयकर व्यय-पिछले वर्ष			63.05			(4,080.49)	
आस्थगित कर व्यय			(971.80)	7,734.37		8,207.72	10,198.34
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)				26,451.38			13,927.16

(S K VERMA)
ADDL. MANAGING DIRECTOR (F & A)

(RITESH CHAUHAN)
MANAGING DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR SATISH K. KAPOOR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-016222N
(CA SATISH KUMAR KAPOOR)
PARTNER
M NO 094823

FOR HDSG & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-002871N
(CA HARBIR SINGH GULATI)
PARTNER
M NO.084071

FOR DASS GUPTA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-000112N
(CA ASHOK KUMAR JAIN)
PARTNER
M NO.090563

PLACE : NEW DELHI
DATE : 22.07.2023

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची - 1 : अंश पूंजी

विवरण	31-03-2023 तक ₹ लाख में	31-03-2022 तक ₹ लाख में
अधिकृत पूंजी :		
25000/-रु.प्रत्येक के 30000 शेयर (पिछले वर्ष 30000)	7,500.00	7,500.00
5000/-रु. प्रत्येक के 34 शेयर (पिछले वर्ष 34)	1.70	1.70
2500/-रु. प्रत्येक के 100000 शेयर (पिछले वर्ष 100000)	2,500.00	2,500.00
1000/- रु. प्रत्येक के 1721 शेयर (पिछले वर्ष 1721)	17.21	17.21
	10,018.91	**10,018.91**
जारी, सदस्यता और चुकता पूंजी:		
25000/-रु. प्रत्येक के 9468 शेयर (पिछले वर्ष 9308)	2,367.00	2,327.00
5000/-रु. प्रत्येक के 34 शेयर (पिछले वर्ष 34)	1.70	1.70
2500/-रु. प्रत्येक के 76454 शेयर (पिछले वर्ष 70230)	1,920.35	1,755.75
1000/-रु. प्रत्येक के 1715 शेयर (पिछले वर्ष 1715)	17.15	17.15
	4,306.20	**4,101.60**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची - 2 : आरक्षित और अधिशेष निधि

विवरण	31-03-2022 तक ₹ लाख में	वर्ष के दौरान आवंटन /वृद्धि ₹ लाख में	वर्ष के दौरान अंतरण/ समायोजन ₹ लाख में	31-03-2023 तक ₹ लाख में
सामान्य आरक्षित निधि	26,843.00	3,481.79	-	30,324.79
शिक्षा निधि	-	139.27	139.27	-
आकस्मिक निधि	10,621.58	-	-	10,621.58
कीमत अस्थिरता निधि (साधारण)	1,653.92	-	-	1,653.92
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि	24,003.29	-	389.20	23,614.09
लाभांश समकारी निधि	1.59	581.36	579.82	3.13
आरक्षित निधि	6,417.22	1,392.72	-	7,809.94
	69,540.60	**5,595.14**	**1,108.29**	**74,027.45**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची - 3 : लाभ/(हानि) खाता

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में		31.03.2022 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में	
आगे लाया गया लाभ/(हानि)		(37,842.12)		(42,558.93)
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		26,451.38		13,927.16
		(11,390.74)		(28,631.77)
घटा: दिनांक 30.09.2022 की सामान्य निकाय की बैठक के निर्णय के अनुसार विनियोजित				
सामान्य आरक्षित निधि	3,481.79		6,098.68	
शिक्षा निधि	139.27		243.95	
सुरक्षित निधि	1,392.72		2,439.47	
लाभांश समकारी निधि	581.36	5,595.14	428.25	9,210.34
		(16,985.89)		(37,842.12)

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची - 4 : प्रतिभूति ऋण

विवरण	31-03-2023 तक		31-03-2022 तक	
	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
क. नकद क्रेडिट				
(पीएसएस स्टॉक और सरकारी गारंटी के हाइपोथेकेशन के खिलाफ सुरक्षित)				
i) भारतीय स्टेट बैंक	1,279,265.27		959,461.52	
ii) पंजाब नैशनल बैंक	240,185.99		178,337.58	
iii) पंजाब एंड सिंध बैंक	215,068.37		153,438.85	
iv) केनरा बैंक	464,047.29		314,207.59	
v) आंध्रा बैंक	88,338.67		14,418.67	
vi) इलाहाबाद बैंक	77,512.26		34,957.96	
vii) बैंक ऑफ बड़ौदा	233,971.65	**2,598,389.50**	110,397.49	**1,765,219.66**
ख. ओटीएस के अधीन बैंकों से ऋण				
(ओटीएस के दिनांक 27.03.2018 के समझौते के अनुसार दी गई प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित				
i) फेडरल बैंक	16,901.40		16,901.40	
ii) पंजाब नैशनल बैंक	20,928.64		20,928.64	
iii) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	32,704.57		32,704.57	
iv) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	16,088.56		16,088.56	
v) साउथ इंडियन बैंक	13,890.48		13,890.48	
vi) बैंक ऑफ महाराष्ट्र	24,611.69		24,611.69	
vii) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	13,801.46		13,801.46	
viii) सिंडिकेट बैंक	8,722.05		8,722.05	
ix) अर्जित ब्याज	93,061.98	**240,710.83**	93,061.98	**240,710.83**
कुल (क + ख)		**2,839,100.33**		**2,005,930.49**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची -5 31.03.2023 तक अचल संपत्ति

मूल्य ₹ लाख में

क्र.सं.	परिसंपत्ति का विवरण	सकल खंड				मूल्यह्रास				निवल खंड	
		01.04.2022 तक मूल लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	वर्ष के दौरान कमी/ समायोजन	31.03.2023 तक सकल खंड	31.03.2022 तक मूल्यह्रास का संचयन	संचित मूल्यह्रास का समायोजन	वर्ष 2022-23 का मूल्यह्रास	31.03.2023 तक मूल्यह्रास	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	भूमि	28,583.58	-	4.03	28,579.54	2,941.22	-	182.71	3,123.94	25,455.61	25,642.35
2	भवन										
	क) कारखाना	336.14	-	-	336.14	268.73	-	6.74	275.47	60.67	67.41
	ख) कार्यालय	8,597.88	0.00	86.77	8,511.11	4,225.65	-	397.12	4,622.77	3,888.34	4,372.23
	ग) गोदाम	1,334.54	-	-	1,334.54	904.31	-	43.02	947.33	387.21	430.24
	घ) अन्य	400.76	-	-	400.76	178.37	-	11.34	189.70	211.06	222.40
	ड.(अस्थायी संरचना	325.31	-	-	325.31	260.19	-	26.05	286.24	39.07	65.12
	कुल (क से ड)	10,994.64	0.00	86.77	10,907.86	5,837.24	-	484.27	6,321.51	4,586.36	5,157.39
3	फर्नीचर और फिक्स्चर	1,017.71	3.82	29.10	992.43	290.34	(17.73)	73.11	345.72	646.71	727.37
									-		
4	संयंत्र और मशीनरी	587.73	2.18	273.20	316.71	511.08	(243.16)	11.48	279.40	37.31	76.65
5	बिजली के उपकरण	675.43	34.78	26.63	683.58	383.81	(23.93)	49.04	408.92	274.66	281.50
6	अन्य उपकरण	623.54	10.32	5.23	628.63	505.21	(4.82)	38.83	539.23	89.40	128.46
7	कार्यालय उपकरण	4.30	-	0.26	4.04	3.80	(0.27)	0.02	3.56	0.48	0.49
8	वाहन	182.69	0.00	-	182.69	64.94	(0.00)	17.66	82.61	100.08	117.74
	कुल (4 से 8)	2,073.69	47.28	305.32	1,815.65	1,468.85	(272.17)	117.03	1,313.72	501.94	604.84
	इस वर्ष कुल	42,669.61	51.10	425.22	42,295.49	10,537.65	(289.90)	857.13	11,104.88	31,190.61	32,131.96
	पिछले वर्ष का कुल	41,147.08	1,582.55	60.02	42,669.61	9,670.45	(56.07)	923.28	10,537.65	32,131.96	31,476.63

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची - 6 :प्रगतिशील निर्माण कार्य

विवरण	31-03-2023 तक ₹ लाख में	31-03-2022 तक ₹ लाख में
प्रारंभिक शेष	1,399.39	2,254.92
वर्ष के दौरान जमा	-	-
	1,399.39	2,254.92
वर्ष के दौरान समायोजन	679.15	855.53
	720.23	1,399.39

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची - 7 : निवेश (पृष्ठ 1 का 3)

विवरण	31-03-2023 तक		31-03-2022 तक	
	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
लागत पर निवेश (अकथित)				
क. सहकारी समितियों में				
दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली के 50/-रू. प्रति शेयर के 100 पूर्णत: प्रदत्त शेयर		0.05		0.05
भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति, लिमिटेड, नई दिल्ली के 100000/- रुपये मूल्य के 199 पूर्ण भुगतान शेयर।		199.00		199.00
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉप, लिमिटेड, नई दिल्ली के 1000/- रुपये मूल्य के 30 पूर्ण प्रदत्त शेयर।		0.30		0.30
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, दिल्ली के 10000/-रू. प्रति मूल्य के 07 पूर्णत: प्रदत्त शेयर		0.70		0.70
राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के 2000/-रु. मूल्य शेयर के 1000 पूर्ण प्रदत्त शेयर।		20.00		20.00
श्रीगंगानगर कपास बीज प्रसंस्करण सहकारी समिति लिमिटेड, श्रीगंगानगर के 20000/- रु प्रति मूल्य के 25 पूर्ण प्रदत्त शेयर।		5.00		5.00
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई का 1000/- रुपये का पूर्ण प्रदत्त शेयर		0.01		0.01
राजस्थान राज्य सहकारी भवन प्रबंध सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर का 1000/- रु. मूल्य का पूर्ण प्रदत्त शेयर		0.01		0.01
इंडियन टूरिज्म कोऑपरेटिव लिमिटेड, (COOPTOUR), नई दिल्ली के 5000/- रुपये मूल्य के 276 पूर्ण प्रदत्त शेयर।	13.80		13.80	
घटा: हानि	13.80	-	13.80	-
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के 10,000/- रुपये मूल्य के 50 पूर्ण प्रदत्त शेयर,		5.00		5.00

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची - 7 : निवेश (पृष्ठ 2 का 3)

विवरण	31-03-2023 तक		31-03-2022 तक	
	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, नई दिल्ली का 25,000/- रुपये का 1 पूर्ण प्रदत्त शेयर।		0.25		0.25
ट्राइफेड, नई दिल्ली के प्रत्येक रु. 100000/- मूल्य के 05 पूर्ण प्रदत्त शेयर		5.00		5.00
कृभको, नोएडा के प्रत्येक 100000/- रुपये के 305 पूर्ण प्रदत्त शेयर		305.00		305.00
कृभको, नोएडा के 10,000/- रुपये मूल्य के 04 पूर्णतः प्रदत्त शेयर		0.40		0.40
कृभको, नोएडा के 25,000/- रुपये मूल्य के 02 पूर्ण प्रदत्त शेयर		0.50		0.50
नेशनल कॉप कंज्यूमर्स फेड ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के 2000/- रुपये मूल्य के 9000 पूर्ण प्रदत्त शेयर		180.00		180.00
नागालैंड राज्य सहकारी समिति के 50/- रुपये मूल्य के 100 पूर्ण प्रदत्त शेयर		0.05		0.05
राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के 2000/- रुपये मूल्य के 5000 पूर्ण प्रदत्त शेयर		100.00		100.00
भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के 10000/- रुपये पूर्ण प्रदत्त शेयर		100.00		-
राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के 10000/- रुपये के पूर्ण प्रदत्त शेयर		100.00		-
राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के 10000/- रुपये के पूर्ण प्रदत्त शेयर		100.00		-
कुल : (क)		**1,121.27**		**821.27**

ख. कंपनियों में				
कोणार्क जूट लिमिटेड, भुवनेश्वर के 10/- रुपये प्रत्येक के 1000000 शेयर	100.00		100.00	
घटा: हानि	100.00	-	100.00	-
नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड के 10/- रुपये प्रत्येक के 100 शेयर	0.01		0.01	
घटा: हानि	0.01	-	0.01	-
लदाक फूड लिमिटेड, नई दिल्ली के 100000 रुपये प्रति शेयर के पूर्ण प्रदत्त शेयर।	10.00		10.00	
घटा: हानि	10.00	-	10.00	-
नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, अहमदाबाद के 10/- रुपये प्रति शेयर के 500000 पूर्ण प्रदत्त शेयर।	50.00		50.00	
घटा: हानि	50.00	-	50.00	-
अधिकार निर्गम के एवज में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, अहमदाबाद के 5 रुपये के प्रीमियम पर 10/- रुपये प्रति शेयर के 250000 पूर्ण प्रदत्त शेयर	37.50		37.50	
घटा: हानि	37.50	-	37.50	-
एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के 10/- रुपये के 200000 पूर्ण भुगतान शेयर	20.00		20.00	
घटा: हानि	20.00	-	20.00	-
फीफा, नई दिल्ली के 10/- रुपये प्रति शेयर के 10,000 पूर्ण प्रदत्त शेयर		1.00		1.00
कुल : (ख)		**1.00**		**1.00**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची - 7 : निवेश (पृष्ठ 3 का 3)

PARTICULARS	31-03-2023 तक		31-03-2022 तक	
	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
ग. अन्य				
लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम, नई दिल्ली		20.00		20.00
8.50% लखनऊ नगरपालिका बांड		1,286.10		4,500.00
7.73% भारतीय स्टेट बैंक के लिए स्थाई बांड		509.93		509.93
8.60% पंजाब नैशनल बैंक के लिए स्थाई बांड		501.65		501.65
7.97% आरएफसी के लिए स्थाई बांड		512.52		512.52
कुल (ग)		**2,830.20**		**6,044.10**
कुल (क+ख+ग)		**3,952.47**		**6,866.37**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची - 8 : वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम (पृष्ठ 1 का 2)

विवरण	31-03-2023 तक			31-03-2022 तक		
	लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
क) वर्तमान परिसंपत्ति						
मालसूची						
(प्रबंधन द्वारा जैसा लिया, मूल्य लगाया और प्रमाणित किया)						
i) मूल्य सहायता योजना/मूल्य स स्थिरीकरण निधि के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से दी गई वस्तुएं		1,685,748.58			1,251,359.94	
ii) अन्य जिंस		11,858.87	1,697,607.45		18,473.02	1,269,832.96
पैकिंग सामग्री			116.78			32.14
उपभोग्य स्टोर और हाथ में स्पेयर			-			0.09
संयुक्त उद्यम में निवेश			1.47			
विविध देनदार (असुरक्षित)						
i) छह माह से अधिक ऋण:						
समझे अच्छे	48,630.79			41,243.57		
समझे संदिग्ध	2,946.30			2,542.35		
	51,577.09			43,785.92		
घटा: प्रावधान	2,946.30	48,630.79		2,542.35	41,243.57	
ii) अन्य कर्ज		109,881.01	158,511.80		214,043.05	255,286.62
iii) प्राप्य सब्सिडी			15,135.76			18,006.98
iv) भारत सरकार से प्राप्य राशि पर एसी का एमआईएस/पीएसएस संचालन(निवल)						
पीएसएस/एमआईएस के अंतर्गत वस्तुओं के रख-रखाव में घाटे पर भारत सरकार से प्राप्त राशि		2,933,988.06			2,533,368.40	
घटा: पीएसएस/एमआईएस सञ्चालन को बनाये रखने हेतु भारत सरकार से प्राप्त राशि		1,598,986.79	1,335,001.27		1,198,286.79	1,335,081.61

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची - 8 : वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम (पृष्ठ 2 का 2)

विवरण	31-03-2023 तक			31-03-2022 तक		
	लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
नकद और बैंक शेष राशि						
i) नकदी राशि		4.32			4.05	
ii) हाथ में चेक/पारगमन में प्रेषण		120.43			14,626.43	
iii) सावधि जमा		15,322.64			4,201.53	
iv) अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीय बैंकों में चालू और बचत खाता		532,165.95	547,613.34		158,617.22	177,449.22
ख) ऋण और अग्रिम						
नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए अग्रिम वसूली योग्य (जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, अच्छा माना जाएगा)						
कर्मचारियों को अग्रिम:						
i) आवासीय मकानों और वाहनों को उपप्राधीयन से सुरक्षित किया गया	0.04			0.48		
ii) अन्य अग्रिम (कर्मचारी)	33.15	33.19		45.03	45.51	
वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए अग्रिम	27,657.27			52,850.37		
घटा: संदिग्ध वसूली के प्रावधान	-	27,657.27		-	52,850.37	
दावा और अन्य वसूलीयोग्य	105,556.45			133,540.77		
प्रतिभूति और अन्य जमा	2,155.62			4,038.13		
	107,712.07			137,578.90		
घटा : संदिग्ध समझी	182.27	107,529.80		182.27	137,396.62	
व्यापारिक समझौते के लिए अग्रिम		101,510.09			101,510.09	
अन्य अग्रिम (अग्रिम कर सहित)		1,766.41			1,784.12	
अचल परिसंपत्ति हेतु पूंजीगत अग्रिम		485.10			485.10	
पूर्वदत्त व्यय		16.92	238,998.77		24.12	294,095.93
			3,992,986.64			**3,349,785.56**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची - 9 : वर्तमान देयताएं और प्रावधान

विवरण		31-03-2023 तक ₹ लाख में		31-03-2022 तक ₹ लाख में
विविध लेनदार		340,236.40		408,412.88
प्रतिभूति जमा		24,446.22		23,121.87
आपूर्ति के लिए अग्रिम		130,374.70		70,497.58
अर्जित ब्याज		1.12		1.13
अन्य देयताएं (सदस्यों को देय छूट सहित)		175,179.56		202,330.31
अग्रिम में प्राप्त पूंजीगत अनुदान		105.68		105.68
अग्रिम में मिलने वाली सब्सिडी		861.22		1,860.22
एसएएफएसी के माध्यम से मूल्य स्थिरीकरण निधि के तहत दालों और प्याज की खरीद के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त राशि		469,859.25		658,070.20
<u>प्रावधान</u>				
आय कर	8,643.12		6,071.11	
विविध प्रावधान	2,370.67	11,013.79	680.47	6,751.59
		1,152,077.94		**1,371,151.46**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची - 10 : अन्य आय

ववरण	31-03-2023 को समापृ्त वर्ष		31-03-2022 को समापृ्त वर्ष	
	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
सेवा प्रभार				14,828.66
i) वाणिज्यिक परिचालन पर सेवा शुल्क	1,645.95			
ii) पीएसएस परिचालन पर सेवा शुल्क	20,602.94			
iii) पीएसएफ परिचालन पर सेवा शुल्क	2,754.83	25,003.72		
प्राप्त प्रसंस्करण प्रभार		614.89		-
दर्ज दावा		4,666.93		1,451.19
पीएसएस संचालन के लिए भारत सरकार की ओर से प्राप्त ब्याज	145.25			
पीएसएफ संचालन के लिए भारत सरकार की ओर से प्राप्त ब्याज	565.32	710.57		
वाणिज्यिक संचालन की ओर से प्राप्त ब्याज				
i) सावधि जमा	295.54		2,216.37	
ii) अन्य गतिविधियाँ	7,213.10		6,721.86	
	7,508.64		8,938.23	
घटा: पीएसएस ऑपरेशन के लिए भारत सरकार की ओर से प्राप्त	-		225.10	
घटा: पीएसएफ ऑपरेशन-एसएफएसी के लिए भारत सरकार की ओर से प्राप्त	-	7,508.64	989.20	7,723.93
लाभांश पर निवेश		101.33		101.33
अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ/(हानि)		28.40		0.08
निवेश प्रवेश शुल्क की बिक्री पर लाभ/(हानि)		19.74		90.35
प्रवेश शुल्क		0.17		0.34
अन्य प्राप्तियां (बट्टे खाते में डाले गए दावाहीन क्रेडिट सहित)		3,641.50		4,629.95
		42,295.89		28,825.83

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची - 11 : उत्पादन और व्यापार व्यय

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
	₹ लाख में	₹ लाख में
वर्कशॉप और कारखाना आपूर्ति	-	0.02
संयंत्र रखरखाव	0.66	0.00
ऊर्जा और ईंधन प्रभार	6.24	5.97
प्रसंस्करण प्रभार	12,972.99	3,140.88
अन्य खरीद व्यय	56,737.83	30,205.79
परिवहन और ढुलाई	11,805.77	26,036.61
पारगमन बीमा	(6.67)	7.98
चुंगी	1.52	0.51
लाइसेंस शुल्क	5.76	7.97
ग्रेडिंग और मानकीकरण व्यय	13,395.37	11,149.56
गोदाम किराया, भंडारण और धूनी व्यय	61,213.89	50,002.78
पीएसएस पर एसएलए को भुगतान किए गए व्यय ब्याज	6.27	-
पीएसएस के संचालन प्रमाणन शुल्क	9.05	-
पीएसएफ संचालन समवर्ती लेखा परीक्षा शुल्क-पीएसएस	5.71	-
श्रम प्रभार	5,182.86	7,685.35
खरीज दावा	(70.40)	1,401.05
	161,266.85	**129,644.47**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची - 12 : क्रय और वितरण व्यय

ववरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष		31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
पैकिंग और अग्रेषण				
प्रारंभिक स्टॉक	32.14		32.42	
जमा: क्रय	30,006.05		24,589.39	
	30,038.19		24,621.81	
घटा: अंतिम स्टॉक	116.78	29,921.41	32.14	24,589.67
परिवहन और ढुलाई		14,312.59		8,638.87
सर्वे और पर्यवेक्षण		455.35		243.32
गोदाम बीमा		5,906.68		5,825.22
ब्रोकरेज और कमीशन		471.95		429.77
नमूना व्यय		1.35		6.08
विज्ञापन और प्रचार		54.95		81.16
अन्य बिक्री व्यय		5,456.46		5,623.99
अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		441.27		962.71
विनिमय में अंतर		(8.24)		(67.10)
		57,013.78		46,333.69

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची - 13 : कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
	₹ लाख में	₹ लाख में
वेतन	4,654.01	4,875.06
बोनस	2.29	4.14
अनुग्रह राशि	133.89	223.73
अवकाश नकदीकरण व्यय	164.60	-
ईएसआई / चिकित्सा प्रभार	40.96	57.60
भविष्य निधि में अंशदान	446.61	378.09
कर्मचारी कल्याण व्यय	49.67	54.09
मृत्यु मुआवज़ा व्यय	-	40.00
जमा लिंक्ड बीमा	17.92	16.57
समूह बीमा योजना	0.60	0.65
हितकारी निधि में अंशदान	2.98	3.04
कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	7.11	1.85
उपहार (ग्रेच्यूटी)	354.36	137.90
	5,875.01	**5,792.72**

SATISH K. KAPOOR & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची - 14 : प्रशासनिक व्यय

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में	31-03-2022 को समाप्त वर्ष ₹ लाख में
किराया, दर और कर	205.66	223.72
बिजली और पानी	172.89	144.19
सामान्य बीमा	13.63	86.23
टेलीफ़ोन और टेलेक्स व्यय	19.03	20.46
डाक और तार	11.69	10.49
मुद्रण और लेखन सामग्री	39.41	38.20
समाचार पत्र और पत्रिकाओं	1.82	1.85
बकाया और सदस्यता शुल्क	16.45	9.64
सामान्य निकाय/निदेशक बैठक व्यय	204.58	132.88
यात्रा व्यय निदेशक	160.42	62.27
यात्रा व्यय अन्य	324.28	277.16
निगरानी व्यय	190.46	503.26
सामान्य प्रभार	211.68	202.60
वाहन रखरखाव	40.31	40.48
मरम्मत एवं नवीकरण	73.92	83.65
डेटा प्रसंस्करण प्रभार	29.37	17.69
पेशेवर - सलाहकार शुल्क	150.62	439.70
पेशेवर-कानूनी शुल्क	74.50	102.82
अंकेक्षण शुल्क (शामिल कर अंकेक्षण फीस)	27.00	36.00
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	13.21	10.99
अतिथिगृह रखरखाव	0.92	3.06
दान	-	110.00
कर्मचारी भर्ती व्यय	4.75	3.73
मनोरंजन	35.57	34.54
हानि	-	-
सम्मेलन और सेमिनार	28.18	1.94
ब्याज/ दंड पर टीडीएस /जीएसटी	13.96	5.87
बट्टे खाते में डाली गई अचल परिसंपत्ति	(0.00)	-
कर माँग और अपील प्रभार	28.20	-
व्यापार पदोन्नति व्यय	68.77	78.88
	2,161.28	2,682.30

अनुसूची- 15
वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणी

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. <u>वित्तीय विवरण को तैयार करने का आधार</u>

क. भूमि और भवन के अतिरिक्त वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत करार के तहत तैयार किए जाते हैं, जिनका यथासमय और निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

ख. लेखांकन नीतियां जिन्हें विशेष रूप से अन्यथा संदर्भित नहीं किया गया है, वे सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, भारतीय सनदी संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों और बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

2. <u>अनुमानों का उपयोग:</u>

आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को आंकलन और परिकल्पना करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि और रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के दौरान परिसंपत्तियाँ और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों और आकस्मिक देनदारियाँ के प्रकटीकरण तथा संचालनों के परिणामों को प्रभावित करती है। हालांकि ये प्रबंधन के वर्तमान प्रकरणों और कार्यों के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित है, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

3. <u>राजस्व/व्यय की पहचान:</u>

क) संघ लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का अनुपालन करते हुये निम्नलिखित के अलावा आय और व्यय को संचय के आधार पर स्वीकृत करता है: -

i) कर्मचारियों के अनुग्रह राशि/बकाया को भुगतान के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है,

ii) कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम राशियों पर ब्याज को मूलधन की पूर्ण वसूली के पश्चात नकद आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। ग्राहकों से विलंबित भुगतान को वसूली में शामिल किया जाता है।

iii) प्रत्येक मामले में 5,000/- से कम के पूर्व अवधि की आय/ व्यय को उस वर्ष में अंकित किया जाता है जिसमें आय/व्यय हुआ हो।

iv) किसी भी रूप में निर्यातों पर होने वाले लाभों की गणना बोध होने पर की जाती है।

v) अंतिम बढ़ने के कारण मूल्यांकन/अधिनिर्णय के पूरा होने पर उत्पन्न होने वाले करों/शुल्कों हेतु देयताओं की गणना की जाती है।

vi) प्रत्येक मामले में, 5000/- रुपये से कम के पूर्वदत्त व्यय को उसी वर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है, जिसमें वह हुआ हो।

vii) सरकारी योजनाओं अर्थात पीएसएस/पीएसएफ/किसी अन्य स्कीमों के अंतर्गत व्यय संघ द्वारा भुगतान वर्ष में दावा नहीं किया गया है, जिसका लेखा-जोखा उस वर्ष में किया जाता है जिसमें इनका दावा किया जाता है, निपटाया जाता है/भुगतान किया जाता है।

ख) देयताओं हेतु प्रावधान किया गया है, लेकिन तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित दावों को मेरिट के आधार पर बट्टे खाते में डाला जाता है।

SATISH K. KAPOOR & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

4. निवेश:

शेयरों/बॉन्डस में दीर्घकालिक निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। निवेशों के मूल्य में कोई स्थायी कमी प्रदान की जा रही है।

5. अचल संपत्ति और मूल्यह्रास

क) अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत (सब्सिडी को समायोजित करने के बाद, यदि कोई हो) पर वर्णित किया गया है, जिसमें गैर-वापसी योग्य शुल्क और कर (जीएसटी आदि सहित), माल ढुलाई, आकस्मिक व्यय और निर्माण/कमीशनिंग व्यय शामिल हैं। परिसंपत्ति की समयसीमा के दौरान किया गया कोई भी पुनर्मूल्यांकन परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में जोड़ा जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है।

ख) पट्टा धारित भूमि के अलावा, जिसका मूल्य पट्टा समय अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर आनुपातिक मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में डेबिट किया जाता है।

6. सहकारी सदस्य समितियों के साथ संयुक्त उद्यम

सहकारी सदस्य समितियों और अन्य के साथ संयुक्त उद्यम पर लाभ/हानि का लेखा-जोखा, विधिवत लेखापरीक्षित और सह-उद्यमकर्ताओं से प्राप्त खातों के वार्षिक विवरण के आधार पर किया जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेनदेन

i) प्रारंभ में, विदेशी मुद्रा लेनदेनों को लेनदेन की तारीख पर स्पॉट दर पर स्वीकृत किया जाता है।

ii) वर्ष समाप्ति में अस्थिर रहने वाली विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्ष समाप्ति की दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

iii) विदेशी मुद्रा में अंकित परिसंपत्तियों और देनदारियों के परिवर्तन में उत्पन्न होने वाले विनिमय संबंधी अंतरों को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

8. वस्तु-सूची का मूल्यांकन:

माल भेजने वाले और केंद्रीय भंडारण निगमों/राज्य भंडारण निगमों के पारगमन वाले स्टॉक को छोड़कर, रिकॉर्ड के अनुसार स्टॉक के आधार पर अंतिम मालसूची ली जाती है। ऐसे मामलों में, संबंधित पार्टियों/एजेंसियों से प्राप्त प्रमाणपत्रों पर विश्वास किया जाता है।

क) अंतिम मालसूची का मूल्यांकन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है:

i.	कृषि वस्तुएँ एवं तैयार माल (बैगों सहित)	वार्षिक भारित औसत लागत या बाजार/वसूली योग्य मूल्य पर, जो भी कम हो(संबंधित स्थानों/शाखाओं पर जहां स्टॉक रखे जाते है)
ii.	कच्चा माल,पैकिंग सामग्री और उपभोज्य भंडार	वार्षिक भारित औसत लागत पर
iii.	सतत और निरंतर व्यवस्था के तहत रखे गए स्टॉक	वार्षिक भारित औसत लागत पर
iv.	पारगमन सामान	वार्षिक भारित औसत लागत पर
v.	पी एस एस/पी एस एफ और किसी अन्य योजना के तहत भारत सरकार की और से रखे गए वस्तुओं के संबंध में स्टॉक	संचयी भारित औसत लागत पर
vi.	अनोपयोगी/पुरानी पैकिंग सामग्री	अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर
vii.	उप-उत्पाद/क्षतिग्रस्त भंडार	अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर
viii.	उपभोक्ता(खुदरा)उत्पाद	वार्षिक भारित औसत लागत पर अथवा अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर, जो भी कम हो।

SATISH K. KAPOOR & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

ख) लागत में गोदाम तक किए गए सभी खर्च शामिल हैं।

ग) भौतिक सत्यापन के दौरान कम/अधिक पाए गए भंडारों के मूल्य , पुर्जों, पैकिंग समग्रियों, तैयार माल आदि के मूल्य को खपत/अंतिम स्टॉक के साथ समायोजित किया जाता है।

9. <u>कर-निर्धारण</u>

कर व्यय में चालू और आस्थगित कर शामिल हैं। वर्तमान आयकर को भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है।

आस्थगित आयकर वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखा आय के बीच वर्तमान वर्ष के समयभिन्नता के प्रभाव और पिछले वर्षों / अवधि में परिवर्तन को दर्शाता है। आस्थगित कर को कर दरों और तुलन पत्र की तिथि पर अधिनियमित या सुदृढ़ता अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर मापा जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देनदारियां ऑफसेट हैं, यदि वर्तमान कर देनदारियों हेतु वर्तमान कर परिसंपत्तियों को निर्धारित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य कोई अधिकार मौजूद हो और आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देनदारियां समान शासी कराधान कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हो। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां तक उचित निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके लिए ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसी स्थितियों में जहां संघ ने मूल्यह्रास को अवशोषित कर लिया है या कर घाटे को आगे बढ़ाया है, सभी स्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब पुख्ता सबूतों द्वारा समर्थित आभासी निश्चितता होती है कि ऐसी स्थगित कर परिसंपत्तियों को भविष्य के कर योग्य मुनाफे के खिलाफ प्राप्त किया जा सकता है।

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, संघ गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनः मूल्यांकन करता है। यह गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता देता है कि यह उचित या वस्तुतः निश्चित हो गया है, जैसा भी मामला हो, कि पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जा सकती है।

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है। संघ एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की वहन राशि को इस हद तक लिखता है कि यह अब उचित रूप से निश्चित या वस्तुतः निश्चित नहीं है, जैसा भी मामला हो, कि पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली की जा सकती है। इस तरह के किसी भी राइट-डाउन को इस हद तक उलट दिया जाता है कि यह उचित रूप से निश्चित या वस्तुतः निश्चित हो जाता है, जैसा भी मामला हो, कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। अंतिम मांग उठाए जाने पर मूल्यांकन/न्यायनिर्णयन के पूरा होने पर उत्पन्न होने वाले करों/शुल्कों की देनदारी दर्ज की जाती है।

10. <u>प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ</u>

प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब नेफेड पर पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है; यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को उसके वर्तमान मूल्य से कम नहीं किया जाता है और तुलन पत्र की तारीख पर दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

SATISH K. KAPOOR & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O.S.G. & Associates Chartered Accountants

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

11. कर्मचारी हितलाभ

सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी:

संघ समूह ग्रेच्युटी-सह-जीवन आश्वासन हितलाभों के लिए देयता को कवर करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को देय वार्षिक प्रीमियम एएस -15 के अनुपालन में बीमांकिक आधार पर नेफेड कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी सह जीवन आश्वासन योजना ट्रस्ट में अंशदान कर रहा है। योजना के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों के संबंध में वास्तविक समायोजन पर यदि कोई अतिरिक्त दायित्व है, तो उसका भुगतान किए जाने पर उस दायित्व को लेखाबद्ध किया जाएगा।

परिभाषित अंशदान योजना:

भविष्य निधि और पेंशन अंशदान का लेखा-जोखा संचय के आधार पर किया जाता है।

अवकाश नगदीकरण :

बीमांकिक आधार पर अवकाश नकदीकरण लाभ के संबंध में देयता के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। योजना के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों के संबंध में वास्तविक समायोजन पर यदि कोई अतिरिक्त दायित्व है, तो उसका भुगतान किए जाने पर उसकी गणना की जाती है।

12. मूल्य समर्थन योजना/मूल्य स्थिरीकरण निधि/किसी अन्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से प्रबंधित वस्तुएं

क) संघ की पुस्तकों में संबंधित खाता शीर्षों के अंतर्गत खरीद, बिक्री और किए गए व्यय को लेखाबद्ध किया जाता है और पूंजीगत निवेश पर ब्याज प्रभारित करने के पश्चात् परिणामी अधिशेष/घाटे को लाभ और हानि खाते में डेबिट/जमा करके भारत सरकार से देय/वसूली योग्य माना जाता है।

ख) भारत सरकार की ओर से प्रबंधित वस्तुओं के लिए सेवा प्रभारों के दावों को संबंधित सरकारी योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

ग) रेलवे, बीमा और पार्टियों के पास दर्ज किए गए अन्य दावों का लेखा-जोखा किया जाता है और उस वर्ष में सरकार को सौंप दिया जाता है, जिसमें दावे वास्तव में प्राप्त होते हैं।

(S.K. VERMA)
ADDL. MANAGING DIRECTOR (F & A)

(RITESH CHAUHAN)
MANAGING DIRECTOR

Date:

SATISH K. KAPOOR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
NEW DELHI

H.D.S.G. K. Associates
Chartered Accountants

DASS GUPTA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
NEW DELHI

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित

ख. टिप्पणी और स्पष्टीकरण विवरण

1. आकस्मिक देयताएं:

क) संघ के लिए ऋण के रूप में स्वीकृत दावे 469.06 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष `423.65 करोड़) हैं, जिसमें निम्न शामिल हैं:

i.) पिछले वर्षों के दौरान मेसर्स एलिमेंटा द्वारा निर्यात दायित्वों को पूरा न करने के मुआवजे के लिए दायर मुकदमे के कारण `363.78 करोड़ (पिछले वर्ष `328.14 करोड़) रूपये।

पार्टी को आपूर्ति अनुबंध पूरा न कर पाने से संबंधित मेसर्स अलीमेंटा एसए जेनेवा के साथ एक वाणिज्यिक विवाद में, पार्टी ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें नेफेड को 58,20,000 अमेरिकी डॉलर और ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा गया है। इस राशि पर नेफेड द्वारा गणना की गई ब्याज देयता 3,84,25,902 अमेरिकी डॉलर बनती है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार लागू विनिमय दर पर परिवर्तित करने के बाद कुल देयता 4,42,45,902 अमेरिकी डॉलर बनती है, जो 363.78 करोड़ रुपये के बराबर है। इस फैसले को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। विशेषज्ञ कानूनी सलाह के आधार पर, संघ विवादित मामले पर विचार करता है, जिसका फैसला नेफेड के पक्ष में होने की संभावना है, क्योंकि इसने अपने बही-खातों में दायित्व का प्रावधान नहीं किया है, लेकिन इसे एक आकस्मिक दायित्व माना है।

ख) आयकर मांगों के कारण 129.41 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 117.38 करोड़ रुपए) की अनुमानित देयता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मूल्यांकन वर्ष	बढ़ी हुई मांग	देय रिफंड/31.03.2023 तक देय राशि से समायोजित मांग	अपील स्थिति	टिप्पणी
1.	1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95	0.14 1.79 1.18 4.86 0.79 3.31 4.56 3.86 9.27 29.76	0.14 1.79 1.18 4.86 0.79 3.31 4.56 3.86 9.27 29.76	उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय	प्राधिकरण ने पूर्वव्यापी संशोधन यू/एस 80पी 2ए के मद्देनजर एओ द्वारा दायर आवेदन पर अपने पहले के आदेश में सुधार किया है। (iii). पर्याप्त आधारों पर राहत का दावा करने के लिए अपील दायर की गई।
2.	2001-02 & 2002-03	2.40	2.40	उच्चतम न्यायालय	अन्य आधार पर राहत की मांग करना
3.	2003-04	0.00	0.00	उच्च न्यायालय	विभागीय अपील
4.	2004-05	0.00	0.00	- उपरोक्त -	- उपरोक्त -
5.	2006-07	0.00	0.00	- उपरोक्त -	- उपरोक्त -
6.	2008-09	0.00	0.00	- उपरोक्त -	- उपरोक्त -
7.	2009-10	0.00	1.19	आईटीएटी	आकलन वर्ष 2011-12 की मांगों के अनुसार धन वापसी
8.	2010-11	13.93	24.32	आईटीएटी और सीआईटी (क)	आंशिक रूप से नेफेड के पक्ष में अपील और मांग में कमी आकलन वर्ष 2013-14 और आकलन वर्ष 2022-23 की वापसी मांगों के अनुरूप समायोजित की गई। अंबाला शाखा का बैंक खाता सीज

क्र.सं.	मूल्यांकन वर्ष	बढ़ी हुई मांग	देय रिफंड/31.03.2023 तक देय राशि से समायोजित मांग	अपील स्थिति	टिप्पणी
9.	2011-12	9.23	7.35	सीआईटी (ए)	उठाई गई मांग के विरुद्ध धारा 154 के तहत दायर संशोधन और निर्धारण वर्ष 2022-23 में समायोजित रिफंड
10.	2012-13	0.00	0.69	-वही-	निर्धारण वर्ष 2011-12 की मांगों के अनुरूप समायोजित रिफंड
11.	2013-14	0.00	2.31	-वही-	निर्धारण वर्ष 2011-12 की मांगों के अनुरूप समायोजित रिफंड
12.	2014-15	0.01	0.71	-वही-	निर्धारण वर्ष 2011-12 की मांगों के अनुरूप समायोजित रिफंड
13.	2017-18	0.76	0.99	एओ	नेफेड के पुराने पैन के संबंध में धारा 143(1) के तहत सृजित मांग और निर्धारण वर्ष 2022-23 को समायोजित रिफंड
14.	2018-19	1.52	1.89	-वही-	धारा 143(1) के तहत सूचना के अनुसार आय में वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई मांग। निर्धारण वर्ष 2022-23 को समायोजित रिफंड
15.	2019-20	59.41	0.00	-वही-	घाटे का प्रकट करने की अनुमति न दिए जाने के कारण उत्पन्न हुई मांग
16	2020-21	0.19	0.00	-वही-	धारा 143(1) के तहत बनाई गई मांग
17	2021-22	12.20	0.00	-वही-	धारा 143(1) के तहत बनाई गई मांग
18	2022-23	0.00	0.00	-वही-	धारा 143(1) के तहत रिफंड घटाकर 13.30 करोड़ रुपये कर दिया गया और मांगों के अनुरूप समायोजित किया गया।
	कुल	**129.41**	**71.61**		

संघ ने खातों की बहियों में उपरोक्त कर देनदारी प्रदान नहीं की है क्योंकि मामले संबंधित निर्णय अधिकारियों के समक्ष लंबित हैं। प्रबंधन का मानना है कि संघ अपील में लंबित सभी मामलों में सफल होगा और इसलिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। साथ ही आकस्मिक देनदारियों के तहत उपरोक्त मांग पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं माना गया है। आयकर विभाग को भुगतान की गई ₹ 71.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 61.48 करोड़) की राशि को अन्य अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

2. अनुबंधों पर पूंजीगत प्रतिबद्धताएं अभी अपूर्ण हैं और 15.79 करोड़ (पिछले वर्ष `15.79 करोड़) रूपये के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

3. संघ के पास 39.32 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 68.66 करोड़ रुपये) के दीर्घकालिक निवेश हैं। निवेश को लागत पर बताया गया है, सिवाय इसके कि प्रबंधन को लगता है कि निवेश के मूल्य में कमी आई है। उपर्युक्त खातों में वर्ष 2011-12 के दौरान 0.24 करोड़ रुपए और वर्ष 2018-19 के दौरान 2.07 करोड़ रुपए की हानि के कुल 2.31 करोड़ रुपए दर्ज किए गए हैं।

4. 9.04 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.18 करोड़ रुपये) की लागत वाली संपत्तियों के मालिकाना हक के विलेख अभी संघ के पक्ष में निष्पादित किए जाने हैं, इसके अलावा, मोहन सहकारी औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित 27.60 करोड़ रुपये के उचित बाजार मूल्य वाली दो संपत्तियों को न्यायालय के निर्देश के अनुसार अधिग्रहित किया गया है, जिनके शीर्षक विलेख को महासंघ के पक्ष में निष्पादित

किया जाना बाकी है।

5. अंश पूंजी के लिए प्राप्त अंशदान ₹0.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.17 करोड़) आवंटन के लिए लंबित है। उपरोक्त में से सोसायटियों को अभी तक शून्य शेयर/रिफंड आवंटित किए गए हैं? क्योंकि सोसायटियों ने नेफेड को शेयर आवेदन राशि के लिए अपनी आय से एक निश्चित राशि काटने और कटौती की गई राशि के बराबर शेयर जारी करने के लिए अधिकृत किया है। चूंकि शेयर की कीमत ₹2,500/- के गुणक में है और न्यूनतम शेयर ₹25,000 जारी किए जा सकते हैं। शेयर आवेदन के लिए कटौती की गई राशि अपेक्षित राशि से कम है और शेयर जारी करने के लिए उस स्तर तक पहुंचने के लिए जमा की जा रही है, शेयर सोसायटियों को जारी नहीं किए गए हैं।

6. वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों में ₹1015.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1015.10 करोड़) की अतिदेय प्राप्य समझौता राशि शामिल है, जिसमें से ₹279.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹279.03 करोड़) की प्राप्य राशि संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ के रूप में वसूली योग्य और प्रवर्तनीय मूर्त संपत्तियों द्वारा सुरक्षित है। ₹1015.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1015.10 करोड़) की समझौता प्राप्तियों में से ₹4.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.11 करोड़) खाते की बहियों में अंकित किया गया है।

   प्रबंधन का तर्क है कि इस स्तर पर इन प्राप्तियों के विरुद्ध अप्राप्य ऋणों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है क्योंकि संघ ने बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही (प्रशासनिक, कानूनी कार्रवाई और कुछ मामलों को सरकारी जांच एजेंसियों को भेजने सहित) की है।

7. पीएसएस/एमआईएस ऑपरेशन के संबंध में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पास पीएसएस/एमआईएस प्रचालन-वार दावा दायर किया गया है। 31 मार्च, 2023 तक प्राप्य राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
क	पीएसएस/एमआईएस के तहत घाटे के कारण प्राप्य (पिछले वर्ष ₹ 25,333.68 करोड़)	29,339.88
ख	मूल्य समर्थन अभियानों के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि, विभिन्न परिचालनों पर परिणामी अधिशेष घटा सरकार को वापस की गई राशि/भुगतान की गई राशि घटा दी गई / राज्य एजेंसियां (पिछले वर्ष ₹11,982.87 करोड़)	15,989.87
ग	शुद्ध शेष (क-ख) (पिछले वर्ष ₹13,350,81 करोड़)	13,350.01

   प्रबंधन को आशा है कि जल्द ही भारत सरकार द्वारा सभी दावों का निपटारा कर दिया जायेगा और पूरा दावा प्राप्त कर लिया जाएगा। दावों के निपटान के समय की गई कटौती को अंतिम निपटान के वर्ष में लेखाबद्ध किया जाएगी।

8. देनदारों, लेनदारों और ऋणों और अग्रिमों की शेष राशि की पुष्टि संबंधित पार्टियों से की जा रही है। सोसायटियों/फेडरेशनों/टाई-अप पार्टियों/बिजनेस एसोसिएट्स के साथ लेखों के मिलान का कार्य भी प्रगति पर है। मिलान के समय आने वाली विसंगतियों को निपटन वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

9. बहियों में प्रबंधन के आकलन के अनुसार संदिग्ध ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। यदि कोई बट्टे खाते में डाला जाना आवश्यक है, तो उसे उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद बट्टे खाते में डाला जाएगा।

10. ऐसे मामलों में जहां कानूनी/अन्य विवादों के कारण किराया प्राप्त नहीं हुआ है, आईसीएआई द्वारा जारी एएस-9 का अनुपालन करने पर कोई आय नहीं मानी गई है। नेफेड ने इन किरायेदारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।

11. संघ ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान की गई सभी खरीद को लेखाबद्ध किया है, जिसमें ₹495.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹788.73 करोड़) की राशि शामिल है, जिसके बिल प्राप्त नहीं होना शेष हैं। तुलन पत्र को अंतिम रूप देने की तारीख तक पार्टियों से ₹469.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹487.15 करोड़) के बिल प्राप्त हुए हैं।

12. केंद्रीय/राज्य भंडारगृह निगम द्वारा जारी की गई भण्डारण रसीदों के आधार पर माल की गुणवत्ता और उसका मूल्य निर्धारण किया जा रहा है। भंडारगृह में रखे गए स्टॉक की मात्रा, गुणवत्ता और स्थिति, एसएलए, सर्वेक्षणकर्ता और केंद्रीय/राज्य भंडारण निगम की संयुक्त जिम्मेदारी है। नेफेड प्रबंधन नमी की मात्रा, गुणवत्ता, किसान उपज, दर और वजन और विचलन, यदि कोई हो, के संबंध में फेडरेशन की ओर से कृषि वस्तुओं की खरीद करने वाले सदस्य विपणन संघों / समितियों के चालान / दस्तावेजों पर भरोसा कर रहा है, तो तदनुसार निपटा जाता है।

SATISH K. KAPOOR & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

H.D.S.G. K. Associates Chartered Accountants

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

13. वर्ष 2009-10 और 2011-12 के दौरान पुनर्मूल्यन की गई परिसंपत्तियों के संबंध में प्रभारित 3.02 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3.23 करोड़ रुपए) की मूल्यह्रास राशि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में डेबिट करके लाभ और हानि खाते में जमा कर दिया गया है।

14. वर्ष 2003-06 की अवधि के दौरान बैंकों से ली गई ऋण सुविधा जिसमें 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बकाया रु. 1705.86 करोड़ का निपटान 478.00 करोड़ रुपये में कर दिया गया है और दिनांक 27.03.2018 को ऋणदाता बैंक के साथ हस्ताक्षरित "वन टाइम सेटलमेंट एग्रीमेंट" के तहत मेगा मॉल, अंधेरी, मुंबई में बकायेदार पार्टी की संपत्तियों के नीलामी अधिकारों का अंतरण किया गया है। ऋणदाता बैंकों के साथ किए गए समझौते के अनुसार, फेडरेशन ने 31 मार्च, 2023 तक पहले ही 224.00 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। लॉरेंस रोड संपत्ति की बिक्री/नीलामी ऋणदाता बैंकों द्वारा पूरी कर ली गई है और इसका हस्तांतरण 2023-24 में किया गया है। तदनुसार, ऋणदाता बैंकों से कोई देय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाना है, चूंकि लीड ऋणदाता बैंक से कोई बकाया प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए फेडरेशन ने बही-खातों में इसका प्रभाव नहीं दिया है। इसे लीड ऋणदाता बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के वर्ष में लागू किया जाएगा।

15. **कर्मचारी हितलाभ**

ग्रेच्युटी:

संघ ने एएस -15 "कर्मचारी हितलाभ" के अनुपालन में अपने कर्मचारियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह ग्रेच्युटी पॉलिसी प्राप्त की है। दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

भविष्य निधि:

संघ ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में कर्मचारी भविष्य निधि के तहत व्यय के रूप में 4.47 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3.78 करोड़ रुपये) की राशि को मान्यता दी है।

संघ सेवानिवृत्ति के बाद की लाभ योजनाओं को निम्नानुसार संचालित करता है:

वित्त पोषित

सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी

सेवानिवृत्ति के बाद अवकाश नकदीकरण

1. सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी योजना की विस्तार से जानकारी इस प्रकार है:

अनुमान	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
छूट दर	7.00%	7.00%
वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%

वर्ष के दौरान फेडरेशन ने एलआईसी से प्राप्त सलाह के आधार पर निधि में योगदान के रूप में 3.54 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1.37 करोड़ रुपये) का भुगतान किया है और वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

2. सेवानिवृत्ति के बाद अवकाश नकदीकरण प्लान की विस्तार से जानकारी इस प्रकार है:

अनुमान	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
छूट दर	7.46%	7.23%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%

वर्ष के दौरान फेडरेशन ने एचडीएफसी/एलआईसी से प्राप्त सलाह के आधार पर निधियों में अंशदान के रूप में शून्य (पिछले वर्ष शून्य) का भुगतान किया है और वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में 2.86 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.24 करोड़ रुपए) का प्रभार लिया है।

16. **लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबंधित पक्ष लेनदेन:**

(क) फेडरेशन ने एनएसएसएस एग्रो डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में 20 लाख रुपये का निवेश किया है जो कंपनी की चुकता पूंजी का 50% है। इसके अतिरिक्त, एनएसएसएस सतपुरा एग्रो डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की ओर से फेडरेशन द्वारा किए गए खर्चों के कारण कंपनी से 65,19,285 रुपए (पीवाई 65,19,285) की राशि वसूल की जाती है। एनएफइडी ने वसूली संदिग्ध होने के मद्देनजर इसके लिए 65,19,285 रुपए का प्रावधान किया था।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ ने 'फेडरेशन ऑफ इंडियन एफपीओ एंड एग्रीगेटर्स (फीफा)' के 10-10 के अंकित मूल्य वाले 10000 शेयरों का अधिग्रहण किया था, जो फीफा के 100% शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे फेडरेशन के पक्ष में 24.07.2020 को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, फेडरेशन ने ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी के रूप में 50 लाख रुपए जारी किए हैं जिसे 5 वर्षों के बाद चुकाया जाना है और अधिक एफपीओ के निर्माण और सदस्यता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण हेतु 50 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान जारी किया है।

(ख) मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी एवं संबंध

क्र. सं.	नाम	पदनाम	(2022-23) (रु. में)	(2021-22) (रु. में)
1.	श्री राजबीर सिंह, आई.एफ.एस.	प्रबंध निदेशक	36,58,195	39,82,801
2.	श्री सुनील कुमार सिंह	अपर प्रबंध निदेशक	35,76,005	32,46,745
3.	श्री पंकज कुमार प्रसाद	अपर प्रबंध निदेशक	29,04,131	28,53,467
4.	श्री एस.के.वर्मा	अपर प्रबंध निदेशक	34,84,332	30,23,717
5.	श्री ए.के.रथ	अपर प्रबंध निदेशक	34,75,332	30,23,717
6.	श्री कमलेन्द्र श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	29,39,853	27,44,267
7.	श्री अभिनव रावत	कार्यपालक निदेशक	18,45,854	25,49,181

17. आपूर्तिकर्ताओं से संगत सूचना प्राप्त होने के बाद एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण पर विचार किया जा सकता है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 8 के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं से आवश्यक ज्ञापन का अनुरोध किया गया है और इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

18. 18. प्रबंधन की राय में, परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि तुलन पत्र में उल्लिखित उनकी वहन राशि से अधिक है। एएस-28 (परिसंपत्तियों की हानि) के अंतर्गत यथा परिभाषित हानि के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।

19. एएस -27, "संयुक्त उद्यमों में रुचि की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुपालन में, आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है:

संयुक्त उद्यमों की निम्नलिखित श्रेणियों में रुचि का प्रकटीकरण:

(क) संयुक्त रूप से नियंत्रित संचालन:

नेफेड ने श्री स्वामी समर्थ शेतकारी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एसएसएसपीसीएल) और गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित में प्रवेश किया है।

नाम	मूल देश	सहभागिता रुचि (%)	
		31.03.2023	31.03.2022
1. गुजको नेफेड एग्रो प्रा.लि.	भारत	50%	NA
2. नेफेड- एसएसएसपीएल एओपी	भारत	51%	51%

(ख) संयुक्त रूप से नियंत्रित संपत्तियां:

संयुक्त रूप से नियंत्रित/स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों में नेफेड का हिस्सा शून्य है।

SATISH K. KAPOOR & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

H.D.S.G.K. Associates Chartered Accountants

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

नाम	मूल देश	सहभागिता रुचि (%)	
		31.03.2023	31.03.2022
शून्य			

(ग) संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं:

नाम	निगमन देश	स्वामित्व रुचि (%)	
		31.03.2023	31.03.2022
गुजको नेफेड एग्रो प्रा.लि.	भारत	50%	लागू नहीं

(2) नेफेड की साझा परिसंपत्तियां, देनदारियां, आय, व्यय, आकस्मिक देनदारियां और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और संचालन की पूंजी प्रतिबद्धताएं:

विवरण	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं		संयुक्त रूप से नियंत्रित संचालन	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
(i) परिसंपत्तियां				
- गैर-तात्कालिक परिसंपत्तियां	-	-	-	-
- वर्तमान परिसंपत्तियां	-	-	22,25,045.00	7,85,181.00
(ii) देनदारियां				
-गैर-तात्कालिक देनदारियां	-	-	-	-
- गैर-तात्कालिक देनदारियां	-	-	8,12,307.00	3,56,000.00
(iii) आय	-	-	66,00,539.00	18,58,810.00
(iv) व्यय	1,01,368.00	-	32,54,128.00	14,29,629.00
(v) आकस्मिक देनदारियां	-	-	-	-
(vi) पूंजी प्रतिबद्धताएं	50,000.00	-	-	-

20. प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का वसूली योग्य मूल्य उस राशि से कम नहीं है जिस पर इन्हें तुलन पत्र में बताया गया है, सिवाय अन्यथा बताए गए हैं।

21. भूमि और भवन को छोड़कर, जिनका समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, को छोड़कर वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के तहत तैयार किए जाते हैं।

22. फेडरेशन के खाते 169.86 करोड़ रु (पिछले वर्ष 378.42 करोड़ रु) की संचित हानियों के बावजूद इसके बेहतर व्यापार कारोबार और बैंकों के साथ एकमुश्त निपटान के आधार पर तैयार किए गए हैं।

प्रबंधन का विचार है कि फेडरेशन के संचालन से निकट भविष्य में पर्याप्त लाभ उत्पन्न होगा और आभासी निश्चितता है कि निकट भविष्य में स्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान, फेडरेशन ने 9.72

SATISH K. KAPOOR & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

H.D.S.G.K. Associates Chartered Accountants

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

करोड़ रुपए (पिछले वर्ष) (-)82.07 करोड़ रुपए की राशि को आस्थगित कर आस्तियों (निवल) के रूप में मान्यता दी है। दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार डीटीए/डीटीएल के घटक निम्नानुसार हैं:

विवरण	वर्तमान वर्ष(रु.)	विगत वर्ष (रु.)
क. स्थगित कर परिसंपत्तियां		
लाभ/(-) अअवशोषित हानियाँ	--	--
फिक्स्ड एसेट्स के डब्ल्यूडीवी में अंतर	8,71,29,280	(28,01,21,330)
कर्मचारी लाभ	--	--
डूबा हुआ और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	--	--
आयकर अधिनियम की धारा 43 (ख)	9,32,47,52,622	9,30,58,76,571
कुल (क)	**9,41,18,81,902**	**9,02,57,55,241**
ख. स्थगित कर दिया गया टैक्स		
आयकर गणना में ब्याज देयता का दावा किया गया है, लेकिन किताबों में इसका हिसाब नहीं है	--	--
कर्मचारी हितलाभ	--	--
कुल (ख)	**--**	**--**
स्थगित कर परिसंपत्तियां: नेट (क-ख)	**9,41,18,81,902**	**9,02,57,55,241**
कर प्रभाव	**2,36,87,82,437**	**2,27,16,02,079**

23. फेडरेशन कुछ स्थानों/शाखाओं और नियंत्रण कार्यालयों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मिलान की प्रक्रिया में है। आवश्यक प्रभाव, यदि कोई हो, को बाद की अवधि में मिलान के बाद लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा।

24. 24. फेडरेशन किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से पीएसएस संचालन कर रहा है। पीएसएस संचालन में, आमतौर पर बाजार की स्थितियों के कारण, स्टॉक की खरीद और वहन लागत इसकी बिक्री प्राप्ति से अधिक होती है। इस प्रकार, ऐसी घटनाओं में, जीएसटी इनपुट असमायोजित रहता है और संबंधित पीएसएस कमोडिटी के लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में चार्ज किया जाता है। इस प्रकार, फेडरेशन ने संबंधित कमोडिटी पी एंड एल खाते में 0.25 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 5.40 करोड़ रुपये) मूल्य की असमायोजित जीएसटी राशि का शुल्क लिया है। नेफेड न तो आउटपुट टैक्स देयता के खिलाफ जीएसटी इनपुट को सेट करने में सक्षम है और न ही असमायोजित जीएसटी की वापसी के लिए पात्र है क्योंकि दालों की खरीद / निपटान जीएसटी से मुक्त है।

हालांकि, जीएसटी केवल तिलहन की खरीद/बिक्री और पैकिंग सामग्री (बारदाना) पर लागू है। इसके अलावा, नेफेड द्वारा की जाने वाली अन्य वाणिज्यिक व्यावसायिक गतिविधियों को या तो जीएसटी से छूट दी गई है या यदि कर योग्य है, तो इसकी मात्रा पीएसएस संचालन के पूरे गैर-समायोजित जीएसटी को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जीएसटी इनपुट को वापस लेने की कार्रवाई जांच अधिकारियों, डीए एंड एफडब्ल्यू के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

SATISH K. KAPOOR & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

H.D.S.G.K. Associates Chartered Accountants

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

25. एएस-3 (नकद प्रवाह विवरण), एएस-17 (सेगमेंट रिपोर्टिंग) के अनुसार अपेक्षित ब्यौरा/सूचना संलग्न है।

26. 26. संघ पीएसएफ योजना के तहत खरीदी गई दालों की आपूर्ति संस्थानों और विभिन्न राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं के तहत कर रहा है। ऐसी आपूर्ति के लिए मिलों को साबुत दालों की आपूर्ति की जाती है जबकि उनके द्वारा संबंधित राज्य सरकारों/संस्थाओं को दालों की आपूर्ति की जाती है। इसलिए, फेडरेशन की बिक्री और खरीद में मिलर्स को की गई और मिलर्स से प्राप्त ऐसी आपूर्ति का मूल्य शामिल है।

27. घरेलू बिक्री से प्राप्त राजस्व में फेडरेशन द्वारा उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) को प्रस्तुत अनंतिम दर पर बुक की गई 51.25 करोड़ रुपये की बिक्री शामिल है, जो डीओसीए द्वारा दरों को अंतिम रूप देने के अधीन है।

28. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा जाता है, पुनर्गठित और पुन: व्यवस्थित किया गया है। आंकड़े निकटतम एलएसी तक पहुंच गए हैं।

(S.K VERMA)
ADDL. MANAGING DIRECTOR (F & A)

(RITESH CHAUHAN)
MANAGING DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR SATISH K. KAPOOR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-016222N
(CA SATISH KUMAR KAPOOR)
PARTNER
M NO 094823

FOR HDSG & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-002871N
(CA HARBIR SINGH GULATI)
PARTNER
M NO.084077

FOR DASS GUPTA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-000112N
(CA ASHOK KUMAR JAIN)
PARTNER
M NO.090563

PLACE : NEW DELHI
DATE : 22.07.2023

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड

वर्ष 2022-23 का नकद प्रवाह विवरण

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष		31.03.2023 को समाप्त वर्ष	
	विवरण	राशि (लाख में)	विवरण	राशि (लाख में)
क : संचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
लाभ एवं हानि खाता के अनुसार निवल लाभ		26,451.38		13,927.16
हेतु समायोजन :				
आस्थगित कर व्यय / (आय)	(971.80)		8,207.72	
आयकर व्यय	8,643.13		6,071.11	
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	857.13		923.28	
बट्टे खाते में डाली गई पुनर्मूल्यांकित राशि पर मूल्यह्रास	(389.20)		(323.01)	
ब्याज आय	(7,508.65)		(7,723.92)	
लाभांश आय	(101.33)		(101.33)	
ब्याज खर्च	-		75.58	
अचल संपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	(28.40)		(0.08)	
निवेश की बिक्री पर लाभ	(19.74)		(90.35)	
बट्टे खाते में डाली गई अचल परिसंपत्तियाँ	(0.00)	481.13	-	7,039.00
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व संचालन लाभ		26,932.51		20,966.15
विविध देनदारों में कमी/(वृद्धि)।	96,774.82		(115,195.73)	
प्राप्य सब्सिडी में कमी/(वृद्धि)।	2,871.22		30,505.46	
सरकार से वसूली योग्य राशि में कमी/(वृद्धि)।	80.34		11,503.53	
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम/अन्य अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)।	25,230.30		(22,814.88)	
इन्वेंटरी में कमी/(वृद्धि)।	(427,860.50)		62,395.79	
दावों एवं अन्य वसूली योग्य में कमी/(वृद्धि)।	29,866.83		(13,660.56)	
विविध लेनदारों में वृद्धि/(कमी)।	(68,176.48)		167,703.74	
अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी)।	(153,469.03)		459,743.10	
शिक्षा निधि से एनसीयूआई को भुगतान	(139.27)	(494,821.78)	(243.95)	579,936.51
देय कर		(6,071.11)		(14,727.24)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी / (इसमें प्रयुक्त) : (क)		(473,960.38)		586,175.42
ख: निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह।				
अचल संपत्ति की खरीद	628.06		(727.02)	
अचल संपत्तियों की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान	-		(485.10)	
निवेश में कमी/(वृद्धि)।	2,913.90		3,005.27	
प्राप्त ब्याज	7,508.65		7,723.92	
लाभांश प्राप्त हुआ	101.33		101.33	
निवेश की बिक्री पर लाभ	19.74		90.35	
अचल संपत्तियों की बिक्री	163.72		4.03	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी: (ख)		**11,335.39**		**9,712.78**
ग: वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह।				
अंश पूंजी जारी करने से प्राप्त आय	199.10		302.16	
लाभांश का भुगतान	(579.82)		(427.28)	
सुरक्षित ऋणों में वृद्धि	833,169.83		(565,002.17)	
चुकाया गया ब्याज	-		(75.58)	
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी: (ग)		**832,789.11**		**(565,202.86)**
नकद और नकद समतुल्य (क + ख + ग) में शुद्ध वृद्धि / (कमी)		**370,164.12**		**30,685.34**
अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	**(नोट 1 देखें)**	**177,449.22**	**(See Note 1)**	**146,763.88**
अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**(नोट 1 देखें)**	**547,613.34**	**(See Note 1)**	**177,449.22**

नकद प्रवाह विवरण पर टिप्पणी

1. नकद और उसके समकक्ष

   नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और उसें समकक्षों में शामिल निम्नलिखित तुलन पत्र राशि

	31.03.2023	31.03.2022
नकदी और बैंक शेष	547,613.34	177,449.22
	547,613.34	177,449.22

(S.K VERMA)
ADDL. MANAGING DIRECTOR (F & A)

(RITESH CHAUHAN)
MANAGING DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR SATISH K. KAPOOR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-016222N
(CA SATISH KUMAR KAPOOR)
PARTNER
M NO 094823

FOR HDSG & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-002871N
(CA HARBIR SINGH GULATI)
PARTNER
M NO 084077

FOR DASS GUPTA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-000112N
(CA ASHOK KUMAR JAIN)
PARTNER
M NO 090563

PLACE : NEW DELHI
DATE : 22.07.2023

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2022-2023 की सेगमेंट रिपोर्ट (एएस-17)

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	I कृषि व्यवसाय	II पीएसएस व्यवसाय	IV अन्य व्यवसाय	V अनावंटन योग्य व्यवसाय	वर्ष 2022-2023 के लिए कुल	I कृषि व्यवसाय	II पीएसएस व्यवसाय	IV अन्य व्यवसाय	V अनावंटन योग्य व्यवसाय	वर्ष 2021-22 के लिए कुल
क.	सेगमेंट राजस्व:										
i)	क्रय	200,046.06	1,145,069.50	692,278.81	103,064.22	2,140,458.59	732,271.08	638,753.50	534,152.71	70,045.12	1,975,222.41
ii)	सेवा शुल्क (पीएसएफ/पीएसएस)	8,225.14	15,497.08	1,279.63	-	25,001.85	105.12	6,024.65	8,698.86	-	14,828.63
iii)	अन्य कमाई	813.18	7,342.76	393.35	795.48	9,344.77	72.40	5,423.57	(608.39)	19.46	4,907.05
	सकल बिक्री/आय	209,084.38	1,167,909.34	693,951.79	103,859.70	2,174,805.22	732,448.60	650,201.72	542,243.18	70,064.58	1,994,958.08
	(i+ii+iii)										
ख	सेगमेंट परिणाम	158,747.29	(538,237.74)	(253,633.59)	129,102.80	(504,021.24)	83,036.83	(167,051.92)	52,845.33	55,556.37	24,386.60
	(सकल लाभ)										
क)	जमा: आवंटन योग्य आय	-	(0.00)	-	547,017.75	547,017.75	-	2.61	-	10,301.84	10,304.45
ख)	घटा: आवंटन योग्य व्यय	-	-	-	17,126.06	17,126.06	-	-	-	21,097.28	21,097.28
ग)	लाभ(ख+क-ख)	158,747.29	(538,237.74)	(253,633.59)	658,994.50	25,870.45	83,036.83	(167,049.31)	52,845.33	44,760.93	13,593.77
	असाधारण वस्तुओं से पहले										
घ)	असाधारण आइटम	-	-	-	580.93	580.93	2.61	0.00	28.78	301.99	333.39
ड.)	कर से पहले लाभ (ग+घ)	158,747.29	(538,237.74)	(253,633.59)	659,575.43	26,451.38	83,039.44	(167,049.31)	52,874.11	45,062.92	13,927.16
ग	खंड संपत्ति	114,912.24	1,657,092.27	73,756.58	141,241.94	1,987,003.03	193,914.58	2,584,587.91	127,778.32	110,520.86	3,016,801.67
क	आवंटन योग्य संपत्तियाँ	-	-	-	2,042,078.27	2,042,078.27	-	-	-	373,612.91	373,612.91
ख	कुल संपत्ति (ग+क)	114,912.24	1,657,092.27	73,756.58	2,183,320.22	4,029,081.30	193,914.58	2,584,587.91	127,778.32	484,133.78	3,390,414.59
घ	खंड देनदारियां	149,728.33	2,625,908.07	131,531.80	112,247.91	3,019,416.12	203,754.34	2,722,584.09	93,644.30	43,576.12	3,063,558.85
क	अनावंटन योग्य देनदारियाँ	-	-	-	1,009,665.19	1,009,665.19	-	-	-	326,855.74	326,855.74
ख	कुल देनदारियां (डी+ए)	149,728.33	2,625,908.07	131,531.80	1,121,913.10	4,029,081.30	203,754.34	2,722,584.09	93,644.30	370,431.86	3,390,414.59
ड.	पूंजीगत व्यय	-	-	-	51.10	51.10	-	-	-	1,842.43	1,842.43
	वर्ष के दौरान व्यय										
च	मूल्यह्रास	-	-	-	857.13	857.13	-	-	-	923.28	923.28
छ	गैर-नकद व्यय	-	-	-	16,336.39	16,336.39	-	-	-	18,773.62	18,773.62
	मूल्यह्रास के अलावा अन्य										

(ASHUTOSH MAHAJAN)
GENERAL MANAGER (F&A)

SATISH K. KAPOOR & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

H.D.S.G.K. Associates Chartered Accountants

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

(S.K. VERMA)
ADDL. MANAGING DIRECTOR (F & A)

टिप्पणी

nafed
A Farmers' Cooperative
...Since 1958

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित

नेफेड भवन, सिद्धार्थ एन्कलेव आश्रम चौक, रिंग रोड़, नई दिल्ली-110014
दूरभाष: इपीएबीएक्स : +91-11-26340019, 26341810
फैक्स: +91-11-26340261

Design & Printed at Royal Press # 93101 32888